R.N.I. No. 56386/92

लघु उद्योग, स्वरोजगार व प्रबन्ध क्षेत्रों में मार्गदर्शक

उद्यमिता

ISSN : 0971-6211
वर्ष : 01 अंक : 08

सितम्बर 2022
मूल्य रु. 25/- मात्र

हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग विशेषांक

व्यावसायिक अवसरों से परिपूर्ण हथकरघा उद्योग

भारत से लकड़ी के फर्नीचर की निर्यात संभावनाएं

हथकरघा एवं हस्तशिल्प : मध्य प्रदेश में संचालित प्रमुख योजनाएं

A MONTHLY PUBLICATION ON SMALL INDUSTRY, SELF EMPLOYMENT AND ENTREPRENEURSHIP

सेडमैप में श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया गया

स्वतंत्रता दिवस समारोह

उद्यमिता विकास केंद्र मध्यप्रदेश (सेडमैप) के अरेरा हिल्स स्थित मुख्यालय में 76 वां स्वतंत्रता दिवस श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर **श्री पी. नरहरि (आईएएस),** सचिव, आयुक्त, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, मध्य प्रदेश शासन व चेयरमैन सेडमैप ने ध्वजारोहण किया तत्पश्चात उपस्थित कर्मचारीगणों ने सुमधुर राष्ट्रगान का गायन किया। इस अवसर पर सेडमैप की कार्यकारी संचालक **श्रीमती अनुराधा सिंघई** ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में **उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश (सेडमैप)** एवं **मप्र बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. (एमपीबीडीसी)** के अधिकारी-कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सेडमैप के चेयरमैन श्री पी. नरहरि एवं केंद्र की कार्यकारी संचालक श्रीमती अनुराधा सिंघई ने उपस्थित कर्मचारी-अधिकारियों के साथ समूह चित्र खिंचवाने का गौरव भी प्रदान किया।

R.N.I. No. 56386/92

वर्ष : 01 अंक : 08

विवरणिका

सितम्बर 2022

- व्यावसायिक अवसरों एवं समृद्ध परंपराओं से परिपूर्ण है भारतीय हथकरघा उद्योग 07
- हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्यमियों के सहायतार्थ मध्य प्रदेश में संचालित प्रमुख योजनाएं 10
- हैंडलूम मार्क प्राप्त करने हेतु नियम, प्रक्रिया व प्रावधान 17
- भारत से लकड़ी के फर्नीचर की निर्यात संभावनाएं 19
- निर्यात बाजार में चमक बिखेर रहे भारतीय आभूषण 25
- सरैमिक कलात्मक वस्तुओं की निर्यात संभावनाएं 29
- हथकरघा निर्यातकों की सहायता एवं मार्गदर्शन के लिए संचालित
- हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद 32
- हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की सेवाओं का लें लाभ 36
- हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के उद्यमियों हेतु प्राचीन भारतीय परंपराओं के ज्ञान का केंद्र राष्ट्रीय हस्तशिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी 40
- धातुओं से बने हस्तशिल्प उद्यमियों के लिए मार्गदर्शक मुरादाबाद का धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र 42
- मध्य प्रदेश के उद्यमियों की सफलता की कहानियां 45

- सेडमैप समाचार 51
- मध्य प्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य 54
- राष्ट्रीय औद्योगिक परिदृश्य 63

प्रधान संपादक

अनुराधा सिंघई

कार्यकारी संचालक

संपादक एवं प्रकाशन प्रमुख

उमाशंकर दुबे

आकल्पन एवं अक्षर संयोजन

दिनेश कुमार मधुकर राव गावड़े

प्रकाशन सहायक

राधा शर्मा

वितरण सहायक

संतोष सिंह

उद्यमिता समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, सूचनाएं, विचार लेखकों के व्यक्तिगत विचार होते हैं तथा विभिन्न स्त्रोतों से लिये जाते हैं। इनमें किसी प्रकार की विसंगति अथवा त्रुटि हेतु उद्यमिता समाचार पत्र जिम्मेदार नहीं हैं।

संपादकीय एवं व्यावसायिक संपर्क

उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश (सेडमैप)

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्य प्रदेश शासन के अधीन)

16-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462 011 म.प्र.

फोन : 0755 - 4000914 **ई-मेल :** cedmapusp@rediffmail.com

वेबसाइट : www.cedmapindia.mp.gov.in

स्वरोजगार स्थापना में बनें सहभागी

वर्तमान समय में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या और स्वरोजगार उसका सर्वश्रेष्ठ समाधान है। लोगों को स्वरोजगार स्थापना से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मासिक पत्रिका **उद्यमिता समाचार पत्र** का प्रकाशन किया जाता है। ऐसे सभी विशेषज्ञ जो इस क्षेत्र में मार्गदर्शक जानकारियां प्रदान कर सकते हैं, उनके लेखों, जानकारियों का उद्यमिता समाचार पत्र में सादर स्वागत है। उद्यमिता समाचार पत्र में लेख, सूचना, समाचार, विज्ञापन एवं प्रकाशन योग्य अन्य सामग्रियां उपरोक्त पते पर प्रेषित की जा सकती हैं.

पत्रिका के आगामी विशेषांकों की सूची

अक्टूबर 2022 अंक **खादी एवं ग्रामोद्योग विशेषांक**

के रूप में प्रकाशित किया जाएगा

आगामी अंक निम्न विषयों पर प्रकाशित किए जाएंगे

- सूचना प्रौद्योगिकी
- मत्स्योद्योग
- वस्त्रोद्योग
- ज्वैलरी उद्योग
- सेवा उद्योग
- प्लास्टिक उद्योग
- खेल सामग्री निर्माण
- भवन निर्माण उद्योग
- ऑटोमोबाइल
- लौह एवं इस्पात उद्योग

सूचना : उद्यमिता समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री पर सर्वाधिकार प्रकाशित करने से पूर्व प्रकाशन की अनुमति लेना आवश्यक है तथा ऐसे लेखों के अंत में पत्रिका से संबंधित अंक का विवरण देते हुए उद्यमिता समाचार पत्र से साभार लिखना अनिवार्य होगा। ऐसा न किये जाने पर उद्यमिता समाचार पत्र द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

रोजगार-स्वरोजगार की संभावनाओं से समृद्ध है भारतीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग

हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में एक सार्थक एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस क्षेत्र में स्वरोजगार व रोजगार की विशाल संभावनाएं हैं। इसमें न केवल देश के सभी भागों में फैले हुए मौजूदा लाखों कारीगरों को, बल्कि बुनाई व शिल्प कार्यकलापों में बड़ी संख्या में प्रवेश पाने वाले नए उद्यमियों को भी समाहित करने की असीमित क्षमताएं विद्यमान हैं। यह क्षेत्र विशेषकर ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में शिल्पियों व कारीगरों के बहुत बड़े समूह को रोजगार प्रदान करता है। वर्ष 2019-20 में की गई चौथी हथकरघा गणना के अनुसार देश में हथकरघा क्षेत्र में कार्यरत लोगों की कुल संख्या 35,22,512 है। इनमें महिलाओं की संख्या 25,46,285 तथा पुरूषों की संख्या 9,75,733 है। इसी प्रकार हस्तशिल्प कारीगरों की कुल संख्या 68.86 लाख है, इनमें 30.25 लाख पुरूष और 38.61 लाख महिला कारीगर हैं। इस प्रकार हम देखते हैं इस क्षेत्र में पुरूषों से ज्यादा संख्या में महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है।

यह क्षेत्र अपनी शिल्प विरासत को जीवित रखते हुए देश की घरेलू जरूरतों की पूर्ति के साथ ही पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करने में अपना विशेष महत्व रखता है। हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात दुनिया के 100 से अधिक देशों में किया जाता है। वस्त्र मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान हथकरघा वस्तुओं का निर्यात 2248.33 करोड़ रुपए और वर्ष 2020-21 के दौरान 1644.78 करोड़ रुपए था। वहीं अक्टूबर 2021 तक हस्तनिर्मित कालीन सहित हस्तशिल्प का निर्यात 29020.94 करोड़ रुपए रहा। भारत विश्व में वस्त्र और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत के कुल निर्यात में वस्त्र, परिधान और हस्तशिल्प की हिस्सेदारी 2020-21 में 11.4 प्रतिशत थी।

प्रौद्योगिकी विकास के वर्तमान युग में भी अपनी विशिष्टताओं के कारण हथकरघा एवं हस्तशिल्प का महत्व कायम है। इस उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए ना तो जटिल मशीनों की जरूरत होती है और ना ही अत्यधिक पूंजी निवेश की। हमारे कारीगरों के हाथों में जो हुनर है उसका मुकाबला करने में आज भी मशीनें सक्षम नहीं है। इस हुनर को कायम रखने और निखारने के लिए सरकार प्रयासरत है। देश व प्रदेशों में ऐसी कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं जो हथकरघा एवं हस्तशिल्प के संरक्षण, संवर्धन व बेहतरी के लिए समर्पित हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप इस उद्योग क्षेत्र का परिदृश्य काफी कुछ बदला है। सरकारी सहायता व प्रोत्साहन से उत्पादन व निर्यात बढ़ने के साथ ही कारीगरों के जीवन व स्थितियों में भी सुधार आया है। आगे ना सिर्फ इस उद्योग क्षेत्र का भविष्य उज्जवल है, बल्कि इसमें लाखों लोगों को रोजगार-स्वरोजगार में नियोजित करने की प्रचुर संभावनाएं मौजूद हैं।

अनुराधा सिंघई

लेखकों के लिए दिशा-निर्देश

1. उच्च गुणवत्ता बनाए रखने और सही एवं प्रामाणिक जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए उद्यमिता समाचार पत्र सामान्यत: अपनी जरूरतों को ध्यान में रख कर **साग्रहपूर्वक** मंगवाए गए आलेखों को प्रमुखता देता है।
2. स्वरोजगार स्थापना के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करने वाले सभी विशेषज्ञों से यह अपेक्षित है कि वे अपने मौलिक लेख ही प्रकाशनार्थ भेजें, तथा अपने लेख के साथ मौलिकता का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।
3. प्रेषित लेखों में निम्नानुसार विषयों पर सामग्री अपेक्षित है :- **नियम-प्रक्रियाएं, नीतियां** : शासकीय, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित ऐसी नियम-प्रक्रियाएं, योजनाएं एवं नीतियां जोकि उद्यमियों को स्वरोजगार स्थापना में मार्गदर्शन प्रदान कर सकें।

   इंस्टीट्यूट प्रोफाइल : किसी ऐसे संस्थान के बारे में जानकारी जो कि विद्यमान एवं भावी उद्यमियों को उनके व्यवसाय की स्थापना, संचालन एवं उन्नयन के संबंध में शिक्षण-प्रशिक्षण प्रदान करने में संलग्न हों।

   प्रोजेक्ट प्रोफाइल : किसी औद्योगिक/व्यावसायिक/सेवा इकाई की स्थापना से संबंधित ऐसी प्रोजेक्ट प्रोफाइल जोकि मानक प्रारूप में हो जिसका उपयोग उद्यमी वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने सहित अपनी इकाई के संचालन में कर सकें।

   बाजार सर्वेक्षण : किसी उत्पाद/क्षेत्र विशेष पर आधारित ऐसा अध्ययन जोकि उद्यमी को उस उत्पाद/क्षेत्र में अपनी इकाई स्थापित करने के लिए विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध करा कर इकाई स्थापना के संबंध में निर्णय लेने में सहायक सिद्ध हो सके।

   सफलता की कहानी : किसी व्यक्ति, संस्थान, उपक्रम की उपलब्धियों के ऐसे ब्यौरे जोकि अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का माध्यम बन सकें।
4. उद्यमिता समाचार पत्र में पूर्णत: स्वरोजगार एवं रोजगार सर्जक लेखों को ही प्रोत्साहित किया जाता है, अत: किसी भी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी, समीक्षा, आलोचनात्मक लेख नहीं भेजें।
5. हिंदी भाषा के आलेखों को प्राथमिकता दी जाएगी। अंग्रेजी भाषा के लेखों के प्रकाशन पर भी विचार किया जा सकता है, अपितु ऐसे लेखों का आप अपनी ओर से ही अनुवाद करवा कर प्रेषित कर सकें तो प्रकाशन में सुविधा होगी।
6. आपके द्वारा भेजे गए लेखों के सुबोध होने के साथ ही भाषा शैली में शालीनता, शिष्टता व मर्यादा का ध्यान रखें।
7. इंस्टीट्यूट प्रोफाइल, सफलता की कहानी आदि को प्रायोजन के आधार पर भी प्रकाशित करने पर विचार किया जा सकता है।
8. लेखकों को लेख के अंत में अपना पूरा नाम, पता, ई-मेल एड्रेस, मोबाइल/फोन नंबर लिखना चाहिए।

उद्यमिता समाचार पत्र में लेख, सूचना, समाचार, विज्ञापन एवं प्रकाशन योग्य अन्य सामग्रियां निम्नानुसार पते पर प्रेषित की जा सकती हैं -

उद्यमिता समाचार पत्र

द्वारा : उद्यमिता विकास केंद्र मध्यप्रदेश (सेडमैप),

16-ए, अरेराहिल्स, भोपाल - 462011

फोन : 0755 - 4000900, 4000914

उद्यमिता समाचार पत्र में लेख प्रेषित करने हेतु

घोषणा पत्र का प्रारूप

लेख का प्रस्तावित शीर्षक : ....

मूल लेखक का नाम : ....

सह लेखकों के नाम ....

- मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मैंने पत्रिका में लेखों के प्रकाशन से संबंधित नियम व शर्तों को पढ़ व समझ लिया है और उनसे सहमत हूं।
- मैं/हम पुष्टि करते हैं कि लेख के सभी लेखक सर्वसम्मति से एकमत के साथ लेख प्रेषित कर रहे हैं तथा लेखकों के मध्य किसी भी प्रकार का हितों का टकराव नहीं है।
- मैं/हम पुष्टि करते हैं कि प्रस्तुत लेख, लेखक/लेखकों का मूल कार्य है और लेख को पूर्व में कहीं और प्रकाशित नहीं किया गया है तथा कहीं और प्रकाशन के लिए विचाराधीन नहीं है।
- सभी लेखकों की ओर से लेख प्रस्तुत करने की पूरी जिम्मेदारी मेरी (मूल लेखक की) होगी।
- मैं/हम पुष्टि करते हैं कि लेख के साथ सूचीबद्ध सभी लेखकों ने काम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेख को पढ़ा है, आंकड़ों की वैधता और इसकी व्याख्या को प्रमाणित किया है, और इसे प्रस्तुत करने के लिए सभी सहमत हैं।
- मैं/हम पुष्टि करते हैं कि प्रस्तुत लेख किसी अन्य प्रकाशित कार्य का कॉपी या साहित्यिक संस्करण नहीं है।
- मैं/हम पुष्टि करते हैं कि जब तक पत्रिका के संपादकों द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक मैं/हम किसी अन्य समाचार पत्र या पत्रिका में प्रकाशन के लिए यह लेख प्रेषित नहीं करूंगा/करूंगी/करेंगे।
- मैं/हम समझते हैं कि गलत तथ्यों/सूचना/जानकारी/आंकड़े प्रस्तुत करने पर नियमों के अनुसार मेरे/हमारे खिलाफ उचित दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- मैं/हम प्रकाशक/संपादन मंडल को प्रस्तुत लेख में एडिटिंग करने का पूर्ण अधिकार देता हूं/देती हूं/देते हैं, और एडिट की हुई रचना मुझे/हमें पूर्ण रूप से मान्य होगी।
- लेख के प्रकाशन से यदि किसी प्रकार के नियम, कानून या कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन/या कोई विवाद होता है तो उससे संबंधित विषयों के लिए पूरी जिम्मेदारी मेरी/हमारी **होगी**। उद्यमिता समाचार पत्र एवं उसका संपादन मंडल इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

मूल लेखक सहित सभी लेखकों के हस्ताक्षर
नाम, पते, ई-मेल व मोबाइल नंबर

स्थान .... दिनांक ....

व्यवसायिक अवसरों एवं समृद्ध परंपराओं से परिपूर्ण है

भारतीय हथकरघा उद्योग

हथकरघा बुनाई भारत की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जो सर्वाधिक व्यवसायिक अवसरों एवं समृद्ध परंपराओं से परिपूर्ण है। भारत में हथकरघा के प्रमुख समूह वाराणसी, गोड्डा, शिव सागर, विरुधनगर, प्रकासम, भागलपुर, गुंटू एवं त्रिची में पाए जाते हैं। भारत हथकरघा उत्पादों का निर्यात करने वाला दुनिया में दूसरा सबसे

बड़ा देश है। वर्ष 2018-19 में देश से कुल 3804 मिलियन डॉलर हथकरघा उत्पादों का निर्यात किया गया। भारत के वस्त्र उत्पाद जिनमें हथकरघा एवं हस्तशिल्प से जुड़े उत्पाद भी शामिल हैं, दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को निर्यात किए जाते हैं। वर्ष 2020-21 में देश के कुल निर्यात में कपड़ा, वस्त्र एवं हथकरघा का हिस्सा 11.4 प्रतिशत था। भारत में हथकरघा के 744 समूह हैं, जिनमें लगभग 2,12,000 शिल्पी जुड़े हुए हैं और इनके द्वारा 35 हजार से अधिक प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इनमें से मुख्य समूह सूरत, बरेली, वाराणसी, आगरा, हैदराबाद, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई आदि स्थानों पर हैं।

हथकरघा का क्षेत्र मुख्यत: ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्र के लोगों के लिए आजीविका का एक प्रमुख आधार है। यह एक ऐसा उद्योग क्षेत्र है जिसमें कम पूंजी निवेश पर उत्पादन, विद्युत के न्यूनतम उपयोग, पर्यामित्र, लघु स्तर पर उत्पादन करने की भी सुविधा, नवोन्मेष के लिए खुलापन, बाजार की जरुरतों के मुताबिक आपूर्ति करने की क्षमता जैसी विशेषताएं विद्यमान हैं। यह कुटीर स्तर पर उपलब्ध एक ऐसी नैसर्गिक उत्पादक परिसंपत्ति एवं परंपरा है जिसका कौशल एवं कला एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होते रहता है। हथकरघे से बुनाई विकेंद्रीकृत है तथा बुनकर प्राय: समाज के कमजोर वर्ग से संबंधित होते हैं जोकि बुनाई का कार्य अपनी घरेलू जरुरतों की पूर्ति के लिए करते हैं, साथ ही

वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में भी अपना योगदान देते हैं। वे बुनकर ही हैं जो अपने राज्य व क्षेत्र विशेष की विशेषीकृत बुनाई परंपराओं को आज भी जीवित रखे हुए हैं। हथकरघा वस्त्रों में कलात्मकता एवं गूढ़ता का स्तर इतना महीन होता है जो कि आधुनिक मशीनों के माध्यम से आज भी किया जाना संभव ही नहीं है। हथकरघा क्षेत्र में ऐसे वस्त्र भी उपलब्ध हैं जिनकी बुनाई में महीनों का समय लगता है वहीं ऐसे भी उत्पादों का व्यापक पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है जिनकी दैनिक उपयोग के लिए जरुरत होती है। देश में वर्तमान समय में हथकरघा बुनकरों, सहायक कर्मियों एवं हथकरघों की संख्या निम्नानुसार है :-

क्र.	**विवरण**	**चौथी हथकरघा गणना (2019-20)**
1.	करघों की संख्या	28.20 लाख 25.30 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में 2.90 लाख शहरी क्षेत्रों में
2.	हाउसहोल्ड्स की संख्या	31.44 लाख
3.	नॉन-हाउसहोल्ड्स की संख्या	5457
4.	हथकरघा कर्मियों की कुल संख्या	35.22 लाख
	पुरुष	9,75,733
	महिला	25,46,285
	ट्रांसजेंडर	494
ए.	बुनकरों की कुल संख्या	26.74 लाख
बी.	सहयोगी कर्मचारियों की संख्या (ऐसे कर्मचारी जोकि बुनाई पूर्व की गतिविधियों जैसे - वाइंडिंग, रैपिंग, डाइंग आदि) तथा बुनाई पश्चात की गतिविधियों जैसे फिनिशिंग, कैलेंडरिंग आदि में संलग्न हों	8.48 लाख
5.	अजा कर्मचारियों की संख्या	4,84,144
	अजजा कर्मचारियों की संख्या	6,28,768
	अपिव कर्मचारियों की संख्या	12,67,308
	अन्य कर्मचारियों की संख्या	11,42,292
6.	हथकरघा कर्मी के द्वारा एक वर्ष में कार्य के औसत दिनों की संख्या	207

सरकार के द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलें समूह विकास, ऋण की उपलब्धता, निर्यात प्रोत्साहन, वैधानिक प्रावधानों में मदद करने वाला माहौल, बुनकरों के सामाजिक कल्याण के लिए योजनाओं का प्रावधान, अधोसंरचना विकास, कच्चे माल की उपलब्धता, ब्रांड निर्माण, विपणन तथा शोध एवं विकास पर केंद्रित हैं।

बुनकरों की सेवा के लिए सात डिजाइन रिसोर्स सेंटर (डीआरसीएस) दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर, वाराणसी, गुवाहाटी, भुवनेश्वर एवं मुंबई में स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य हथकरघा के क्षेत्र में डिजाइन ओरिएंटेड उत्कृष्टता हासिल करना तथा बुनकरों, निर्यातकों, निर्माताओं एवं डिजाइनर्स को नए डिजाइन सृजित करने के

लिए प्रोत्साहित करना है।

भारत में कृषि क्षेत्र के बाद हथकरघा बुनाई ऐसा दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक गतिविधियों वाला क्षेत्र है, जिसमें 43.31 लाख बुनकरों एवं सहयोगी कर्मचारियों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है और इनमें 77 प्रतिशत महिलाएं हैं। यह क्षेत्र देश के कपड़ा उत्पादन में लगभग 15 प्रतिशत का योगदान देता है तथा देश की निर्यात से होने वाली आय में भी सहायक है। दुनिया में 95 प्रतिशत हाथ से बुना हुआ कपड़ा भारत से ही जाता है। भारत के लगभग हर प्रदेश में हथकरघा का एक अद्वितीय उत्पाद बनता है, जैसे – उत्तर प्रदेश में जैकर्ड, मध्य प्रदेश में चंदेरी, पंजाब में फुलकारी, बनारस में ब्रोकेयर एवं पश्चिम बंगाल में डाकाई।

सरकारी सहायता

हथकरघा क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा कॉम्प्रेहेंसिव हैंडलूम क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, यार्न सप्लाई स्कीम संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

कॉम्प्रेहेंसिव हैंडलूम क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम : इस योजना का उद्देश्य मेगा हैंडलूम क्लस्टर का विकास करना है, जोकि स्पष्ट तौर पर पहचाने जा सकने वाले भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित हों। ये क्षेत्र किसी विशेष उत्पाद से संबंधित हों तथा आपस में जुड़े हुए हों। इन स्थानों पर इन उत्पादों के अनुकूल अधोसंरचना सुविधाएं, बेहतर भंडारण सुविधाएं, प्रौद्योगिकी उन्नयन, वीविंग शेड, कौशल उन्नयन, डिजाइन इनपुट, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि मौजूद हों।

नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम : सरकार के इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं एवं घटक शामिल हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

ब्लॉक लेवल क्लस्टर : वर्ष 2015-16 में पेश की गई यह योजना विभिन्न हस्तक्षेपों जैसे – कौशल उन्नयन आदि में प्रति ब्लॉक लेवल क्लस्टर दो करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वित्तीय सहायता के अलावा जिला स्तर पर एक रंग शाला स्थापित करने

के लिए भी 50 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं।

यार्न सप्लाई स्कीम : सभी प्रकार के यार्न मिलगेट कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए यह योजना पूरे देश में चलाई जा रही है। यह योजना नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत परिवहन भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाती है तथा दो प्रतिशत डिपो संचालन शुल्क डिपो का संचालन करने वाली एजेंसी को दिया जाता है। हैंक यार्न पर 10 प्रतिशत मूल्य अनुदान भी उपलब्ध है जोकि कॉटन, घरेलू सिल्क एवं ऊनी यार्न पर गुणवत्ता कैप के साथ दिया जाता है।

भारतीय हथकरघा का पूरी दुनिया में निर्यात किया जाता है। प्रमुख रूप से अमेरिका, इंग्लैंड, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, फ्रांस, लैटिन अमेरिकी देश, इटली नीदरलैंड्स एवं कनाडा भारतीय हथकरघा उत्पादों के प्रमुख आयातक हैं। अमेरिका भारतीय हथकरघा उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक है, इसके बाद इंग्लैंड, इटली एवं जर्मनी का स्थान है। दुनिया के लगभग 125 देश भारत से हथकरघा उत्पाद खरीदते हैं।

वर्तमान समय में हथकरघा के क्षेत्र में मूल्य वर्द्धन की प्रक्रिया जारी है, हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है तथा बड़े स्तर के खुदरा व्यापारी हथकरघा उत्पादों के विक्रय कार्य से जुड़े हुए हैं। हथकरघा क्षेत्र में उच्च दक्षता प्राप्त कारीगरों की उपलब्धता है जो गूढ़ एवं महीन उत्पादों का सृजन करने में माहिर हैं साथ ही बदलते समय की जरूरतों के अनुरूप उत्पादों को ढालने की भी क्षमता इन कारीगरों में हैं। यह एक ऐसा उद्योग क्षेत्र है जिसमें अधिक जटिल प्रौद्योगिकी और बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। इन वस्त्रों के निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली प्रौद्योगिकी व प्रक्रिया पर्यामित्र होती है। हालांकि इस उद्योग क्षेत्र को पॉवरलूम एवं मिल क्षेत्र की तुलना में कम उत्पादन, प्रौद्योगिकी उन्नयन की सीमित संभावना, बुनाई की निम्न गतिविधियों में सुधार, कुशल कारीगरों के अन्य क्षेत्रों में शिफ्ट होने की प्रवृत्ति तथा ऋण उपलब्धता में बाधा जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है।

संदर्भ स्त्रोत : https://www.investindia.gov.in

मध्य प्रदेश में संचालित प्रमुख योजनाएं

कौशल विकास योजना

हथकरघा एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्यरत प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों, स्व-सहायता समूहों, उद्यमियों, व्यक्तिगत बुनकरों/शिल्पियों को आत्मनिर्भर बनाने, ग्रामोद्योग उत्पादों को बाजार योग्य बनाने हेतु तकनीकी सपोर्ट, प्रशिक्षण, विशेषज्ञों की सेवाएं, उन्नत उपकरण, शिक्षण संस्थाओं में प्रदेश के बुनकरों/शिल्पियों के युवाओं को प्रशिक्षण दौरान छात्रवृत्ति एवं अन्य प्रासंगिक व्ययों की पूर्ति हेतु सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्रों के लिए कौशल विकास योजना का संचालन किया जा रहा है।

क्रियान्वयन इकाईयां

इस योजना का क्रियान्वयन निम्नानुसार इकाईयों के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है :

बुनकर/औद्योगिक समितियां : इसके अंतर्गत म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत समितियां योजना के क्रियान्वयन हेतु पात्र हैं।

स्व-सहायता समूह : इसके अंतर्गत हथकरघा/ हस्तशिल्प/ उद्योग से संबंधित गतिविधियों के लिए गठित समूह जिनके द्वारा अपने सदस्यों से बचत राशि प्राप्त कर बैंक में जमा की जाती है तथा उत्पादन गतिविधियां संचालित की जा रही हों, वे योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।

उद्यमी : ऐसे व्यक्ति जो बुनकरों/शिल्पियों/उद्यमियों से उत्पादन एवं विपणन कराता हो, योजनांतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है।

अशासकीय संस्थाएं : पंजीकृत संस्था जो बुनकरों/ शिल्पियों/ उद्यमियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की गतिविधियों में संलग्न हों, योजनांतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

शासकीय संस्थाएं : निगम, बोर्ड एवं विभागीय प्रशिक्षण संस्थाएं जो हथकरघा एवं हस्तशिल्प से संबंधित कार्यों में संलग्न हैं उनके माध्यम से भी यह योजना क्रियान्वित की जाती है।

वित्तीय सहायता की मदें : योजनांतर्गत निम्नानुसार मदों में वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के प्रावधान हैं :-

1. बुनियादी प्रशिक्षण
2. कौशल उन्नयन प्रशिक्षण
3. उन्नत हथकरघे, सहायक उपकरण, प्रीलूम-पोस्टलूम फेसिलिटी, रंगाई उपकरण।
4. हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग से संबंधित उपकरण आदि के लिए।
5. भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित 3 वर्षीय हेण्डलूम डिप्लोमा कोर्स के लिए प्रदेश के लिए आरक्षित 10 सीटों में प्रशिक्षरणरत 18 से 45 वर्ष के युवक-युवतियों को प्रशिक्षण के दौरान शिष्यवृत्ति हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।
6. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित टेक्सटाईल, हथकरघा, हस्तशिल्प से संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों एवं शिक्षण संस्थाओं में प्रदेश के बुनकरों, शिल्पियों, युवाओं को प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति एवं अन्य प्रारंभिक व्ययों की पूर्ति के लिए सहायता।
7. हथकरघा/हस्तशिल्प कार्य के लिए सामान्य सुविधा केंद्र/रंगाईशाला के निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु सहायता।

वित्तीय सहायता की सीमाएं : योजनांतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता की सीमाएं निम्नानुसार निर्धारित हैं :-

1. हथकरघा बुनियादि प्रशिक्षण

समयावधि 4 माह, अधिकतम 10 हितग्राही प्रति सत्र

क्र.	विवरण	राशि प्रति सत्र
1.	छात्रवृत्ति (रु. 100/- प्रतिदिन 6 माह के लिए) (100X10X104 दिन)	1,04,000/-
2.	मास्टर ट्रेनर का मानदेय (600X104 दिन)	62,400/-
3.	कच्चा माल प्रति माह रु. 500/- प्रति प्रशिक्षणार्थी (500X10X4)	20,000/-
4.	डॉक्यूमेंटेशन	3,000/
	योग	**189,400/-**
5.	प्रशासनिक एवं विविध व्यय 15 प्रतिशत	28,410/-
	महायोग	**217,810/-**

हथकरघा कौशल उन्नयन प्रशिक्षण

अवधि 45 दिवस

अधिकतम 10 हितग्राही प्रति सत्र

क्र.	विवरण	राशि प्रति सत्र
1.	छात्रवृत्ति (रु. 210/-प्रतिदिन 45 दिन लिए) (210 X45 X10)	94,500/-
2.	मास्टर ट्रेनर का मानदेय (600 X45 दिन)	27,000/-
3.	कच्चा माल प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति सत्र (1000 X10 X2)	20,000/-
4.	डाक्यूमेंटेशन	3,000/
	योग	**1,44,500/-**
	प्रशासकीय व्यय/विविध व्यय 15 प्रतिशत	21,675/-
	महायोग	**166,175/-**

रंगाई/प्रिंटिंग प्रशिक्षण

अवधि 15 दिवस अधिकतम 10 प्रशिक्षणार्थी प्रति सत्र

क्र.	विवरण	राशि प्रति सत्र
1.	छात्रवृत्ति (रु. 210 प्रतिदिन 15 दिवस के लिए) (210 X15X10)	31,500/-
2.	मास्टर ट्रेनर का मानदेय (600 X15 दिवस)	9,000/-
3.	कच्चा माल रंग रसायन प्रति सत्र	18,000/-
4.	टूलकिट आदि प्रति प्रशिक्षणार्थी रु. 1,500/- प्रति सत्र	15,000/-
5.	डाक्यूमेंटेशन	3,000/-
	योग	**76,500/-**

	प्रशासकीय व्यय/विविध व्यय का 5 प्रतिशत	3,825/-
	महायोग	80,325/-

डिजाईन डेवलपमेंट प्रशिक्षण

अवधि 30 दिवस

अधिकतम प्रशिक्षणार्थी 10 प्रति सत्र

क्र.	विवरण	राशि प्रति सत्र
1.	छात्रवृत्ति (रु. 210 प्रतिदिन 30 दिवस के लिए) (210X30X10)	63,000
2.	मास्टर ट्रेनर का मानदेय (600X30)	18,000
3.	टूलकिट, पेपर डिजाइन, ड्राईंग बोर्ड आदि प्रति प्रशिक्षणार्थी रु. 1500/- (1500 X10X2)	30,000
4.	डाक्यूमेंटेशन	3,000
	योग	**1,14,000**
	प्रशासकीय व्यय/विविध व्यय 5 प्रतिशत	5,700
	महायोग	**1,19,700**

हस्तशिल्पियों को बुनियादी प्रशिक्षण

अवधि 72 दिवस

10 हितग्राही प्रति सत्र

क्र.	विवरण	राशि प्रति सत्र
1.	छात्रवृत्ति (रु.100/- प्रतिदिन, 72 दिन के लिए) (100X10 X72)	72,000/-
2.	मास्टर ट्रेनर का मानदेय (600 X72)	43,200/
3.	कच्चा माल रु. 500/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति सत्र 3 माह के लिए (500 X 10 X3)	15,000/-
4.	डाक्यूमेंटेशन	3,000
	प्रशासनिक एवं विविध व्यय 5 प्रतिशत	6660/
	महायोग	**1,39,860/-**

हस्तशिल्पियों के लिए उन्नत प्रशिक्षण

अवधि 45 दिन

10 प्रशिक्षणार्थी प्रति सत्र

क्र.	विवरण	राशि प्रति सत्र
1.	छात्रवृत्ति (रु. 210 प्रतिदिन 45 दिन के लिए) (210X45X10)	94,500/-
2.	मास्टर ट्रेनर का मानदेय (रु.600/- प्रति दिन X 45 दिवस)	27,000/-
3.	उपकरण एवं टूल्स	10,000/-
4.	कच्चा माल (45 हितग्राही X रु.100/- X 10 दिन)	45,000/-
	योग	**1,7500/-**
	प्रशिक्षण संस्थान का किराया एवं अन्य विविध व्यय 15 प्रतिशत	26,475/-
	महायोग	2,02,975/-

उपकरण प्रदाय :

योजनांतर्गत हथकरघा एवं हस्तशिल्पियों को उपकरण खरीदने के लिए भी राशि प्रदान की जाती है जिसका विवरण निम्नानुसार है :

हथकरघा

क्र.	विवरण	अधिकतम राशि
1.	कम्पलीट हथकरघा (फ्रेम लूम, पिट लूम, तारा लूम व अन्य उन्नत करघे) प्रति करघा 36" से 60" तक (रीड, हील्ड, बॉबिन, शटल एवं समस्त सहायक उपकरण सहित) प्रति करघा	रु. 25,000/-

	कम्पलीट हथकरघा (फ्रेम लूम, पिट लूम, तारा लूम व अन्य उन्नत करघे) 60" से अधिक (रीड, हील्ड, बाबिन, शटल एवं समस्त सहायक उपकरण सहित)	रु. 30,000/- प्रति हथकरघा
2.	जेकार्ड कम्पलीट सेट इंस्टालेशन सहित प्रति सेट	रु. 15,000/-
	कम्पलीट डॉबी, अन्य सहायक उपकरण प्रति लूम पर	रु. 5,000/-
3.	रंगाई एवं प्रोसेसिंग उपकरण प्रति हितग्राही	रु. 10,000/-
4.	सामान्य सुविधा केंद्र एवं रंगाई घर के निर्माण हेतु आदि	रु.5,00,000/-
5.	सामान्य सुविधा केंद्र एवं रंगाई घर की मरम्मत	रु.2,00,000/-

हस्तशिल्प : योजनांतर्गत हस्तशिल्प क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार उपकरण क्रय हेतु न्यूनतम प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य के आधार पर सहायता स्वीकृति की जाती है।

अनुदान की सीमा : हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में उपरोक्त मदों में उपकरण की 90 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा आवेदक संस्था/हितग्राही/समूह द्वारा 10 प्रतिशत राशि जमा करने पर ही स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। सामान्य सुविधा केंद्र एवं रंगाई घर के निर्माण एवं मरम्मत हेतु अधिकृत शासकीय एजेंसियों के प्राकलन की 75 प्रतिशत सहायता स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। शेष 25 प्रतिशत राशि क्रियान्वयन एजेंसी को वहन करना होगी।

पात्रता

योजनांतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु क्रियान्वयन एजेंसी से निम्नानुसार पात्रताएं अपेक्षित हैं :-

1. क्रियान्वयन एजेंसी को उसके उद्देश्यों एवं गतिविधियों के अंतर्गत सहायता की पात्रता होगी।
2. आवेदक संस्था विगत 3 वर्षों से हथकरघा/हस्तशिल्प के माध्यम से स्वयं के व्यापार व्यवसाय में संलग्न हो।
3. संस्था/समूह को प्रशिक्षित हितग्राहियों को स्वयं के अथवा संस्था/समूह में व्यापार व्यवसाय में संलग्न करना आवश्यक होगा।

सहायता स्वीकृति की प्रक्रिया

योजनांतर्गत सहायता स्वीकृति की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित है :-

1. संबंधित समिति, समूह, उद्यमी, अशासकीय संस्था एवं शासकीय संस्था द्वारा प्रस्ताव तैयार कर संबंधित जिले के सहायक संचालक/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना होगा।

2. मध्यप्रदेश वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2012 भाग-एक एवं मध्यप्रदेश वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-दो में प्रदत्त अधिकारों के तहत स्वीकृति की कार्यवाही संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा की जाएगी।

योजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग : योजनांतर्गत स्वीकृत सहायता की मॉनिटरिंग विभागाध्यक्ष कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा की जाएगी।

विविध : इन नियमों के संबंध में कोई भी विवाद होने पर राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।

संदर्भ/स्त्रोत : हथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय मप्र, **भोपाल वेबसाइट :** http://mpgramodyogglobal.gov.in/

हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र के सहायतार्थ

संचालित विपणन सहायता योजना

प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग से संबंधित उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ाने तथा विकास कार्यों का अभिलेखीकरण जिसमें डिजाईन, डिक्शनरी प्रकाशन, ब्रोशर प्रिंटिंग, परियोजना प्रतिवेदन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग तथा बेस्ट प्रेक्टिसेस आदि नवीन उत्पादों/विकसित उत्पादों की टेस्ट मार्केटिंग हेतु प्रदर्शनी आदि के आयोजन हेतु सहायता, हथकरघा, हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहन हेतु प्रदेश व प्रदेश के बाहर मेला प्रदर्शनी आयोजन हेतु सहायता, निर्यात बाजारों की खोज हेतु सेम्पल तैयार करने, उनके प्रदर्शन, आने-जाने, ठहरने, स्टाल रेंट हेतु सहायता, प्रदेश के बाहर देश के भीतर आयोजित विभिन्न एक्सपो/मेला प्रदर्शनी आदि को माल के परिवहन तथा दो व्यक्तियों के आने-जाने के किराए, स्टाल रेंट हेतु सहायता, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन के आयोजन तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों में भागीदारी हेतु सहायता दिए जाने का प्रावधान है।

क्रियान्वयन एजेंसी : इस योजना का क्रियान्वयन निगम, अशासकीय संस्थाएं, शासकीय संस्थाएं, हथकरघा क्लस्टर क्लब एवं राज्य स्तरीय क्लस्टर डेवलपमेंट सेल, स्व-सहायता समूह आदि के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है।

वित्तीय सहायता की मदें : योजनांतर्गत निम्नानुसार गतिविधियों हेतु सहायता दिए जाने का प्रावधान है :-

1. ब्रोशर आदि प्रकाशन सामग्री की प्रिंटिंग।
2. डिजाईन सीडी/फिल्म आदि के निर्माण।
3. डायग्नोस्टिक स्टडी/रिपोर्ट तैयार करना।
4. इलेक्ट्रॉनिक्स/प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार।
5. बेस्ट प्रेक्टिसेस के अभिलेखीकरण।
6. हथकरघा, हस्तशिल्प एवं रेशम की पुरातन एवं नवीन परंपरा का अभिलेखीकरण।
7. नवीन उत्पादों/विकसित उत्पादों की टेस्ट मार्केटिंग हेतु प्रदर्शनी आदि के आयोजन हेतु सहायता।
8. हथकरघा, हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहन हेतु प्रदेश व प्रदेश के बाहर मेला प्रदर्शनी आयोजन हेतु सहायता।
9. निर्यात बाजारों की खोज हेतु सेम्पल तैयार करने, उनके प्रदर्शन, आने-जाने, ठहरने, स्टाल रेंट हेतु सहायता।
10. प्रदेश के बाहर देश के भीतर आयोजित विभिन्न एक्सपो/मेला प्रदर्शनियों आदि में माल के परिवहन तथा दो व्यक्तियों के आने-जाने के किराए, स्टाल रेंट हेतु सहायता।
11. क्रेता-विक्रेता सम्मेलन के आयोजन तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों में भागीदारी हेतु सहायता।
12. अन्य ऐसी मदें जो संबंधित विभागाध्यक्ष उचित एवं आवश्यक समझे।

वित्तीय सहायता की सीमाएं : सरकार की इस योजनांतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने की सीमाएं निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं :-

1. ब्रोशर आदि प्रकाशन सामग्री की प्रिंटिंग, डिजाईन सीडी/फिल्म आदि के निर्माण, डायग्नोस्टिक स्टडी/रिपोर्ट तैयार करने, इलेक्ट्रॉनिक्स/प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार, बेस्ट प्रेक्टिसेस के अभिलेखीकरण, हथकरघा, हस्तशिल्प एवं रेशम की पुरातन एवं नवीन परंपरा का अभिलेखीकरण आदि हेतु वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा शासकीय एजेंसियों की नियत दरें या न्यूनतम प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर आधारित होगी।
2. नवीन उत्पाद की टेस्ट मार्केटिंग (दो प्रदर्शनियों के लिए)

रुपए 2.00 लाख प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

3. मेला प्रदर्शनी एवं क्रेता-विक्रेता सम्मेलन के आयोजन हेतु निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है :-

अ.	प्रदेश में जिला व संभाग स्तर पर आयोजन हेतु	रु. 3.00 लाख
ब.	प्रदेश के महानगरों में आयोजन हेतु	रु. 8.00 लाख
स.	प्रदेश के बाहर महानगरों में आयोजन हेतु	रु. 10.00 लाख

4. प्रदेश के बाहर मेला प्रदर्शनी एवं क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में भागीदारी एवं माल परिवहन हेतु 2 व्यक्तियों के आने-जाने का स्लीपर क्लास या बस का न्यूनतम किराया, स्टाल, रेंट, ठहरने की सुविधा माल परिवहन का व्यय आदि हेतु अधिकतम रुपए 35,000/- की सहायता दिए जाने का प्रावधान है।

5. निर्यात प्रदर्शनी में सेंपल, स्टाल, रेंट व आने-जाने के लिए एक प्रदर्शनी हेतु अधिकतम रुपए 2.00 लाख अथवा वास्तविक खर्च का 75 प्रतिशत जो भी कम हो प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

6. डायग्नोस्टिक स्टडी हेतु प्रति स्टडी राशि अधिकतम रु. 1.00 लाख दिए जाने का प्रावधान है।

पात्रता : योजनांतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नानुसार पात्रताएं निर्धारित हैं :-

अ. निगम, अशासकीय संस्थाएं, शासकीय संस्थाएं, हथकरघा क्लस्टर क्लब एवं राज्य स्तरीय क्लस्टर डेवलपमेंट सेल, स्व-सहायता समूह जो हथकरघा एवं हस्तशिल्प की गतिविधियों, व्यापार-व्यवसाय में विगत तीन वर्षों से लगातार संलग्न हों तथा संस्था की आय का मुख्य स्त्रोत हो।

ब. आवेदक संस्था किसी बैंक/वित्तीय संस्था का अशोधी न हो।

संदर्भ/स्त्रोत :

हथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय मप्र, भोपाल

हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र के सहायतार्थ

संचालित एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम

मध्य प्रदेश के ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत क्लस्टरों को विशिष्ट बनाना, वर्तमान क्लस्टरों को सुदृढ़ करना तथा नवीन क्लस्टरों को विकसित करना, क्लस्टरों में वित्तीय समर्थन को बढ़ाने हेतु डायग्नोस्टिक स्टडी करना, नवीन एवं आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन एवं विकास, अन्य आवश्यक इनपुट, डिजाईन, बाजार लिंकेज, सलाहकारों की सेवाएं लेना, कमियों को चिन्हित करने हेतु अध्ययन, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, क्लस्टर में लघु एवं मध्यम उद्यमियों अशासकीय संस्थाओं को समर्थन देने हेतु सेमीनार, वर्कशाप, अध्ययन भ्रमण आदि का आयोजन करना तथा अन्य हथकरघा संबंधी गतिविधियों/आवश्यकताओं हेतु सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

योजना के तहत क्लस्टर अंतर्गत बुनियादि आवश्यकता, सड़क, नाली, पेयजल, विद्युत प्रदाय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं, अधोसंरचना, प्री-लूम, पोस्ट लूम सुविधाओं की स्थापना किए जाने का प्रावधान है।

क्रियान्वयन एजेंसियां : यह कार्यक्रम शासकीय विभाग, शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय संस्थाओं, स्थानीय निकाय, निगम, बोर्ड, क्लस्टर क्लब एवं राज्य स्तरीय क्लस्टर डेवलपमेंट सेल के माध्यम से क्रियान्वित किए जाने का प्रावधान है।

वित्तीय सहायता की मदें : योजनांतर्गत निम्नानुसार कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है :-

1. डायग्नोस्टिक स्टडी ऑफ क्लस्टर।

2. उपकरणों का विकास प्रदर्शन एवं प्रदाय अन्य तकनीकी इनपुट, डिजाईन, मार्केट लिंकेज, सलाहकारों की सेवाएं लेना, क्षेत्र संबंधी कमियों का अध्ययन करना तथा उनकी पूर्ति हेतु सहायता।

3. प्रशिक्षण, सेमिनार, तकनीकी एवं बाजार अध्ययन प्रवास हेतु सहायता।

4. सामान्य सुविधा केंद्र, सड़क, नाली, पेय जल स्त्रोत, विद्युत प्रदाय व्यवस्था/सौर ऊर्जा संयंत्र एवं अन्य अधोसंरचना निर्माण हेतु सहायता देना।

5. विशेषज्ञों/सलाहकारों की सेवाएं लेने हेतु टीए/डीए फीस आदि का भुगतान।

6. उद्यमिता तथा प्रबंधकीय क्षमता में विकास हेतु कार्यक्रम आयोजित करना।

7. अन्य क्रिटिकल एक्टिविटी जो क्लस्टर के विकास के लिए आवश्यक है।

वित्तीय सहायता की सीमा : योजनांतर्गत विभिन्न कार्यों/गतिविधियों के लिए निम्नानुसार सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है :

क्र.	विवरण	सहायता राशि
1.	डायग्नोस्टिक स्टडी	रु. 0.50 लाख प्रति स्टडी
2.	सेमिनार, वर्कशॉप, तकनीकी बाजार अध्ययन	रु. 1.50 लाख प्रति परियोजना
3.	विशेषज्ञों की फीस	रु. 1.50 लाख प्रति परियोजना
4.	यात्रा एवं अन्य व्यय	रु. 1.50 लाख प्रति परियोजना
5.	ट्रेनिंग/टूल/उपकरण/डिजाईन/ तकनीकी इनपुट उपकरण हेतु न्यूनतम प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य, किंतु संस्थागत एजेंसियों से प्राप्त विशिष्ट सेवाओं पर यह लागू नहीं होगा।	
6.	सामान्य सुविधा केंद्र, सड़क, नाली, पेयजल स्त्रोत/प्रदाय, अधिकृत तकनीकी एजेंसियों/विशेषज्ञों की विद्युत प्रदाय व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं शिक्षा एवं अन्य आधारभूत प्राक्कलन अनुसार बुनियादि सुविधाओं का निर्माण क्रिटिकल एक्टिविटी	

सहायता स्वीकृति की प्रक्रिया : योजनांतर्गत सहायता स्वीकृति की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित है :-

1. राशि रुपए 10.00 लाख तक की वित्तीय स्वीकृति के अधिकार विभागाध्यक्ष को होंगे। सहायता की द्विसंवृत्ति (डुप्लीकेशन) ना हो, इस हेतु उक्त स्वीकृति आदेश की प्रति विभागाध्यक्ष/प्रबंध संचालकों को दी जाएगी।

2. राशि रु. 10.00 लाख से अधिक के प्रस्तावों का परीक्षण आयुक्त, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, संचालक रेशम, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम एवं प्रबंध संचालक, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की संयुक्त छानबीन समिति द्वारा की जाकर यह प्रमाणित किया जाएगा कि सहायता स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव में शामिल हितग्राही गतिविधियों की अन्य घटक के प्रस्तावों की द्विसंवृत्ति (डुप्लीकेशन) नहीं हुई है। प्रस्तावों की स्वीकृति राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा दी जाएगी जिसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग होंगे तथा सदस्य विभाग प्रमुख एवं घटकों के प्रबंध संचालक सदस्य होंगे। समिति की स्वीकृति उपरांत स्वीकृति कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के संबंधित घटक के विभागाध्यक्ष द्वारा जारी की जाएगी।

योजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग

परियोजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग राज्य स्तरीय स्टीयिरिंग कमेटी द्वारा विभागाध्यक्ष/बोर्ड/निगम स्तर पर संबंधित घटक द्वारा तथा जिला स्तर पर एक अंतर्विभागीय समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें कलेक्टर, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा तथा संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे। समिति द्वारा योजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग के साथ-साथ समय-समय पर बाह्य एजेंसी से मूल्यांकन (इम्पैक्ट असेसमेंट) कराया जाएगा।

संदर्भ/स्त्रोत : हथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय मप्र, भोपाल **वेबसाइट :** http://mpgramodyogglobal.gov.in/

हथकरघा वस्त्रों की विश्वसनीयता का प्रतीक :

हैंडलूम मार्क प्राप्त करने हेतु नियम/प्रक्रिया व प्रावधान

भारतीय बुनकरों की सुविधा, उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हाथ से बुनाई की प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु विकास आयुक्त, हथकरघा, भारत सरकार के द्वारा सघन प्रयास किए जा रहे हैं। हाथ से बुनाई की गुणवत्ता एवं कार्य की दशाओं में सुधार करने के लिए बड़ी संख्या में हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां भी लगातार प्रयासरत हैं। देश भर में फैले नौ भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान हथकरघा बुनाई में नई पीढ़ी को विशेषज्ञ प्रशिक्षण देने में संलग्न हैं ताकि हाथ से बुनाई की विरासत को जारी रखा जा सके।

भारत में 500 से अधिक विशेषीकृत हथकरघा बुनाई समूह हैं जोकि देशभर में फैले हुए हैं। आधुनिक विश्व की बदलती उपभोक्ता मांग को पूरा करने के लिए भारत में हथकरघा बुनाई का क्षेत्र रोज नया रूप ले रहा है। पश्चिमी दुनिया में 1960 एवं 1970 के दशक में जहां मद्रास चेक, चीजक्लॉथ एवं सीरसकर का क्रेज था वहीं आज के समय में विभिन्न प्रकार के इनोवेशन्स जैसे हैवी केस्मन्ट, रिसाइकल्ड रग्स एवं जैकार्ड वूवन फैब्रिक वाले थिक कॉटन एवं सिल्क फैब्रिक प्रचलित हैं। विश्वप्रसिद्ध हस्तियां एवं डिजाइनर्स दुनियाभर में भारतीय हथकरघा वस्त्रों की शोहरत बढ़ा रहे हैं। भारतीय हथकरघा वस्त्र आज ग्लोबल स्टाइल स्टेटमेंट्स बन चुके हैं। भारत से निर्यात होने वाले हाथ से बुने वस्त्रों में 50 प्रतिशत से अधिक होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जैसे चादर-तकिया, पर्दे, टेबल एवं किचन लिनेन, कुशन कवर एवं दरी का स्थान है। हथकरघा से बुने वस्त्रों एवं मशीन से बुने वस्त्रों में अंतर करना बहुत मुश्किल होता है। इस तथ्य के मद्देनजर हथकरघा वस्त्रों की विश्वसनीयता के प्रमाण हेतु भारत सरकार ने हथकरघा चिन्ह (हैंडलूम मार्क) प्रदान करने की व्यवस्था शुरू की है।

हथकरघा वस्त्र एवं हथकरघा बुनकर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक, पारंपरिक एवं ऐतिहासिक विरासत के अखंड भाग हैं। मानव की मूलभूत जरूरतों में से एक होने के अलावा, सकल घरेलू उत्पाद एवं निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देकर यह उद्योग देश के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में लाखों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका का साधन प्रदान करता है। इस उद्योग को स्थायी आधार पर प्रोन्नत करने के दृष्टिगत यह जरूरी है कि नए डिजाइन के साथ ऐसे गुणवत्तापूर्ण वस्त्र उत्पादित किए जाएं जोकि ग्राहकों के विश्वास एवं भरोसे पर खरे उतरें। इंडिया हैंडलूम ब्रांड इस बात का प्रतीक होता है कि कच्चा माल, प्रक्रियाकरण, अलंकार, बुनाई की डिजाइन एवं अन्य मानकों के अलावा सामाजिक एवं पर्यावरणीय अनुपालनों के दृष्टिगत संबंधित उत्पाद ग्राहक के भरोसे के काबिल है। यह प्रमाणन चिन्ह प्राप्त करने के लिए निम्नानुसार गुणवत्ताओं को पूर्ण करना होता है : –

- संबंधित उत्पादन उच्च गुणवत्ता, दोषरहित, हाथ से बुना, विश्वसनीय हो
- उत्पाद में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो
- विश्वसनीय पारंपरिक डिजाइन
- सामाजिक अनुपालनों को पूरा करता हो
- अनुपालनों को स्वैच्छिक आधार पर पूरा करता हो
- पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता हो

प्रमाणन चिन्ह लेने से लाभ :

हथकरघा वस्त्रों की विश्वसनीयता का प्रतीक हैंडलूम मार्क प्राप्त करने से उद्यमियों को निम्नानुसार लाभ होते हैं : –

- ग्राहक इस बात को लेकर निश्चिंत रहेंगे कि उन्हें प्रदान किए जा रहे उत्पाद की गुणवत्ता बताए गए ब्यौरे के अनुरूप है।
- थोक खरीदारों एवं निर्यातकों को अपनी आवश्यकता के अनुसार गुणवत्तापूर्ण वस्त्र खरीदने का विश्वसनीय स्त्रोत सुनिश्चित हो जाता है।
- बाजार से सीधे संपर्क हो जाने के कारण बुनकर को थोक में खरीदी के ऑर्डर और अच्छी कीमत मिल जाती है।

- विश्वसनीयता का प्रमाण हासिल हो जाने से बुनकर उद्यमी (युवा पीढ़ी) पारंपरिक व्यवसाय को अपना कर थोक में गुणवत्तापूर्ण हथकरघा वस्त्रों का निर्माण कर देश-विदेश में अपने उत्पादों को बेचने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।
- यह चिन्ह महिलाओं एवं वंचित वर्ग को सशक्त बनाने में सहायक होगा।

क्रियान्वयन

हैंडलूम मार्क व्यवस्था का क्रियान्वयन विकास आयुक्त, हथकरघा के द्वारा वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की वस्त्र समिति के माध्यम से किया जाता है।

ब्रांडिंग के लिए चिन्हित उत्पाद

1. साड़ी :

सूती : जामदानी, टांगेल, शांतिपुरी, धनियाखाली, बिचित्रपुरी, बोमाकाई, कोटपद, पोचमपल्ली, वेंकटगिरी, उपाडा, सिद्दीपेट, नारायणपेट, मंगलगिरी, चेटीचंड, बलरामपुरम, कासोरगोड, कुथमपल्ली, चेंदमंगलम धोती।

सिल्क : बालूचारी, मूगा सिल्क, सुआलकूची सिल्क, खंडुआ, ब्रम्हपुरी, बोमकाई सिल्क, बनारस ब्रोकेड, तान्चोई, बनारसी बूटीदार, जांगला, बनारसी कटवर्क, पोचमपल्ली, धर्मावरम, कांचीपुरम, आर्नी सिल्क, मोलकालमुरु, पैठानी, पटोला, चंपा सिल्क, अशावली सिल्क, सलेम सिल्क (धोती), उपाडा जामदानी।

सूती सिल्क साड़ी : चंदेरी, महेश्वरी, कोटा डोरिया, लिकल, गडवाल, कोवाई कोरा कॉटन।

2. ड्रेस मटेरियल

सूती : ओड़िशा इकट, पोचमपल्ली इकट

सिल्क : तानचोइ, बनारसी कटवर्क, ओडिशा इकट, पोचमपल्ली इकट, टसर फैब्रिक, मूगा फैब्रिक, मेखला/चादर

3. बेड शीट : ओडिशा इकट, पोचमपल्ली इकट

4. स्कार्फ/शॉल/चादर :

कानी शॉल (हाथ से बुनी/मिल से बुनी), किन्नौरी शॉल, कुल्लू शॉल, तानगलिया शॉल, कच्छ शॉल, वांगखेइ फी

इंडिया हैंडलूम ब्रांड के लिए कौन आवेदन कर सकता है

हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन से जुड़े निम्नानुसार प्रामाणिक फर्म/संस्थान आवेदन के पात्र हैं :-

1. प्राथमिक हथकरघा सहकारी समितियां

2. स्व सहायता समूह (एसएचजी), सहायता संघ, उत्पादक कंपनियां, संयुक्त देयता समूह (जेएलजी)

3. बुनकर उद्यमी

कैसे आवेदन करें

इसके लिए निम्नानुसार वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म में संबंधित जानकारियों को भर कर विशेषीकृत उत्पाद का उल्लेख करते हुए आवेदन भरें : www. textilescommittee. gov.in, www.handlooms.nic.in

प्रति उत्पाद की उप श्रेणी के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क जोकि रु. 500/- है ऑनलाइन अथवा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जा सकती है। यदि एक ही आवेदक सभी उत्पाद श्रेणियों के लिए आवेदन करता है तो ऐसी स्थिति में आवेदन शुल्क अधिकतम रु. 5,000/- से ज्यादा नहीं होगा। आवेदन शुल्क बुनकर सेवा केंद्र या वस्त्र समिति के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। शुल्क के बारे में अद्यतन जानकारी की पुष्टि संबंधित विभाग से करने की सलाह दी जाती है।

ब्रांडिंग की प्रक्रिया :

- आवेदन एवं उत्पादन इकाई के तथ्यों की जांच की जाएगी।
- वस्त्र के नमूने की मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में जांच की जाएगी।
- आवेदन पत्र जमा होने के तीस दिवस के भीतर ब्रांडिंग जारी की जाएगी अथवा उसमें कोई कमी पाई गई तो वह सूचित की जाएगी।
- ब्रांडिंग सामान्यत: तीन वर्षों तक वैध रहेगी, उसके बाद उसका नवीनीकरण कराया जा सकेगा।
- लोगो के साथ लेबल्स (स्टीकर्स) विक्रय किए जाने वाले प्रत्येक आईटम पर लगाया जाता है।
- ग्राहक से शिकायत प्राप्त होने पर उसका सत्यापन किया जाएगा तथा पंजीकृत एजेंसी की चूक पाए जाने पर ब्रांडिंग समाप्त कर दी जाएगी तथा इसी के साथ ग्राहक की समस्या का समाधान किया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें : https://www.hepcindia.com/

भारत से लकड़ी के फर्नीचर की निर्यात संभावनाएं

भारत की अर्थव्यवस्था में काष्ठशिल्प का एक महत्वपूर्ण स्थान है। देश में रोजगार सृजित करने वाले सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक होने के साथ ही देश के निर्यात में भी इस क्षेत्र की अहम हिस्सेदारी है। भारत में फर्नीचर उद्योग का आकार लगभग 407.84 अरब रुपए (5 अरब अमेरिकी डॉलर) का है तथा वर्तमान में इस उद्योग क्षेत्र में लगभग 3.5 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। देश में काष्ठ शिल्प के कुछ प्रमुख केंद्र सहारनपुर, नगीना, होशियारपुर, श्रीनगर, अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, जगदलपुर, आगरा, मुंबई, गुवाहाटी, नरसापुर (आंध्र प्रदेश), बेंगलोर, मैसूर, चेन्नपटना, मद्रास, केरल एवं बेरहामपुर (पश्चिम बंगाल) में हैं।

हस्तशिल्प के निर्यात में प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय समूह (क्लस्टर्स) महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस क्षेत्र के निर्यात में 25,500 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। देश में लगभग 122.36 अरब रुपए (1.5 अरब डॉलर) के फर्नीचर का कारोबार होने के बावजूद निर्यात में इसकी हिस्सेदारी महज 0.5 प्रतिशत है। भविष्य में फर्नीचर निर्यात में विकास एवं वृद्धि की प्रचुर संभावनाएं मौजूद हैं तथा इसका निर्यात कारोबार वर्तमान के 2,800 करोड़ रु. (400 मिलियन अमेरिकी डॉलर) से बढ़कर 71,000 करोड़ रुपए (10 अरब अमेरिकी डॉलर) तक पहुंचने का अनुमान है। भारतीय घरेलू फर्नीचर बाजार के वर्ष 2020-2024 की अवधि के दौरान 12.91 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से विस्तारित होने के आसार हैं। वहीं लोगों की बढ़ती आबादी और जरूरतें, सरकार द्वारा गृह निर्माण के लिए दिए जा रहे अनुदान के

साथ ही सामाजिक-आर्थिक विकास के कारण वर्ष 2024 तक आवासीय फर्नीचर का बाजार 5 प्रतिशत चक्रवृद्धि विकास दर से बढ़ने का अनुमान है।

पर्यामित्र उत्पादों पर रहेगा जोर

आउटडोर फर्नीचर के बाजार में वर्ष 2019 में लकड़ी के खंड का रेवेन्यू शेयर 50 प्रतिशत से ज्यादा था तथा वर्ष 2020-2026 के दौरान इसके 5.3 प्रतिशत विकास दर हासिल कर लेने का अनुमान है। फर्नीचर निर्माता अब पर्यामित्र सामग्रियों जैसे मोसो, बांस, की ओर रुख कर रहे हैं जोकि ओक की तुलना में ज्यादा मजबूत एवं कड़े होते हैं। प्राकृतिक जैसा दिखने के कारण अन्य समकक्ष सामग्रियों की तुलना में ये लकड़ी का पसंदीदा विकल्प बन रहे हैं। फर्नीचर बनाने के लिए महोगनी, रक्तदारु, सागौन, देवदार, चीड़, नीलगिरी एवं कंपोजिट मटेरियल का प्रयोग किया जाता है।

- अधिक टिकाउपन एवं मजबूती के साथ कम कीमत में उपलब्धता तथा अच्छी गुणवत्ता के चलते लकड़ी से बनी सामग्रियों की आने वाले वर्षों में मांग बढ़ेगी। हरित भवनों को मिल रही प्राथमिकता इस उत्पाद के विक्रय में संवर्द्धन की राह प्रशस्त करेगी।
- इस क्षेत्र में कुर्सियां सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाले उत्पाद खंड में शामिल हैं तथा इनमें वर्ष 2026 तक 6 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर अनुमानित है। अत्यधिक आरामदेह सामग्री तथा वाटरप्रूफ मटेरियल से बनी कुर्सियां बाजार की पसंद बनने में मददगार हो सकती हैं। इसके अलावा विभिन्न आकर्षक रंगों एवं सुविधाजनक साइज में उपलब्धता इस उत्पाद की लोकप्रियता का कारण बनता जा रहा है।
- आवासीय जरूरतों के लिए उपयोग किए जाने वाले फर्नीचर की वर्ष 2019 में बाजार में हिस्सेदारी लगभग 65 प्रतिशत थी। कई देशों में आय का स्तर बढ़ने के कारण रहवासी एवं अरहवासी दोनों ही क्षेत्रों में फर्नीचर की खरीदी को प्रोत्साहन मिल रहा है। बढ़ते शहरीकरण के कारण बैठक व्यवस्था में परिवर्तन का चलन भी इस उत्पाद की बिक्री बढ़ने के प्रमुख वाहक के तौर पर उभर रहा है। गृह-कार्यालय फर्नीचर खंड में हो रहा तेज विकास एक ऐसा अवसर है जिसका लाभ फर्नीचर निर्माता उठा सकते हैं।
- भारत को अपना ध्यान बच्चों के खिलौने, लकड़ी के खिलौनों, चारपाई जैसे उत्पादों पर केंद्रित करना चाहिए। फर्नीचर की इस श्रेणी की वर्ष 2025 तक वैश्विक बाजार में अच्छी मांग उभरेगी।
- ऑफिस के लिए लकड़ी के कैबीनेट भी वैश्विक मांग के लिहाज से संभावनापूर्ण उत्पादों में शामिल हैं। वर्ष 2025 तक वैश्विक बाजार में उभरने वाली मांग की पूर्ति के लिए भारत को अपनी आपूर्ति क्षमता में सुधार की जरूरत है।
- फर्नीचर के बारे में अपेक्षित है कि भारत सरकार को वैश्विक प्रतिस्पर्द्धियों का मुकाबला करते हुए वैश्विक बाजार की उच्च मांग का लाभ उठाने के लिए विकास दर बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

- लेदर फर्नीचर में वर्ष 2025 तक भारत का निर्यात वैश्विक मांग के अनुरूप नहीं होगा। भारत के लिए निर्यात मूल्य उच्च होगा, अतः हमें अपनी आपूर्ति क्षमताओं को बढ़ाने की ओर ध्यान देना होगा।
- शेष अन्य उत्पादों जैसे लकड़ी के नक्काशीदार फर्नीचर, बेंत के बास्केट, बांस के फर्नीचर तथा पर्या–मित्र उत्पाद में विश्व बाजार में भारत की स्थिति अनुकूल रहने की उम्मीद है।

विश्व बाजार में भारतीय फर्नीचर की व्यावसायिक संभावनाएं

हर देश की अपनी एक अलग परंपरा एवं संस्कृति होती है, जिसके आधार पर वहां फर्नीचर की पसंद तय होती है। अमेरिका, चीन, जापान, भारत एवं ब्राजील आदि ऐसे देश हैं जहां लकड़ी के फर्नीचर के बाजार में विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं। उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप आय सृजन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल हैं, यहां बगीचों एवं बाह्य स्थलों के लिए फर्नीचर की अधिक मांग होती है। उत्तरी अमेरिका एवं यूरोपीय देशों में पारंपरिक गृहों की बहुतायत है। साथ ही यहां बड़ी संख्या में घरों के बाहर बगीचे भी होते हैं। दक्षिण अमेरिका में आउटडोर फर्नीचर उद्योग का बाजार वर्ष 2026 तक 6.4 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

वैश्विक बाजार में वर्ष 2025 तक संभावना वाले उत्पाद व देश

देश	उत्पाद
अमेरिका	बेडरूम फर्नीचर बच्चों के फर्नीचर लकड़ी के खिलौने
यूरोपीय संघ	बेडरूम फर्नीचर बच्चों के फर्नीचर लकड़ी के खिलौने
जापान	बेडरूम फर्नीचर बच्चों के फर्नीचर लकड़ी के खिलौने
लैटिन अमेरिका	बच्चों के फर्नीचर लकड़ी के खिलौने
सीआईएस	लकड़ी के खिलौने बच्चों के फर्नीचर फर्नीचर
ऑस्ट्रेलिया	लकड़ी के खिलौने बच्चों के फर्नीचर शयनकक्ष के फर्नीचर
एशियान	लकड़ी के खिलौने बच्चों के फर्नीचर फर्नीचर

अमेरिका में निर्यात संभावनाएं

अमेरिका दुनियाभर में सबसे बड़ा फर्नीचर आयातक है, यहां लगभग 24.5 अरब अमेरिकी डॉलर के फर्नीचर आयात किए जाते हैं। अमेरिका के आयात बाजार में सबसे ज्यादा लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा घरेलू कार्यों के लिए शयनकक्ष में उपयोग किए जाने वाले फर्नीचर का है। आयात का यह खंड अमेरिका में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। यहां बांस से बने फर्नीचरों के विक्रय की भी अच्छी संभावनाएं हैं लेकिन बास्केटवर्क एवं विकवर्क के लिए जगह अपेक्षाकृत कम है।

अमेरिका को फर्नीचर निर्यात के मामले में भारत नौवें स्थान पर है। अमेरिका के कुल फर्नीचर बाजार में भारत की हिस्सेदारी

45.5 प्रतिशत है। इस मामले में चीन प्रथम स्थान पर है लेकिन अमेरिका से ट्रेड वार के कारण उसके निर्यात में गिरावट आ रही है। ऐसी स्थिति में अमेरिकी बाजार में पकड़ मजबूत करने के लिए भारत को वियतनाम से प्रतिस्पर्द्धा करनी होगी।

विभिन्न देशों से अमेरिका में फर्नीचर का आयात

देश	कुल आयात वर्ष 2019 में हजार डॉलर	आयात में हिस्सेदारी प्रतिशत	2015-2019 के बीच वृद्धि प्रतिशत सालाना
चीन	2115916	32.3	-5
वियतनाम	1961836	29.9	17
मैक्सिको	404687	6.2	9
कनाडा	343150	5.2	0
इंडोनेशिया	297258	4.5	5
भारत	276067	4.2	13

अमेरिकी बाजार में पहुंच बनाने के लिए क्या करें

अमेरिकी बाजार में चीन की स्थिति कमजोर होने से अन्य देशों विशेषकर ताईवान, वियतनाम एवं मलेशिया के लिए अवसर बढ़े हैं और ये देश लाभ की स्थिति में हैं। भारतीय निर्यातक भी इस अवसर का फायदा उठा सकते हैं। भारतीय कारोबारियों को चाहिए कि वे चीन-अमेरिका ट्रेड वार के कारण बाजार में आई कमी को दूसरे देशों से पहले पूरा करने की क्षमता बढ़ाएं। भारतीय निर्यातक अमेरिका तक फर्नीचर पहुंचने में लगने वाले समय और कीमत आदि पर ध्यान देकर वहां के बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ा सकते हैं।

यूरोपीय संघ

यूरोपीय संघ के देशों में वर्ष 2024 तक फर्नीचर के बाजार में विक्रय के अच्छे आसार नजर आ रहे हैं। यहां जर्मनी, इटली, पोलैंड एवं फ्रांस, वियतनाम एवं इंडोनेशिया में लकड़ी के फर्नीचर के उष्णकटिबंधीय देशों से आयात में 11 प्रतिशत की वृद्धि होने के आसार हैं। यूरोपीय संघ में जर्मनी एवं फ्रांस लकड़ी के फर्नीचर के सबसे बड़े आयातक हैं। हालांकि नीदरलैंड्स, रोमानिया एवं चेक गणराज्य आदि तेजी से उभरते ऐसे बाजार हैं, जिसे भारतीय निर्यातकों को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। जर्मनी, इंग्लैंड एवं फ्रांस यूरोपीय संघ के देशों के ऐसे स्थाई बाजार हैं, जहां लगभग

यूरोपीय संघ में आयात होने वाले प्रमुख फर्नीचर

उत्पाद	2015	2016	2017	2018	2019
ऑफिस, किचन, बेडरूम एवं सीट के अलावा अन्य फर्नीचर	8844179	8929955	9743599	10406236	10417213
फर्नीचर पार्ट्स	5321897	5372703	5956206	6447863	6438903
शयनकक्ष के लिए लकड़ी के फर्नीचर	2707578	2844235	3060353	3293818	3508299
कार्यालयीन उपयोग के लिए लकड़ी के फर्नीचर	945944	987422	1024254	1128684	1249502
बेंत, बांस के फर्नीचर	343740	368035	391325	395793	412997
ज्वेलरी या कटलरी रखने के लकड़ी के कास्केट एवं केसेस	266295	288826	321426	360377	367353
बांस के बास्केट वर्क, विक वर्क	59723	58070	54921	53106	59653

सभी श्रेणियों के लकड़ी के उत्पाद बड़ी मात्रा में खपाए जा सकते हैं। इन देशों में शयनकक्ष के फर्नीचर, बांस के फर्नीचर, फर्नीचर के अन्य पार्ट्स आदि के निर्यात की काफी संभावनाएं हैं। इन देशों की बास्केटवर्क, विकवर्क जैसे उत्पादों में ज्यादा रूचि नहीं है। पिछले कुछ समय में उष्णकटिबंधीय देशों से नीदरलैंड्स में लकड़ी के फर्नीचर का आयात 14 प्रतिशत तथा बेल्जियम में 30 प्रतिशत तक बढ़ा है।

लैटिन अमेरिकी देशों (एलएसी) में भारतीय कंपनियों के लिए निर्यात के अवसर

लैटिन अमेरिकी देशों में मैक्सिको, चिली एवं पेरू लकड़ी के फर्नीचर के निर्यात के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनिंदा बाजार हैं। यहां बड़ी मात्रा में लकड़ी के फर्नीचरों का आयात किया जाता है साथ ही आयात शुल्क की दरें भी काफी कम हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय निर्यातकों को इक्वेडोर, ब्राजील एवं अर्जेंटीना में निर्यात से बचना चाहिए। आवासीय उद्देश्यों के लिए बनाए जाने वाले लकड़ी के फर्नीचरों के लिए भारतीय दृष्टिकोण से चिली एवं मैक्सिको सर्वश्रेष्ठ बाजार हैं, लेकिन भारी मात्रा में आयात के साथ ही यहां आयात शुल्क भी अपेक्षाकृत काफी ज्यादा 11 प्रतिशत लगता है। पिछले पांच वर्षों में यहां आयात की विकास दर भी निगेटिव रही है। लैटिन अमेरिकी देशों में ब्राजील, इक्वेडोर, गुआटेमाला एवं पेरू ऐसे देश हैं जो भारत के लिहाज से उपयुक्त नहीं कहे जा सकते।

अच्छी संभावनाओं वाले बाजार में चिली में बांस के फर्नीचर के आयात के लिए अनुकूल माहौल है। यहां बड़ी मात्रा में फर्नीचर के आयात के साथ ही आयात शुल्क की दर भी अपेक्षाकृत कम है। इस दिशा में भारतीय कंपनियां भारत-चिली व्यापार समझौते का भी लाभ उठा सकती हैं। इस क्षेत्र के जिन इलाकों में निर्यात से बचना चाहिए वे हैं - कोस्टा रिका, ब्राजील एवं इक्वेडोर। लैटिन अमेरिका के बाजार बास्केटवर्क एवं विकवर्क के लिहाज से उपयुक्त नहीं हैं। वहीं लकड़ी के कास्केट के लिए चिली श्रेष्ठ आयात गंतव्य है। इसके अलावा यहां मैक्सिको एवं ब्राजील ऐसे देश हैं जहां निर्यात के लिए विचार किया जा सकता है लेकिन कोलंबिया, इक्वेडोर एवं अर्जेंटीना के बाजारों में इस मामले में कठिनाई आ सकती है।

जापान : घरेलू फर्नीचरों के निर्यात के लिए उपयुक्त गंतव्य

जापान में इस समय घरेलू फर्नीचर की मांग देखी जा रही है। इस श्रेणी के फर्नीचरों के अंतर्गत लिविंग रूम एवं डाइनिंग रूम के फर्नीचर, बेडरूम एवं किचन के फर्नीचर आते हैं। जापान में निर्माण गतिविधियों में तेजी आई है और देश भर में नए गृहों का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति प्रयोज्य आय (डिस्पोजेबल इनकम) में वृद्धि के कारण घरेलू फर्नीचर की मांग बढ़ी है। यहां आयात किए जाने वाले फर्नीचरों में लकड़ी के बने फर्नीचर की भागीदारी काफी ज्यादा है। लकड़ी के फर्नीचर के अलावा यहां फर्नीचर एसेसरीज, मेटल फर्नीचर, प्लास्टिक फर्नीचर आदि की भी मांग है।

देश में आवासों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही आबादी के प्रवासन (माइग्रेशन) का भी फर्नीचर की मांग बढ़ाने में खासा योगदान है। यहां के लोगों की जीवनशैली एवं संस्कृति में बदलाव आने के कारण देश में वन-पर्सन हाउसहोल्ड का चलन एवं संख्या बढ़ रही है जोकि देश में फर्नीचर की मांग बढ़ने की प्रमुख वजहों में से एक है। सिंगल-पर्सन हाउसहोल्ड श्रेणी के लोगों का समूह देश में तेजी से बढ़ रहा है, तथा जापान में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है जो अकेले रहना पसंद करते हैं। अकेले रहने वाले व्यक्तियों को आवास के लिए बहुत कम स्थान की आवश्यकता होती है, इसलिए यहां के लिए फर्नीचर तैयार करते समय इस विशेषता को ध्यान में रखना चाहिए। जापान की जीवनशैली एवं संस्कृति को देखते हुए सिंगल एवं छोटे घरों के लिए स्टोरेज कैबिनेट्स जैसे फर्नीचर काफी उपयुक्त तथा लोकप्रिय होते हैं। इसके अलावा अन्य पोर्टेबल फर्नीचर की भी मांग यहां बढ़ सकती है।

प्रतिस्पर्द्धी कीमतों वाले ऐसे उत्पाद जोकि सिंगल एवं छोटे घरों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किए जाएं, जापान के बाजारों में आसानी से खप सकते हैं। ऐसे फर्नीचर के अंतर्गत, दराज, कैबिनेट, फोल्ड की जा सकने वाली डाइनिंग टेबल एवं चेयर आदि शामिल हैं जिनकी जापान के बाजार में मांग बढ़ने की संभावनाएं हैं।

भारतीय कंपनियों के लिए आसियान देशों में निर्यात की संभावनाएं

सिंगापुर में सबसे ज्यादा आयात किए जाने वाले फर्नीचरों में शयनकक्ष में इस्तेमाल किए जाने वाले लकड़ी के फर्नीचर शामिल हैं। हालांकि यहां सभी प्रकार के फर्नीचरों के लिए आयात शुल्क शून्य है। मलेशिया में सबसे ज्यादा आयात किए जाने वाले फर्नीचरों में ऑफिस में उपयोग किए जाने वाले

लकड़ी के फर्नीचर शामिल हैं, लेकिन किचन एवं रसोई के फर्नीचर इसमें शामिल नहीं हैं। भारतीय निर्यातकों को यहां नक्काशीदार लकड़ी के उत्पादों एवं बास्केटवर्क के निर्यात से बचना चाहिए। इंडोनेशिया के बाजार में लकड़ी का कोई भी उत्पाद आयात शुल्क से मुक्त नहीं है। सबसे कम 4 प्रतिशत आयात शुल्क कार्यालय उपयोग में काम आने वाले लकड़ी के फर्नीचरों पर है जिसका बाजार 21 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। फिलिप्पिन्स के बाजार में भी कोई भी फर्नीचर उत्पाद आयात शुल्क से मुक्त नहीं है। सबसे कम 9 प्रतिशत आयात शुल्क लकड़ी के नक्काशीदार कास्केट पर लगता है, जिसका बाजार 10 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। इसी प्रकार थाईलैंड में भी किसी भी फर्नीचर को आयात शुल्क से छूट की सुविधा नहीं है। यहां सबसे कम 7.4 प्रतिशत आयात शुल्क फर्नीचर के पार्ट्स पर लगता है जिसकी वृद्धि दर 17 प्रतिशत है।

बागान एवं बरामदे को आकर्षक बनाने की बढ़ती चाहत के कारण यहां लकड़ी के कलात्मक फर्नीचर जैसे – कुर्सियों, टेबल एवं अन्य एसेसरीज की काफी मांग है। यहां के आयात बाजार में भी सकारात्मक वृद्धि का अनुमान है।

रहन–सहन के स्तर में बेहतरी की ईच्छा के साथ प्रति व्यक्ति प्रयोज्य आय (डिस्पोजेबल इनकम) में वृद्धि ने आउटडोर फर्नीचर बाजार को मजबूती दी है। पुराने आवासीय भवनों के नवीनीकरण के साथ ही नए निर्माण कार्य भी टेबल, चेयर और ऐसे ही अन्य लकड़ी उत्पादों की मांग प्रशस्त कर रहे हैं। वर्तमान युग में उपभोक्ता घर के बाहर बरामदे व गार्डन आदि में भी आकर्षक व आरामदेह फर्नीचर रखना चाहते हैं। भारतीय निर्यातकों को इस बदलते चलन को पहचान कर तद्नुरुप उत्पाद पेश करने चाहिए।

विदेशी उपभोक्ताओं में विश्वसनीयता बढ़ाने की पहल

विदेशों में बेचे जाने वाले लकड़ी के भारतीय फर्नीचरों को एक यूनिक बारकोड दिलाने के प्रयास चल रहे हैं। इसमें इस बात का उल्लेख होगा कि उत्पाद किस प्रकार की लकड़ी से बनाया गया है। वस्त्र मंत्रालय की इस पहल से विदेशी उपभोक्ताओं में भारतीय उत्पादों का विश्वास एवं जानकारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे यदि कोई उपभोक्ता भारत में बने लकड़ी के सजावटी हस्तशिल्प खरीदता है तो वह यह जान सकेगा कि उक्त शिल्प के निर्माण में प्रयुक्त लकड़ी का स्त्रोत एवं इतिहास क्या है। निर्यातकों से यह अपेक्षित होगा कि वे अपने लकड़ी के उत्पादों की वेब बारकोडिंग कराएं ताकि उत्पाद के विदेशी खरीदार यह जान सकें कि जो उत्पाद तैयार किया गया है उसमें इस्तेमाल लकड़ी किस पेड़ से आई है और उसकी कटाई किस प्रक्रिया के तहत की गई है। इस बार कोड के अलावा सरकार एक वृक्ष प्रमाण पत्र भी जारी करती है, जो इस बात का प्रमाण होता है कि हस्तशिल्प के निर्माण में निर्माता ने जो लकड़ी प्रयुक्त की है उसकी खरीदी वैध स्त्रोतों से की गई है। वृक्ष शिपमेंट प्रमाणपत्र वह मानक नियम होता है जो कंपनियों को अवैध कटाई से प्राप्त लकड़ियों की खरीदी से बचाता है। भारत से शीशम या रोजवुड सहित सभी प्रकार की लकड़ियों के निर्यात की प्रक्रिया में माल परिवहन के लिए इस प्रमाणपत्र की जरूरत होती है। बार कोड व्यवस्था लागू हो जाने के बाद भारत दुनिया में ऑस्ट्रेलिया के बाद एकमात्र ऐसा देश होगा जहां लकड़ियों की ट्रेसिंग के लिए इस तरह की व्यवस्था होगी।

संदर्भ/स्त्रोत : विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), कपड़ा मंत्रालय के द्वारा प्रायोजित यह अध्ययन भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

(आईआईएफटी) के द्वारा किया गया है। अध्ययन से संबंधित विस्तृत जानकारी https://www.epch.in/iift-epch-study/Woodware.pdf पर उपलब्ध है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए policy@epch.com पर संपर्क किया जा सकता है।

अमरकंटक में किसानों को औषधीय पौधों की खेती के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित

भोपाल, मंगलवार, अक्टूबर 4, 2022। अमरकंटक परिक्षेत्र के जनजातीय किसानों को औषधीय पौधों की खेती के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों को तकनीकी परामर्श, सहयोग, प्रशिक्षण और मार्केट लिंकेज के लिये अनूपपुर जिला प्रशासन ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ट्रायबल विश्वविद्यालय एवं अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ एमओयू साइन किए हैं। जिला प्रशासन ने आयुष विभाग के सहयोग से 200 किसानों को औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रशिक्षण दिलाया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कंपनी द्वारा क्षेत्र में औषधीय उत्पाद खरीदने के लिए अनुबंध भी किया गया है। वन विभाग द्वारा 60 हेक्टेयर पर स्थानीय एवं औषधीय प्रजाति के करीब 5 हजार औषधीय पौधों का रोपण किया गया है। सर्वेक्षण में अमरकंटक क्षेत्र लेमन ग्रास, पामा रोजा और स्टीविया औषधीय पौधों की पैदावार के लिए अनुकूल पाया गया है।

निर्यात बाजार में

चमक बिखेर रहे भारतीय आभूषण

भारत एवं चीन दुनिया में इमिटेशन ज्वेलरी (बनावटी आभूषण) के सबसे बड़े निर्माता हैं। इमिटेशन ज्वेलरी के क्षितिज बहुत व्यापक हैं तथा इसमें कच्चे माल के रूप में सामग्रियों की विस्तृत श्रृंखला का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत मनके (बीड्स), धातु, इमिटेशन स्टोन्स, सीजेड क्रिस्टल्स आदि शामिल हैं। भारत के किफायती ज्वेलरी की चमक अमेरिकी उपभोक्ताओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अमेरिका के ज्वेलरी बाजार में भारतीय उत्पादों की हिस्सेदारी 93 प्रतिशत है। पिछले कुछ वर्षों में फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन एवं मध्य पूर्व के देशों सहित पाकिस्तान में भी भारतीय गहनों की खनक बढ़ी है। भारतीय गहनों की खूबसूरती देश की पारंपरिक विरासत की देन है। भारत में जिस प्रकार के गहने बनाए जाते हैं वैसे गहने दुनिया में कहीं और नहीं बनते हैं। जहां तक भारतीय गहनों की निर्यात संभावनाओं का सवाल है तो ना सिर्फ एशिया बल्कि ब्राजील एवं अर्जेंटीना भी इसके प्रमुख आयातकों के तौर पर उभर रहे हैं। हालांकि सऊदी अरब, दुबई, अफ्रीकी देश एवं मलेशिया आदि भी भारतीय गहनों के बड़े खरीदारों में शामिल हैं। ब्रिटेन एवं अमेरिका में बड़ी संख्या में एशिया मूल के लोग रहते हैं, जो वहां के बाजारों में भारतीय गहनों की मांग को बढ़ाते हैं।

आभूषण उद्योग सुनहरे भविष्य के लिए तैयार नजर आ रहा है। बढ़ती मांग के कारण बनावटी आभूषणों के बाजार में सतत तेजी

आने की संभावनाएं हैं। कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का बाजार वर्ष 2019 में 32.9 अरब डॉलर का था। इसमें हर वर्ष 5 से 6 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी के आसार हैं। समझा जाता है कि वर्ष 2027 तक यह कारोबार 59.7 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। वर्ष 2027 तक इसके 7.80 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर हासिल करने के आसार हैं।

आकर्षण का केंद्र बनी कॉस्ट्यूम जुएलरी

लोगों की जीवनशैली में परिवर्तन, प्रयोज्य आय (डिस्पोजेबल इनकम) में वृद्धि, कीमती धातुओं से बने आभूषणों के अत्यधिक दाम जैसे कारणों के चलते उभरते बाजारों में कॉस्ट्यूम जुएलरी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इन कारणों से इसके बाजार का आकार भी अधिक है। विभिन्न ब्रांडों के ग्लोबलाइजेशन, सोने एवं अन्य कीमती पत्थरों तथा मोती जड़े गहनों के अधिक दाम कुछ ऐसे कारण हैं जो बनावटी आभूषणों की मांग में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। महिलाओं के अलावा आजकल पुरूष भी गहने पहनने के शौकीन हो गए हैं, अतः आजकल मेल कॉस्ट्यूम ज्वेलरी की भी मांग होने लगी है। फैशन

के प्रति लोगों के बढ़ते रुझान के साथ ही किफायती दामों में गहनों की उपलब्धता से आने वाले वर्षों में भी इनकी मांग बढ़ना तय है।

बढ़ती जागरूकता सकारात्मक संकेत

ग्लोबल कॉस्ट्यूम जुएलरी मार्केट के वर्ष 2019 के विश्लेषण से यह पता चलता है कि आभूषणों के बाजार में नेकलेस, चेन एवं ब्रेसलेट खंड का हिस्सा 41.4 प्रतिशत है। दुनियाभर में महिलाओं एवं पुरूषों में फैशन के प्रति बढ़ती जागरूकता इस उद्योग क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है। अंगूठी के खंड में 8.9 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर हासिल होने की उम्मीद है। कॉस्ट्यूम जुएलरी के बाजार में आधे से अधिक की भागीदारी महिला उपभोक्ताओं की होती है, इस खंड में 7.60 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर होने के आसार हैं तथा यह चलन वर्ष 2027 तक जारी रहने की उम्मीद है। आभूषण निर्माता गहनों के निर्माण में लोगों की जीवनशैली में हो रहे परिवर्तन, क्षेत्रीय विशेषताओं, किसी विशेष धातु से लोगों को होने वाली एलर्जी एवं लोगों की रूचि को ध्यान में रखते हुए डिजाइन का निर्माण कर बाजार में अपना स्थान बना सकते हैं।

पहले से अधिक फल-फूल रहा है यह उद्योग क्षेत्र

फैशनेबल एवं अफोर्डेबल जुएलरी के प्रति उपभोक्ताओं की बढ़ती प्राथमिकता के कारण इस उद्योग के बाजार में वृद्धि की उम्मीद है। अमेरिका, कनाडा एवं जर्मनी जैसे उच्च परिपक्व क्षेत्रों में कॉस्ट्यूम जुएलरी को अपनाया जा रहा है वहीं उभरते देशों जैसे चीन, ब्राजील एवं भारत में भी यह उद्योग क्षेत्र पहले से अधिक फल-फूल रहा है। आक्रामक विज्ञापन एवं मशहूर हस्तियों के जरिए प्रचार-प्रसार होने के कारण उत्तरी अमेरिका इसके सर्वाधिक प्रमुख क्षेत्रीय बाजार के रूप में उभर रहा है। लोग अब आभूषण खरीदी में भी पहले अधिक धन खर्च करने लगे हैं। एशिया पैसिफिक सहित अन्य देशों में आर्थिक विकास के कारण भी इस उद्योग क्षेत्र को गति मिल रही है।

नवीन डिजाइनों के स्वागत के लिए तैयार संयुक्त राज्य अमेरिका

अमेरिका में हमेशा ऐसे नवीन डिजाइनों का स्वागत किया जाता है जो व्यक्तित्व में आकर्षणकारी प्रभाव पैदा कर सके। हालांकि पिछले पांच वर्षों में अमेरिका में कॉस्ट्यूम जुएलरी के आयात में गिरावट देखी गई है, लेकिन पारंपरिक आभूषणों के स्थान पर नए जमाने की एसेसरीज आ जाने से भविष्य में इस बाजार के तेजी पकड़ने की उम्मीद है। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2024 के अंत तक अमेरिका में कॉस्ट्यूम जुएलरी का बाजार आशातीत वृद्धि दर्ज करेगा। अमेरिका के कॉस्ट्यूम जुएलरी के बाजार में वर्साक एसपीए, हर्मीस इंटरनेशनल एएस, एलवीएमएच मूट हेनेसी, लूइस वुइटन एसइ एवं गूसी जैसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी मौजूद हैं। इसके अलावा पैंडोरा ए/एस, जारा इस्पाना एसए, हेनेस एंड मॉरिज एबी, गेस इंक एवं एलेक्स तथा एनी, एलएलसी भी खासा प्रभाव रखते हैं।

अमेरिका के कॉस्ट्यूम जुएलरी के बाजार में बालियां एवं अंगूठियां सर्वाधिक विक्रय वाले उत्पाद हो सकते हैं। यदि आमदनी की दृष्टि से देखा जाए तो नेकलेस एवं पेंडेंट्स के बाजार

में 5.7 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर हासिल होने के आसार हैं। यहां के बाजार में नॉन–ब्रांडेड कॉस्ट्यूम्स जुएलरी को भी अच्छा स्थान मिलने की संभावनाएं मौजूद हैं। प्रीमियम कॉस्ट्यूम जुएलरी की खरीदी की ओर बढ़ते झुकाव से बाजार के विस्तार को मदद मिलेगी। इसके अलावा लोगों की प्रयोज्य आय में बढ़ोतरी तथा टॉप ब्रांड्स तक आसान पहुंच से अमेरिका में आभूषण व्यवसाय को गति मिलेगी।

यूरोपीय संघ के देशों में बढ़ रहा आभूषणों का आयात

यूरोपीय संघ के देशों में आभूषण आयात महत्वपूर्ण रूप से लगातार बढ़ रहा है। इनमें से अधिकांश आयात यूरोपीय देशों के भीतर से ही होता है और चीन के विकासशील देशों में से एक आपूर्तिकर्ता होने के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में चीन से आयात घट रहा है। यहां विभिन्न देशों के अनुसार आभूषण की बिक्री भिन्न–भिन्न है। कॉस्ट्यूम जुएलरी, दुल्हनों के गहनों, विशेष प्रकार की डिजाइन वाले आभूषण एवं गहने बनाने में लगने वाले कंपोनेंट्स के लिए यूरोप को विकासशील देशों से आयात की जरुरत पड़ती है। ब्रिटेन में तेजी से विकसित हो रहे ऑनलाइन रिटेल चैनल पारंपरिक विक्रय माध्यमों की तुलना में निर्यातकों को बाजार तक बेहतर पहुंच और आसान प्रवेश की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। स्थानीय कॉस्ट्यूम जुएलरी निर्माताओं से मुकाबला करने के लिए निर्यातकों को आधुनिक फैशन के यानी ट्रेंडी एवं लुभावने डिजाइन्स के साथ बाजार में उतरना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके उत्पादों की लागत यूरोप की तुलना में कम हो। इस देश में चांदी से बने आभूषणों की मांग अच्छी हो सकती है।

फ्रांस में खंडित अर्थव्यवस्था तथा उपभोक्ताओं की क्रयशक्ति में लगातार गिरावट के परिणामस्वरूप सस्ते कॉस्ट्यूम जुएलरी खरीदने का चलन बढ़ रहा है। यहां के उपभोक्ताओं को कम कीमत के आभूषण उपलब्ध करा कर बाजार में अच्छा स्थान हासिल किया जा सकता है। इटली यूरोप में आभूषणों का एकमात्र सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। निष्क्रिय अर्थव्यव्यवस्था के कारण पिछले कुछ दशकों में महंगे उत्पादों के स्थान पर कॉस्ट्यूम जुएलरी की लोकप्रियता बढ़ी है। नए खिलाड़ियों के प्रवेश के साथ ही इटली में कॉस्ट्यूम ज्वेलरी के आयात का भविष्य उज्जवल होने के आसार हैं।

यूरोपीय देशों में मंदी के दौर से उबरने के बाद नीदरलैंड्स में तेजी से रिकवरी हो रही है, जिसके कारण यहां युवाओं के बीच फैशन प्रोडक्ट्स की मांग भी बढ़ रही है। इन वजहों से देश में कास्ट्यूम जुएलरी की बिक्री भी बढ़ रही है।

स्पेन में प्रवेश के लिए भारतीय निर्यातकों को विविध डिजाइनों के साथ ही उत्पाद की कीमतों का भी ध्यान रखना होगा। स्पेन के उपभोक्ता उत्पाद के मूल्य को लेकर बेहद संजीदा होते हैं, इसलिए बाजार में पकड़ बनाने के लिए निर्यातकों को कम कीमत के उत्पादों के साथ यहां के बाजारों में प्रवेश करना चाहिए। यदि यूरोप की तुलना में आपकी उत्पादन लागत कम हो तो इसका आपको फायदा मिलेगा। सस्ती मिश्र धातुओं एवं कच्चे माल का उपयोग कर एवं संसाधनों के कुशलतापूर्वक इस्तेमाल से आप अपने उत्पादों की लागत घटा सकते हैं।

लैटिन अमेरिकी देशों में महीन आभूषणों की मांग

मुख्य बाजारों में संयुक्त रूप से मैक्सिको, ब्राजीलियाई एवं वैश्विक बाजार शामिल हैं। लैटिन अमेरिका में आभूषणों का विक्रय अधिकांशत: फाइन ज्वेलरी का होता है जिसमें मैक्सिको एवं ब्राजील कॉस्ट्यूम जुएलरी के मुख्य बाजार हैं। कफलिंक्स को छोड़कर बेस मेटल के बनावटी गहनों की बाजार में हिस्सेदारी 63.55 प्रतिशत होती है, इसके बाद नॉन बेस मेटल का स्थान आता है। लैटिन अमेरिका में बाजार बहुत बँटा हुआ है, जहां बड़ी संख्या में छोटे ब्रांड्स तथा अनब्रांडेड ज्वेलरी का विक्रय होता है। मैक्सिको के बाजारों में कॉस्ट्यूम जुएलरी का प्राधान्य है, जो कि आर्थिक वातावरण पर निर्भर होता है तथा नए उत्पादों के कारण लगातार बढ़ रहा है। ब्राजील में जहां एक लाख अमेरिकी डॉलर से ज्यादा आय वाले लोगों की आबादी मैक्सिको की तुलना में दोगुनी है, यहां आभूषणों के राष्ट्रीय विक्रय मूल्य में फाइन जुएलरी का हिस्सा 86 प्रतिशत है। मैक्सिको में इस श्रेणी में कुल विक्रय में हिस्सेदारी महज 32 प्रतिशत है। मैक्सिको चांदी का प्रमुख उत्पादक है, तथा स्थानीय आभूषण निर्माता विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स से कई तरह के गहने बनाते हैं तथा विभिन्न आय समूह के लोगों के लिए अलग–अलग कीमतों के आभूषण उपलब्ध करवाते हैं। इसके विपरीत कॉस्ट्यूम जुएलरी में आभूषण एवं घड़ी के स्पेशल रिटेलर्स का क्षेत्र के कैटेगरी सेल्स में 34 प्रतिशत हिस्सा है। इस श्रेणी के अन्य महत्वपूर्ण वितरण चैनलों में लीशर एवं पर्सनल गुड्स स्पेशलिस्ट रिटेलर्स (36 प्रतिशत), वैरायटी स्टोर्स (22 प्रतिशत) तथा अपैरल एवं फुटवियर स्पेशलिस्ट रिटेलर्स (15 प्रतिशत) शामिल हैं। लैटिन अमेरिका में नॉन–स्टोर रिटेलिंग भी कॉस्ट्यूम जुएलरी के लिए एक महत्वपूर्ण चैनल है, जिसका

इस श्रेणी के वैल्यू सेल्स में लगभग 16 प्रतिशत हिस्सा है।

जापान में लगातार बढ़ रहा आभूषणों का आयात

जापान को भारतीय आभूषणों के निर्यात का एक महत्वपूर्ण ठिकाना समझा जा सकता है। जापान के आभूषण उद्योगों में उत्पादों की एक विशाल श्रृंखला के समाहित होने की संभावनाएं हैं। यहां व्यक्तिगत आभूषणों एवं सजावटी कॉस्ट्यूम जुएलरी से लेकर महंगी धातुओं एवं रत्नों से बने आभूषणों के लिए बाजार उपलब्ध है। हालांकि जापान के आभूषण बाजार में पारंपरिक क्षेत्र का 70 प्रतिशत बाजार पर कब्जा है, फिर भी देश की युवा पीढ़ी के बीच यूनिक एवं अनयुजुअल डिजाइन की लगातार बढ़ती मांग के कारण भारतीय निर्यातकों के लिए भी अवसर बढ़ते जा रहे हैं। वर्तमान समय में इस गैर-परंपरागत क्षेत्र का हिस्सा 16 प्रतिशत है लेकिन आने वाले वर्षों में इसके तेजी से विस्तारित होने की प्रचुर संभावनाएं विद्यमान हैं। भारतीय निर्यातकों के लिए जापान में कफलिंक्स को छोड़कर बेस मेटल से बने बनावटी गहनों के विक्रय की काफी संभावनाएं हैं तथा जापान के कुल आयात में इसकी हिस्सेदारी 72 प्रतिशत है। पिछले पांच वर्षों में जापान में आभूषणों का आयात बढ़ा है।

जापान में मार्च एवं अप्रैल का महीना विक्रय के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके अलावा क्रिसमस, वैलेंटाइन्स डे (16 फरवरी), व्हाइट डे (16 मार्च) के अवसरों पर भी तोहफों के आदान-प्रदान का चलन है। आभूषणों की पैकेजिंग के लिए फैंसी ज्वेल बॉक्सेस तथा वूवन फैब्रिक के सैशे का उपयोग किया जाता है। जापान में किसी विदेशी व्यवसाय की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे जापान के किस समूह द्वारा पेश किया जा रहा है। जापान के आभूषण बाजार में कुछ महत्वपूर्ण आयातक समूहों में नागाहोरी, कुवायामा, काशिकी आदि शामिल हैं। जापानी उपभोक्ताओं की पसंद के अनुरूप गहनों की डिजाइन तैयार करने के लिए किसी जापानी ज्वैलरी डिजाइनर की सेवा लेना लाभकारी हो सकता है।

जापान में सगाई एवं विवाह के अवसर पर पहनी जाने वाली अंगूठियों का अच्छा बाजार है। आभूषण बाजार में इस उत्पाद की हिस्सेदारी 40 से 60 प्रतिशत है। यहां हीरे से जड़ी अंगूठियां काफी पसंद की जाती हैं। इसके अलावा रंगीन रत्नों से जड़ी अंगूठियां भी जापानी उपभोक्ताओं के द्वारा पसंद की जाती हैं। इसके अलावा जापान के कुल आभूषण बाजार में नेकलेस एवं बालियों के विक्रय की हिस्सेदारी क्रमश: 40 प्रतिशत एवं 33 प्रतिशत है।

भारतीय उद्योगों को सुधार व सरकारी समर्थन की जरूरत

भारत के पारंपरिक आभूषणों की विश्व के कई देशों में हमेशा से अच्छी पूछ-परख रही है। भारतीय निर्यातकों को चाहिए कि वे लोगों की बदलती पसंद को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुरूप उत्पाद बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। पहले लोग पेंचदार प्रकार के गहने पहनना अधिक पसंद करते थे, लेकिन अब यह चलन बदल गया है। आजकल के युवा सिंपल चेन या स्माल स्टड्स या पतली चूड़ियां पहनना अधिक पसंद करते हैं। इस प्रकार के उत्पादों की मांग ज्यादा है तथा चीन की इस क्षेत्र में स्थिति बहुत मजबूत है। ऐसी महिलाएं जो 25 से 35 वर्ष आयु समूह की हैं वे आभूषणों की प्रमुख खरीदार होती हैं। चीन में इस तरह के आभूषण बहुतायत में बनाए जाते हैं, अत: बाजार के इस खंड में उसका प्रभुत्व है। इन गहनों को बनाने के लिए स्वचलित मशीनें उपलब्ध हैं जो बाजार के बड़े हिस्से की मांग की पूर्ति शीघ्रतापूर्वक करने में सक्षम हैं। चीन में इस तरह के उत्पादन संयंत्र बड़ी संख्या में हैं। भारत में अभी भी इस प्रकार की मशीनों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। हमारे कारीगरों को नई प्रौद्योगिकी से परिचित होने की जरूरत है। चीन के आभूषण दो कारणों से सस्ते होते हैं, जिनमें से पहला कारण यह है कि वहां यह उद्योग स्वचलित मशीनों से संचालित होता है तथा दूसरा वहां की सरकार का ऐसे उद्योगों को भारी समर्थन प्राप्त है। वहां की कर संरचना इस उद्योग के पनपने के अनुकूल है। स्थिति यह है कि खुद भारत के आभूषण बाजार में चीन की हिस्सेदारी लगभग 30 प्रतिशत की है। भारतीय नीति निर्माताओं को इन सब तथ्यों की ओर ध्यान देने की जरूरत है।

संदर्भ/स्त्रोत : विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), कपड़ा मंत्रालय के द्वारा प्रायोजित यह अध्ययन भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) के द्वारा किया गया है। अध्ययन से संबंधित विस्तृत जानकारी https://epch.in/iift-epch-study/Fashion-Jewellery-accessories.pdf.in पर उपलब्ध है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए policy@epch.com पर संपर्क किया जा सकता है।

सैरेमिक की कलात्मक वस्तुओं की निर्यात संभावनाएं

सैरेमिक या मृत्तिका शिल्प के निर्यात में भारत की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन अन्य शीर्ष निर्यातकों की तुलना में बहुत कम है। दुनिया के वेगन फ्रेंडली होने के कारण बदलती मांग के चलते आने वाले समय में भारत के लिए इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं मौजूद हैं। इस क्षेत्र में बोन चाइना एवं पोर्सलिन-आधारित मेज पर एवं रसाईघर में रखे जाने वाले खाने के बर्तनों के निर्माण के मामले में चीन की स्थिति भारत से बेहतर है। लेकिन पिछले पांच वर्षों में चीन के खिलाफ चल रहे ट्रेड वार से उत्पन्न परिस्थितियों का फायदा उठाने का प्रयास भारतीय निर्यातकों को करना चाहिए। इस क्षेत्र में अन्य प्रतिस्पर्द्धी देशों में जर्मनी मुख्य रूप से शामिल है।

वर्ष 2018 में दुनिया में सैरेमिक सेनिटरी वेयर के बाजार का आकार 40.2 अरब अमेरिकी डालर था। निर्माण उद्योग में सैरेमिक से बनी सामग्रियों की बढ़ती लोकप्रियता के कारण इस उद्योग का भविष्य उज्जवल है। सैरेमिक के उत्पाद रसायन एवं स्क्रैच रोधी होने के साथ ही किफायती भी होते हैं, जिसके कारण कई ऐसे कार्य हैं, जहां इन उत्पादों का विकल्प मिलना मुश्किल है। इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की तरफ बढ़ते झुकाव के कारण लोग अब ऐसी सामग्रियों की खरीद को प्राथमिकता देते हैं। सैरेमिक से बनाए जाने वाले लक्जरी एवं कलात्मक आइटम्स को भी भविष्य में अच्छा रिस्पांस मिलना तय है।

भारतीय सैरेमिक शिल्प उत्पादों की विश्व बाजार में संभावनाएं

वैश्विक बोन चाइना का बाजार वर्ष 2020 एवं 2025 के बीच अच्छी दर से बढ़ना अनुमानित है। वर्ष 2020 में इसके बाजार में स्थिर दर से वृद्धि हो रही थी तथा इस क्षेत्र के प्रमुख उद्योगों द्वारा अपनाई जा रही रणनीति के चलते आगे भी इन उत्पादों को अच्छा बाजार मिलने की उम्मीद है। हालांकि सैरेमिक के उत्पाद ज्यादा टिकाऊ नहीं माने जाते और यही एक कारण इसके विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा बनता है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में चीन इन उत्पादों का सबसे बड़ा निर्माता, निर्यातक एवं उपभोक्ता है। चीन के अधिकांश निर्यातक बहुत कम कीमत में लो-एंड उत्पादों की आपूर्ति कर कड़ी प्रतिस्पर्द्धा पैदा करते हैं। वहीं जापानी एवं अन्य यूरोपीय ब्रांड्स का हाई-एंड मार्केट में प्रभुत्व है। भारत, इंडोनेशिया एवं थाइलैंड भी महत्वपूर्ण उत्पादक हैं लेकिन इन देशों के अधिकांश निर्माता लघु एवं मध्यम स्तर के उद्यमी हैं तथा लो एवं मीडियम ग्रेड के उत्पादों की आपूर्ति करते हैं। वर्ष 2025 तक अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, लैटिन अमेरिका, अजरबैजान,

आर्मेनिया, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, माल्दोवा, रूस, ताजीकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेस्तिान, यूक्रेन जैसे देशों में मेज पर रखे जाने पोर्सलीन के बर्तनों के भारी आयात की संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए भारतीय निर्यातकों को इन उत्पादों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

संयुक्त राज्य अमेरिका

पोर्सलिन से बने घरेलू सामानों की अमेरिका में मांग अस्थिर है। हालांकि भारतीय निर्यातकों के लिए मेज पर रखे जाने वाले एवं किचन में उपयोग किए जाने वाले पोर्सलिन या बोन चाइना से बने उत्पादों के लिए अच्छी निर्यात संभावनाएं हैं। पोर्सलिन या चीनी सरैमिक्स की श्रेणी में बोन चाइना सबसे मजबूत होता है तथा इससे पतली वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, जबकि पोर्सलिन के अन्य प्रकारों में यह गुण नहीं होता है। पहले अमेरिका में लेनॉक्स कंपनी बोन चाइना की प्रमुख निर्माता थी तथा राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस में भी सामानों की जरूरत यही कंपनी पूरा करती थी।

वैश्विक सरैमिक सेनिटरी वेयर के बाजार का आकार वर्ष 2018 में 40.2 अरब अमेरिकी डॉलर था। अपने रसायनों तथा स्क्रैच के प्रति रोधी गुणों तथा किफायती होने के कारण सरैमिक सामग्रियों की निर्माण उद्योगों में अच्छी मांग होने की उम्मीद है। अमेरिका में हाथ से बने विभिन्न डिजाइन्स एवं रंगों के बोन चाइना एवं पोर्सलिन से बने उत्पादों एवं पॉटरी जैसे ब्लू एवं इंडिगो पॉटरी के बाजार में अच्छी संभावनाएं मौजूद हैं।

यूरोपीय संघ

यूरोपीय संघ के देशों में पोर्सलिन से बने घरेलू उपयोग के सामानों की मांग अस्थिर है। हालांकि भारतीय निर्यातकों के लिए मेज पर एवं रसोईघरों में रखे जाने वाले पोर्सलिन या बोन चाइना से बने सामानों के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। भारत को इस दिशा में चीन से चल रहे ट्रेड वार का भी लाभ मिल सकता है। जर्मनी की संस्कृति में बोन चाइना एवं पोर्सलिन से बने बाउल्स का अच्छा चलन है। इसी प्रकार स्वीडन में तोहफे के तौर पर डाल व हॉर्स देने का चलन आजकल प्रचलित है। शादी-विवाह से लेकर अन्य कई सामाजिक अवसरों पर वहां इस तरह के तोहफे दिया जाना पसंद किया जा रहा है। इन वस्तुओं को वहां सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा हॉर्स को वहां स्टेटस सिम्बॉल एवं कीमती संपत्ति के रूप में माना जाता है। पोर्सलिन से टाइल्स भी बनाई जाती हैं जोकि प्राकृतिक पत्थर जैसे मार्बल की तरह दिखती हैं, इसके अलावा इसमें वुड ग्रेन जैसे इफेक्ट की भी झलक होती है। इन सब गुणों के के कारण पोर्सलिन टाइल्स लोगों की सर्वोत्कृष्ट पसंद बनी हुई है, जिसका निर्माता लाभ उठा सकते हैं।

लैटिन अमेरिकी देश

लैटिन अमेरिकी देशों में पोर्सलिन से बने घरेलू उपयोग के सामानों के आयात का ट्रेंड अस्थिर है। हालांकि भारतीय निर्यातकों के लिए पोर्सलिन एवं बोन चाइना से बने मेज एवं रसोईघरों में रखे जाने वाले सामानों के लिहाज से प्रचुर संभावनाएं विद्यमान हैं। लैटिन अमेरिकी देशों में से मैक्सिको एवं चिली में पोर्सलिन या बोन चाइना से बने मेज एवं रसाईघरों में रखे जाने वाले सामानों की मांग बढ़ रही है। इन उत्पादों का मैक्सिको में आयात शुल्क 15 प्रतिशत एवं चिली में 6 प्रतिशत है।

लैटिन अमेरिकी देशों के लोग आमतौर पर चमकीले एवं खुशी पहुंचाने वाले रंगों एवं पैटर्न को पसंद करते हैं। अत: इन देशों को उत्पाद निर्यात करते वक्त लोगों की पसंद के अनुरूप रंगों एवं फूलों की डिजाइन वाली पोर्सलिन की कटलरी को प्राथमिकता देनी चाहिए। ब्राजील के लोग खान-पान की सामग्री रखने के लिए कटलरी का उपयोग करते हैं। इसे देखते हुए यहां सौंदर्यपूर्ण पोर्सलिन कटलरी एवं टूथपिक होल्डर की अच्छी मांग है। मैक्सिको में सामान्यत: ब्राइट कलर के फूलों की डिजाइन वाले पोर्सलिन से बने किचनवेयर एवं टेबलवेयर पसंद किए जाते हैं।

वहीं चिली में सिंपल डिजाइन एवं पैटर्न वाले रंगीन पोर्सलिन किचनवेयर की मांग है।

अफ्रीका

पिछले पांच वर्षों में अफ्रीका में पोर्सलिन से बने घरेलू सामानों के आयात का चलन देखा गया है। भारतीय निर्यातकों के लिए यहां पोर्सलिन या बोन चाइना से बने टेबलवेयर एवं किचनवेयर की आपूर्ति करने की संभावनाएं हैं। अफ्रीकी क्षेत्र के सभी देशों में से मोरक्को एवं दक्षिण अफ्रीका में पोर्सलिन या बोन चाइना से बने मेज एवं रसोईघरों में रखे जाने वाले सामानों की मांग बढ़ रही है। मोरक्को में जटिल पैटर्न के नीले रंग के ऐसे उत्पाद बहुत पसंद किए जाते हैं। इन दोनों देशों में ऐसे उत्पादों पर आयात शुल्क 30 प्रतिशत की दर से लगता है।

आसियान के देश

पिछले पांच वर्षों में आसियान देशों में पोर्सलिन से बने घरेलू कार्यों में उपयोगी उत्पादों के आयात के चलन में बढ़ोतरी देखी गई है। इसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारतीय निर्यातकों के लिए इन देशों में पोर्सलिन या बोन चाइना से बने टेबलवेयर एवं किचनवेयर के लिए प्रचुर संभावनाएं विद्यमान हैं। आसियान क्षेत्र के सभी देशों में से सिंगापुर एवं मलेशिया में टेबलवेयर एवं किचनवेयर की अच्छी मांग है। आसियान देशों में सुगंध चिकित्सा, योग, ध्यान का महत्व बढ़ रहा है। इस तथ्य के मद्देनजर पोर्सलिन के कैंडल स्टैंड, सुगंधिय तेलों के डिफ्यूजर्स आदि उत्पादों को इन क्षेत्रों में अच्छा बाजार मिल सकता है।

निर्यात बाजार में सफलता के लिए भारतीय निर्माताओं को उत्पाद के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सरैमिक के उत्पाद के विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं तथा ये उपयोग के स्थान के आधार पर अलग-अलग हैं। इसलिए क्षेत्रगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा पैकेजिंग, नए डिजाइन्स को आकर्षक बनाते हुए ई-कॉमर्स के सहयोग से भारतीय निर्यातक विश्व बाजार में अच्छा स्थान हासिल कर सकते हैं।

संदर्भ/स्रोत : विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), कपड़ा मंत्रालय के द्वारा प्रायोजित यह अध्ययन भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) के द्वारा किया गया है। अध्ययन से संबंधित विस्तृत जानकारी https://epch.in/iift-epch-study/Home-Decor.pdf.in पर उपलब्ध है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए policy@epch.com पर संपर्क किया जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफेक्चरिंग सेक्टर के विकास की नीति के लिए टास्क फोर्स गठित

भोपाल, सोमवार, सितम्बर 5, 2022। राज्य शासन ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफेक्चरिंग सेक्टर के समुचित विकास के लिए नीति तैयार करने, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों से समन्वय स्थापित कर निवेश आकर्षित करने और संबंधित क्षेत्र में आर एण्ड डी को बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और कौशल उन्नयन की संभावनाओं पर विचार करना, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमी कंडक्टर क्षेत्र में डिजाइन और रिसर्च एवं डेव्हलपमेंट आदि को प्रोत्साहित करना टास्क फोर्स के गठन के उद्देश्य में शामिल है। टास्क फोर्स के अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के वाइस चेयरमेन डॉ. सचिन चतुर्वेदी हैं। प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन सदस्य सचिव हैं। प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिक प्रमुख सचिव या सचिव सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर डेकी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं चेयरमेन सीएचआईसीटी समिति श्री विनोद शर्मा, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर साईनटक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ऑफ मध्यप्रदेश श्री अम्बरीश केला, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर माई बॉक्स पाल इंडिया श्री अमित खरबंदा, आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर श्री संतोष विश्वकर्मा, सैमसंग के पूर्व सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री दीपक भारद्वाज और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एपिक फाउंडेशन श्री हरीश वाधवा सदस्य है। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अन्य सदस्य को भी टास्क फोर्स में शामिल किया जा सकेगा। टास्क फोर्स, देश के अन्य राज्यों की इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर संबंधी नीतियों का अध्ययन कर प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स नीति का प्रस्ताव तैयार करेगी। इसमें राज्य शासन के निर्देशानुसार विभिन्न विषयों से संबंधित अनुशंसा का समावेश किया जाएगा। टास्क फोर्स द्वारा गठन किए जाने के दिनांक से 2 माह की समयावधि में प्रथम रिपोर्ट राज्य शासन को प्रस्तुत की जाएगी।

हथकरघा निर्यातकों की सहायता एवं मार्गदर्शन के लिए संचालित

हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी)

हथकरघा उद्योग का क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। 23.77 लाख करघों के साथ यह देश के सबसे बड़े कुटीर उद्योगों में से एक है। तमिलनाडु में करूर एवं मदुरै, केरल में कन्नूर तथा हरियाणा में पानीपत में प्रमुख हथकरघा निर्यात केंद्र हैं। निर्यात योग्य हथकरघा उत्पाद जैसे कि टेबलमेट्स, प्लेसमेट्स, कशीदाकारी वस्त्र सामग्री, पर्दे, फर्श मैट, किचनवेयर आदि का उत्पादन करूर, मदुरै और कन्नूर में किया जाता है, जबकि पानीपत दरियों और अन्य भारी किस्मों के लिए प्रसिद्ध है, जहां हाथ से बुने यार्न का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा केरल, वाराणसी, भागलपुर, शांतिपुर, जयपुर, अहमदाबाद, वारंगल, चिराला, पोचमपल्ली और संबलपुर जैसे अन्य केंद्र भी हैंडलूम निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में बड़ी संख्या में व्यापारी निर्यातक हैं जो अपने उत्पादों को इन केंद्रों से खरीदते हैं।

फैब्रिक्स, होम फर्निशिंग, कारपेट और फ्लोरकवरिंग आदि जैसे सभी हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक नोडल एजेंसी के रूप में हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी) की स्थापना की गई है। इसका गठन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत किया गया है। इसका संचालन एक कार्यकारी समिति के द्वारा किया जाता है, जिसमें निर्यात व्यापार से संबंधित निर्वाचित प्रतिनिधि व पदेन सदस्य सम्मिलित होते हैं। चेयरमेन इस समिति के प्रमुख के रूप में कार्य

करते हैं। परिषद के प्रशासन में संचालन में सहायता करने के लिए सरकार के द्वारा एक आईएएस/डायरेक्टर रैंक के केंद्रीय सेवा के अधिकारी की नियुक्ति कार्यकारी संचालक (एक्जेक्यूटिव डायरेक्टर) के रूप में की जाती है।

समूचे देश में इसकी वर्तमान सदस्यता 1500 है। एचईपीसी का मुख्यालय चेन्नई और क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है। एचईपीसी का प्राथमिक उद्देश्य व्यापार संवर्धन एवं अंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग के लिए भारतीय हथकरघा निर्यातकों तथा अंतरराष्ट्रीय क्रेताओं को सभी प्रकार की सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना है।

एचईपीसी के उद्देश्य

हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी) के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं :-

1. सदस्य निर्यातकों को व्यापारिक सूचना तथा आसूचना का प्रचार-प्रसार

2. भारतीय हथकरघा उत्पादों का विदेशों में प्रचार
3. उत्पाद विविधीकरण एवं आधुनिक मार्केटिंग जरूरतों की पूर्ति को सुगम बनाना
4. निर्यात-बाजार हेतु हथकरघों के आधुनिकीकरण की गति को तेज करना
5. हथकरघा उत्पादों के निर्यात संवर्धन हेतु डिजाईन संबंधी इनपुट का प्रावधान करना
6. व्यापार मिशनों/बॉयर्स-सेलर्स मीट का आयोजन एवं विदेशों के व्यापार मेलों में भागीदारी
7. हथकरघा निर्यातकों हेतु परामर्श एवं मार्गदर्शी सेवाएं

8. हथकरघा निर्यात व्यापार से संबंधित सभी प्रकार के प्रक्रियात्मक एवं नीतिगत मामलों में भारत सरकार के साथ संपर्क करना
9. हथकरघा निर्यातकों से संबंधित व्यापारिक शिकायतों का निपटान
10. हथकरघा निर्यातकों के लाभ के लिए विदेश स्थित वाणिज्यिक एजेंसियों के साथ आयात संवर्धन हेतु संपर्क करना।

परिषद की सदस्यता से उद्यमियों को मिलने वाले लाभ

परिषद की सदस्यता ग्रहण करने पर उद्यमियों को विपणन सहायता योजना/एनएचडीपी स्कीम आदि का लाभ लेने में मदद मिलती है। इसके अलावा उन्हें वस्त्र मंत्रालय एवं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु प्रदान की जाने वाली भ्रमण अनुदान जैसी योजनाओं के तहत रियायती सुविधाएं प्राप्त होती हैं। परिषद के सदस्यों को देश में आयोजित होने वाले क्रेता-विक्रेता सम्मेलन, व्यापार

प्रतिनिधिमंडलों में भागीदारी के साथ ही निर्माता एवं निर्यातक के बीच संपर्क बढ़ाने में भी मदद प्रदान की जाती है। परिषद के सदस्यों को ड्रॉबैक सहायता, राज्य एवं केंद्रीय करों में रियायत, कच्चा माल आपूर्ति सहायता योजना सहित विभिन्न योजनाओं में सहायता मिलती है।

परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए निर्धारित पात्रता

परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए निम्नानुसार व्यक्ति, संगठन, समूह पात्र हैं :-

- व्यक्तिगत बुनकर
- ऐसी एजेंसियां जिनमें बुनकर सदस्य हों, जैसे – स्वसहायता समूह (एसएचजी), संयुक्त दायित्व समूह (जेएलजी) एवं सहकारी समितियां।
- हथकरघा उत्पादक कंपनी।
- **बुनकर उद्यमी :** इसके अंतर्गत ऐसे उद्यमी शामिल होंगे जोकि वास्तविक रूप में बुनाई की गतिविधियों में शामिल होने के साथ ही विपणन एवं अन्य गतिविधियों में शामिल हों, उनके परिसर में हथकरघा हो। परिसर में मौजूद एवं संचालन योग्य हथकरघों की संख्या के आधार पर उन्हें कच्चा माल अनुदान की पात्रता होगी।

सदस्यता की श्रेणियां

परिषद की सदस्यता दो श्रेणियों में प्रदान की जाती है : 1. निर्माता निर्यातक 2. व्यापारी निर्यातक।

ऐसी फर्म जिनके पास हथकरघों का स्वामित्व हो तथा वे वर्तमान में हाथ से बुने उत्पादों का निर्माण कर रही हों, वे निर्माता निर्यातक के रूप में मान्य होती हैं। निर्माता श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिए फर्म को इस आशय की स्वसत्यापित प्रमाणपत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए कि वे हथकरघा वस्त्र/परिधान/फ्लोर कवरिंग्स/स्टोल्स एवं स्कार्व्स की निर्माता हैं। यह प्रमाण पत्र या तो उद्योग संचालनायलय या फिर संबंधित क्षेत्र के हथकरघों के

राज्य प्रभारी या एमएसएमई द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। प्रमाण पत्र में हथकरघा उत्पाद का उल्लेख होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं हो तो परिषद के निर्धारित प्रारूप में दस रुपए के स्टांप पेपर में नोटरी से सत्यापित एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। मास्टर बुनकर/बुनकर/कारीगर के लिए डब्ल्यूएससी/हथकरघा संचालनालय/विकास आयुक्त हथकरघा के द्वारा जारी पत्र शामिल करना चाहिए जिसमें उनके मास्टर बुनकर/बुनकर/कारीगर होने की पुष्टि हो। इसी प्रकार के दस्तावेज निर्माता स्टेटस के लिए भी उपयोग किए जाएंगे तथा उद्यम पंजीकरण या शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी फर्म जो हथकरघा निर्माताओं से उत्पादों की खरीदी करती हैं, उन्हें व्यापारी निर्यातक के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है।

प्रमाण पत्र की वैधता अवधि

परिषद के द्वारा पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र (आरसीएमसी) जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र जारी किए जाने की दिनांक से पांच वर्षों के लिए वैध रहता है। परिषद की सदस्यता का हर साल नवीनीकरण कराना पड़ता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ यानी एक अप्रैल को परिषद का सदस्यता नवीनीकरण शुल्क जमा कराना होता है।

परिषद की सदस्यता प्राप्त करने में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज

परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए निम्नानुसार दस्तावेज प्राप्त करने की आवश्यकता होती है :-

1. सामान्य निर्यातकों को रु. 6,490/- मास्टर बुनकरों/बुनकरों/कारीगरों को रु. 1180/- का डिमांड ड्राफ्ट/चेक जोकि द हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, चेन्नई के नाम देय हो।
2. संयुक्त संचालक, महानिदेशक विदेश व्यापार के द्वारा जारी आयात निर्यात प्रमाण पत्र (आईईसी) नंबर की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
3. आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4. भागीदारी फर्म होने के मामले में संपूर्ण पार्टनरशिप डीड की स्व-प्रमाणित छायाप्रति।
5. जॉइंट स्टॉक कंपनी या समिति किसी अन्य निगमित निकाय के मामले में प्रबंध समिति का संकल्प, नियमों की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
6. व्यापारी एवं निर्माता श्रेणी के लिए उपरोक्तानुसार संबंधित श्रेणी की सदस्यता।

आवेदन पत्र कहां जमा करें :

परिषद की सदस्यता प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन का लिंक निम्नानुसार है : https://www.dgft/gov.in/CP/

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें : https://www.hepcindia.com/

हस्तशिल्प निर्यात संवर्द्धन परिषद

की सेवाओं का लें लाभ

हस्तशिल्प निर्यात संवर्द्धन परिषद की स्थापना कंपनी अधिनियम के तहत वर्ष 1986-87 में की गई है यह एक लाभ-निरपेक्ष संगठन है, जिसका उद्देश्य हस्तशिल्पों को बढ़ावा, सहायता, संरक्षण देना, उनका संधारण करना तथा निर्यात को प्रोत्साहित करना है। देश से हस्तशिल्पों के निर्यात के प्रोन्नयन, विदेशों में भारत की छवि को विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करने, उच्च गुणवत्ता की हस्तशिल्प वस्तुओं एवं सेवाओं तथा उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए विभिन्न उपाय सुनिश्चित करने हेतु यह हस्तशिल्प निर्यातकों का एक शीर्ष निकाय है। परिषद के द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जरूरी अधोसंरचना के साथ ही विपणन एवं सूचना सुविधाओं का सृजन किया गया है, जिसका उपयोग निर्यातक एवं आयातक दोनों समूहों के द्वारा किया जाता है। परिषद का संचालन एवं प्रबंधन कार्यकारी संचालक के नेतृत्व में पेशवरों के दल के द्वारा किया जाता है।

परिषद की उपलब्धिया

परिषद की स्थापना के समय वर्ष 1986-87 में हस्तशिल्पों का निर्यात (हाथ से बुने गलीचों को छोड़कर) महज 386.57 करोड़ रुपए था जो कि वर्ष 2019-20 तक बढ़कर 25270.14 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस अवधि के दौरान काष्ठशिल्प, कढ़ाई एवं कशीदाकारी के सामान, कलात्मक शॉल, जरी एवं जरदोजी के सामान, बनावटी आभूषण एवं विविध हस्तशिल्पों के निर्यात में क्रमश: 27.13 प्रतिशत, 18.78 प्रतिशत, 38.74 प्रतिशत, 30.73 प्रतिशत, 25.29 प्रतिशत एवं 33.62 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। हालांकि रुपए की दृष्टि से धातुशिल्प, हैंडप्रिंटेड टैक्सटाइल्स, अगरबत्ती एवं इत्र के निर्यात में क्रमश: 4.88 प्रतिशत, 4.96 प्रतिशत एवं 1.96 प्रतिशत की गिरावट आई। अमेरिकी डॉलर की दृष्टि से काष्ठशिल्प, कढ़ाई एवं कशीदाकारी, कलात्मक शालों, जरी एवं जरदोजी के सामान, बनावटी आभूषण एवं विविध

कलात्मक वस्तुओं के निर्यात में क्रमशः 17.14 प्रतिशत, 9.52 प्रतिशत, 20.98 प्रतिशत, 21.00 प्रतिशत, 15.51 प्रतिशत एवं 23.19 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। जबकि धातुशिल्प, हैंड प्रिंटेड टेक्सटाइल्स एवं अगरबत्ती तथा इत्र में क्रमशः 12.30 प्रतिशत, 12.38 प्रतिशत एवं 9.36 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। कुल मिलाकर रुपए की दृष्टि से 15.46 प्रतिशत तथा अमेरिकी डॉलर की दृष्टि से 6.44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। परिषद के सदस्यों की संख्या वर्ष 1985-86 में जहां महज 35 थी वहीं वर्ष 2019-20 तक इसमें 9594 की वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेला दुनिया के उन चुनिंदा आयोजनों में से एक है जो विदेशी खरीदारों के लिए भी खुला रहता है।

इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट : वर्ष 2006 में स्थापित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट कुटीर क्षेत्र के उत्पादों के अतंर्राष्ट्रीय विपणन के लिए प्रदर्शन का एक बेहतरीन मंच है। इस अत्याधुनिक परिसर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रदर्शनी, व्यापार मेले एवं बिजनेस मीट करने की सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर मौजूद हैं। इस सेंटर का निर्माण विश्वस्तरीय पेशेवरों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किया गया है। यह सेंटर एशिया का एक अद्वितीय प्रोजेक्ट है जोकि ग्रेटर नोएडा में स्थित है तथा नई दिल्ली से जुड़ा हुआ है। यह सेंटर 2,35,000 वर्ग मीटर के इलाके में बना है तथा वैश्विक स्तर पर व्यवसाय करने की सभी सुविधाओं से युक्त है। यहां उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए 8 प्रदर्शन हॉल, 1800 स्थायी शोरूम हैं जोकि अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। यह विश्व स्तरीय सुविधा दुनियाभर के क्रेताओं व विक्रेताओं को भारत में एक ही स्थान पर व्यवसाय करने की सहूलियत प्रदान करती है। इस मार्ट में समय-समय पर विशिष्ट उत्पादों की प्रदर्शनियों के अलावा दो साल में एक बार भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेले का आयोजन किया जाता है।

उत्तर पूर्वी शिल्प के संवर्द्धन तथा विकास के लिए आक्रामक अंतर्राष्ट्रीय विपणन प्रोजेक्ट

उत्तर पूर्वी क्षेत्र की निर्यात आय को बढ़ाने के लिए परिषद के द्वारा एक महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय विपणन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डिजाइनरों की मदद से विपणन योग्य उत्पादों का विकास करने के साथ ही उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन की भी व्यवस्था की जाती है। इस कार्य में क्रेता-विक्रेताओं, व्यापारियों के लिए प्रदर्शनी के आयोजन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खरीदी के आदेश प्राप्त कर उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद प्रदान की जाती है। इन प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर पूर्वी क्षेत्र के हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात बढ़ाने में सफलता मिली है।

राष्ट्रीय फोटो एवं पिक्चर फ्रेमिंग टेक्नोलॉजी

हस्तशिल्प के क्षेत्र में विशेषकर फोटो फ्रेमिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यवसाय के प्रचुर अवसर विद्यमान हैं। इन व्यवसायों को अधोसंरचना सहायता उपलब्ध करा कर शिल्पकारों के लिए प्रौद्योगिकी के विकास के लाभ सुनिश्चित करने के लिए सहारनपुर एवं जोधपुर में सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना की गई है। अंतर्राष्ट्रीय जरूरतों के अनुरूप उन्नत आयातित मशीनों की स्थापना कर काष्ठशिल्प निर्यातकों को प्रौद्योगिकी की सुविधा उपलब्ध कराई

जाती है।

प्रौद्योगिकी उन्नयन केंद्र

काष्ठशिल्प के क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए तथा सहारनपुर के काष्ठशिल्प उद्योगों का कायाकल्प करने के महत्वाकांक्षी उद्देश्य के तहत परिषद के द्वारा यहां एक प्रौद्योगिकी उन्नयन केंद्र की परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य यहां डिजाइन स्टूडियो, प्रौद्योगिकी उन्नयन केंद्र, सीजनिंग प्लांट, कारपेंट्री स्कूल स्थापित कर प्रशिक्षण तथा विपणन की विधा सीखाना है। काष्ठशिल्प के निर्यातक अपने काष्ठ उत्पादों का प्रौद्योगिकी की सहायता से उन्नयन करने के लिए इन सेवाओं का सक्रियतापूर्वक लाभ उठा रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय लेस ट्रेड सेंटर

देश में क्लस्टर्स में ट्रेड लिंकेजेस का ना होना इनकी कमजोरी का सबसे बड़ा कारण है। इन क्लस्टर्स को अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं से जोड़कर उनके व्यवसाय में वृद्धि के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से परिषद के द्वारा भारत सरकार के समन्वय में नरसापुर, आंध्र प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय लेस ट्रेड सेंटर की स्थापना की जा रही है। यह सेंटर 5 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। इस सेंटर में वे सभी सुविधाएं होंगी जो क्लस्टर्स को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़कर उनके व्यवसाय वृद्धि में सहायक हो सकें।

परिषद की सदस्यता कैसे प्राप्त करें

कोई भी व्यक्ति, एचयूएफ, फर्म या व्यक्तियों का संगठन, जॉइंट स्टॉक कंपनी या अन्य कॉर्पोरेशन या सहकारी समितियां जो हस्तशिल्प के निर्यात के व्यवसाय में संलग्न हों वे परिषद की सदस्यता प्राप्त कर सकती हैं। परिषद का सदस्य बनने के लिए एक निर्धारित आवेदन पत्र भर कर जमा करना होता है। आवेदन पत्र 100 रु. में हस्तशिल्प निर्यात संवर्द्धन परिषद से प्राप्त किया जा सकता है। परिषद में प्रवेश शुल्क रु. 2,500/- तथा सालाना सदस्यता शुल्क रु. 5000/- है, इस प्रकार कुल सदस्यता शुल्क रु. 7,500+18 प्रतिशत जीएसटी यानी रु. 8,850/- है। परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से जारी इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड का होना जरूरी होता है।

परिषद के सदस्यों को मिलने वाली सुविधाएं

हस्तशिल्प निर्यात संवर्द्धन परिषद अपने सदस्यों को निम्नानुसार सुविधाएं प्रदान करता है :-

- निर्यात के विकास एवं वृद्धि के लिए वाणिज्यिक रूप से उपयोगी सूचना एवं सहायता।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता एवं डिजाइन में सुधार, स्टैंड्र्डस एंड स्पेसिफिकेशन्स, उत्पाद विकास, इनोवेशन आदि के क्षेत्र में पेशेवर सलाह एवं सेवाएं।
- विदेशों में व्यापार के अवसरों की तलाश हेतु सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के लिए विदेशों में भ्रमण का आयोजन।
- हस्तशिल्प एवं उपहार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी।
- देश में भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेलों का आयोजन।
- निर्यातक समुदाय की केंद्र एवं राज्य सरकारों से वार्तालाप हेतु मंच उपलब्ध कराना।
- निर्यात विपणन, प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण, पैकेजिंग, डिजाइन विकास, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन, ओपन हाउस आदि के लिए कार्यशाला एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के जरिए जागरूकता के वातावरण का सृजन करना।
- अपने जर्नल क्राफ्टसिल के जरिए परिषद की गतिविधियों, सरकारी अधिसूचनाओं, व्यापार मेलों के बारे में सूचनाओं तथा अन्य संबंधित सूचनाएं प्रदान करना।
- परिषद के नेतृत्व में की जाने वाली गतिविधियों जैसे - अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी, विपणन विकास सहायता योजना, विपणन पहुंच पहल योजना आदि के तहत वित्तीय सहायता।
- शुल्क मुक्त आयात प्रमाणन, इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित आवेदन पत्र जमा करना होता है।
- हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए विदेश व्यापार नीतियों के तहत समय-समय पर घोषित की जाने वाली सुविधाओं एवं रियायतों का लाभ।
- हस्तशिल्प वस्तुओं का प्रमाणन।

परिषद की सदस्यता लेने में लगने वाला समय

सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन प्राप्त होने के बाद अधिकतम तीस दिवस के भीतर परिषद की सदस्यता मिल जाती है। दिल्ली में मुख्यालय के अलावा परिषद के मुरादाबाद,

कोलकाता, बेंगलोर, जयपुर, जोधपुर, मुंबई, गुवाहाटी, नरसापुर, सहारनपुर में क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं। सहारनपुर में सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित है जिसका एक्सटेंशन काउंटर आगरा में भी है।

हस्तशिल्प संवर्द्धन परिषद के देश भर में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के संपर्क पते

- **बेंगलोर**
  302, तृतीय तल, सियर्स प्लाजा,
  नं. 136, रेसिडेंसी रोड,
  बेंगलोर - 560001 कर्नाटक
  फोन : 91 80 22107367
  ई-मेल : BANGALORE@EPCH.COM

- **कोलकाता**
  पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय,
  53/1, शंभुनाथ पंडित स्ट्रीट,
  प्रथम तल, बांगुर इंस्टीट्यूट ऑफ
  न्यूरोसाइंस एंड साइकेट्री के सामने,
  कोलकाता - 700025 पश्चिम बंगाल
  फोन : 91 33 24191744
  ई-मेल : KOLKATA@EPCH.COM

- **जयपुर**
  आइएस-2033ए, रामचंद्रपुरम,
  सीतापुर एक्सटेंशन, रिको इंडस्ट्रीयल एरिया,
  जेइसीआरसी यूनिवर्सिटी के पास,
  जयपुर - 302022
  मोबाइल : 9983321833
  ई-मेल : JAIPUR@EPCH.COM

- **मुरादाबाद**
  12ए, सी-86, न्यू मुरादाबाद योजना,
  दिल्ली रोड, मुरादाबाद - 244001
  फोन : 91 591 2480075/76
  ई-मेल : MORADABAD@EPCH.COM

- **मुंबई**
  द्वारा काउंसिल ऑफ इयू
  चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, तृतीय तल, वाय. बी.
  चव्हाण सेंटर, जनरल जे भोसले मार्ग, मुंबई - 400021
  फोन : 91 22 22814796
  ई-मेल : MUMBAI@EPCH.COM

- **नरसापुर**
  द्वारा इंटरनेशनल लेस ट्रेड सेंटर,
  आर.एस. नं. 449/1ए,
  रूस्तम बाड़ा पंचायत एरिया,
  रूस्तम बाड़ा विलेज, जिरॉइट ड्राय नरसापुर,
  एस.आर.ओ. - नरसापुर मंडल,
  पश्चिम गोदावरी जिला,
  आंध्र प्रदेश - 534275
  फोन : 91 8814 275828/29
  ई-मेल : NARSAPUR@EPCH.COM

- **जोधपुर :**
  जोधपुर हस्तशिल्प निर्यात एसोसिएशन,
  5, भगत की कोठी विस्तार,
  न्यू कैंपस के सामने,
  टाटा मोटर्स सर्विस सेंटर के पास,
  पाली रोड, जोधपुर - 342005
  फोन : 91 291 2721738
  ई-मेल : JODHPUR@EPCH.COM

- **सहारनपुर :**
  नेशनल सेंटर फॉर फोटो एंड पिक्चर फ्रेमिंग टेक्नोलॉजी,
  मंडी समिति रोड, सहारनपुर-247001
  फोन : 0132-2613093
  ई-मेल : SAHARANPUR@EPCH.COM

- **आगरा**
  द्वारा हस्तशिल्प निर्यात एसोसिएशन,
  1/129, बागीची तुलसीराम,
  पंचकुईयां शाहगंज रोड,
  आगरा - 282010
  फोन : 562 22125471
  ई-मेल : AGRA@EPCH.COM

- **गुवाहाटी**
  द्वारा भारतीय उद्यमिता संस्थान, सीएसआर हब, खेल गांव के पास, बशिष्ठा-चारियाली, गुवाहाटी
  ई-मेल : NER@EPCH.COM
  वेबसाइट : www.epch.in

हस्त शिल्प और हथकरघा क्षेत्र के उद्यमियों हेतु प्राचीन भारतीय परंपराओं के ज्ञान का केन्द्र

राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी

राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी (जिसे पहले राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय के नाम से जाना जाता था) प्रगति मैदान, नई दिल्ली में स्थित है। यह विकास आयुक्त हस्तशिल्प, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार का एक अधीनस्थ कार्यालय है। इसका मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्प और हथकरघा की प्राचीन भारतीय परंपराओं के बारे में जन-जागरुकता को बढ़ाना, शिल्पकारों, डिजाइनरों, निर्यातकों, विद्वानों और जन सामान्य के लिए एक संवादात्मक मंच उपलब्ध कराना है। शिल्पकारों को बिना बिचौलियों के विपणन हेतु एक मंच उपलब्ध कराना तथा भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा परंपराओं के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करना है। शिल्प प्रतिरूपों का संग्रहण, संरक्षण और परिरक्षण तथा कला और शिल्प का पुनर्उत्थान, पुनर्उत्पादन व विकास शिल्प संग्रहालय की गतिविधियां हैं।

संग्रहालय में लगभग 28,000 कलाकृतियों का संग्रहण है, जिसमें धातु और पत्थर की मूर्तियां, लैंप और हवन सामग्री, अनुष्ठान सामग्री, रोजमर्रा की वस्तुएं, चित्रित लकड़ी और पेपर मेशी, गुड़िया, खिलौने, कठपुतलियां, मास्क, लोक और जनजातीय चित्रकारी, टेराकोटा, लोक और जनजातीय आभूषण तथा पारंपरिक भारतीय वस्त्रों का एक पूरा खंड है। ये कलाकृतियां लोक एवं जनजातीय कला गैलरी, मंदिर गैलरी, कोर्ट शिल्प गैलरी एवं वस्त्र गैलरी में प्रदर्शित की गई हैं तथा शेष संग्रहालय के संग्रहण स्टोर में रखी गई हैं।

शिल्प प्रदर्शन कार्यक्रम

संग्रहालय वर्षभर आयोजित होने वाले अपने नियमित शिल्प प्रदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा को प्रोत्साहन देने का प्रयास करता है। शिल्प प्रदर्शन कार्यक्रम के लिए देश भर से शिल्पकारों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने और अपने शिल्प उत्पादों की बिक्री करने हेतु आमंत्रित किया जाता है।

ग्राम परिसर

ग्रामीण भारत परिसर के रूप में वर्ष 1972 में स्थापित संग्रहालय का ग्राम परिसर देश के विभिन्न भागों के ठेठ गांव संरचनाओं के साथ ग्रामीण भारत का एक संस्मरण है, जिसमें झोपड़ियां और आवास-गृह, दीवारें और प्रांगण, सदृश रूप से निर्मित और उस क्षेत्र के पारंपरिक लोक कलारूपों से सुसज्जित देश के विभिन्न क्षेत्रों की विशेषताएं शामिल हैं। इस परिसर में कुल्लू हट (हिमाचल प्रदेश), मेहर हट (सौराष्ट्र, गुजरात), गदबा हट (ओडिशा), बन्नी हट (गुजरात), मधुबनी प्रांगण (बिहार), आदि हट (अरुणाचल प्रदेश), निकोबार हट (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह), टोडा हट (तमिलनाडु), गोंड हट (मध्य प्रदेश), देवनारायण मंदिर (राजस्थान), बंगाल प्रांगण (पश्चिम बंगाल) शामिल हैं। इसके अलावा परिसर में चार हवादार (ओपन एअर) थिएटर भी विकसित किए गए हैं, जिनके नाम - कादंबरी थिएटर, सारंगा एम्फीथिएटर, आंगन मंच, पिलखन मंच हैं।

पुस्तकालय

संग्रहालय में एक विशेष संदर्भ पुस्तकालय है, जिसमें पारंपरिक भारतीय कलाओं, शिल्पों, वस्त्रों एवं भारतीय जनजातियों पर प्रमुख मानवशास्त्रियों कार्यों पर दस हजार से अधिक संदर्भ पुस्तकें और अन्य पत्रिकाएं हैं।

संरक्षण और परिरक्षण

अकादमी में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों/वस्तुओं के निवारक और उपचारात्मक देखभाल करने हेतु संरक्षण और परिरक्षण प्रयोगशाला कार्यरत है। प्रयोगशाला द्वारा गत वर्ष 22 कलाकृतियों का रायायनिक उपचार किया गया, 09 वस्तुओं का संरक्षण किया गया, इसके अलावा 62 वस्तुओं का कीटनाशक स्प्रे, सफाई और रासायनिक उपचार किया गया। आरक्षित संग्रहण में से लगभग 3500 वस्त्रों की भौतिक जांच और वर्गीकरण किया गया है। डिस्प्ले अथवा आरक्षित संग्रहण में से प्रदर्शनी के लिए चुने गए कुछ वस्त्रों को पाए गए नुकसान के अनुसार परिरक्षित और संरक्षित किया गया है। वस्त्र संग्रहण में किसी भी हस्तक्षेप को इसकी खास विशेषताओं और परिरक्षण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मूल सामग्री में किसी भी कमी से बचने के लिए सभी हस्तक्षेपों, जैसे कि मिट्टी के कण और जमी हुई गंदगी हटाने के लिए यांत्रिक सफाई, विलायक सफाई, सिलाई की मरम्मत आदि को अनुकूल और एक आवश्यक न्यूनतम स्तर पर रखा जाता है। हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र के उद्यमी इस केंद्र का भ्रमण कर अपनी जानकारी व ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं।

धातुओं से बने हस्तशिल्प उद्यमियों के लिए मार्गदर्शक मुरादाबाद का

धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र

पिछले कुछ समय में देश से कलात्मक धातु पात्रों के निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है और यदि बेहतर फिनिशिंग, पैकेजिंग आदि के साथ उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएं तो इसमें और भी वृद्धि की क्षमता है। लेकिन देखने में यह आया है कि निर्यात के लिए पारंपरिक तरीके से तैयार किए जाने वाली कलाकृतियों की फिनिशिंग में कमी रह जाती है जिसके कारण ये शिल्प आयातक देशों की निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। इस कमी को दूर कर धातु शिल्प उद्योग को मजबूती प्रदान करने हेतु पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध मुरादाबाद में धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र की स्थापना की गई है।

इस केंद्र की स्थापना के अंकुर तब फूटे जब मार्च 1983 में परियोजना (यूएनडीपी-आईएनडी/एसएस/026) को वस्त्र विकास स्थायी वित्त समिति, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई। इसके बाद भारत सरकार के द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास निधि और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से मुरादाबाद में धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र की स्थापना की गई। वर्ष 1985 में परियोजना को अंतिम रूप दिया गया, जिसे बाद में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, भारत सरकार के स्वायत्त निकाय के अंतर्गत भारत सरकार सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया। धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है जिसका प्रबंधन भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, व्यापार एवं संबद्ध संगठनों के प्रतिनिधियों से बनी शासी परिषद द्वारा किया जाता है।

प्रगति के चरण

आरंभिक चरणों में केंद्र के मामलों को यूपी स्टेट ब्रासवेयर कॉर्पोरेशन लि., उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रम के माध्यम से विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा देखा जा रहा था किन्तु अगस्त, 1991 में न लाभ न हानि के आधार पर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। संस्था के नीतिगत मामलों को सरकारी परिषद द्वारा देखा जाता है, जिसमें विकास आयुक्त (हथकरघा) अध्यक्ष होते हैं और संस्था के दैनिक मामलों को जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति द्वारा देखा जाता है। केंद्र में

परियोजना उपकरणों की स्थापना का काम वर्ष 1987 में आरंभ किया गया। जून 1989 में लेकरिंग शॉप चालू होने पर परीक्षण उत्पादन आरंभ किया गया।

केंद्र के द्वारा प्रदान की जा रही प्रमुख सुविधाएं

धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र की स्थापना सभी उन्नत प्रौद्योगिकी एवं लेकरिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए की गई है। वर्तमान में केंद्र के माध्यम से उद्यमियों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं :-

- एलेक्ट्रोप्लेटिंग (गोल्ड, सिल्वर, निकल, कॉपर, ब्रास, क्रोम आदि)
- एंटिकफिनिश
- पाउडर कोटिंग एवं सैंड/शॉट ब्लास्टिंग
- लेड एवं कैड्मियम लिचिंग
- लेड इन सर्फेसकोटिंग
- एफडीए टेस्ट एवं केलिफोर्नियाप्रोप.65
- मेटल एवं मेटल अलोय एनालिसिस
- मल्टी लेयर मेटेलिक प्लेटिंग

- थिकनेस टेस्ट
- एलेक्ट्रोलाइट का एनालिसिस
- कोरोसन रेसिस्टेंस टेस्ट
- साल्ट स्प्रे टेस्ट
- ह्यूमिडिटी टेस्ट
- लेकर कोटिंग की टेस्टिंग
- पेंट कोटिंग की टेस्टिंग
- पाउडर कोटिंग की टेस्टिंग
- कॉरूगेट्स बॉक्सेस की बर्स्टिंग स्ट्रेंथ की टेस्टिंग
- कार्टन्स का ड्रॉप टेस्ट

- कलर शेड मेचिंग
- मॉइश्चर कंटेंट इन वुड
- आरओएचएस टेस्ट
- रेडियशन टेस्ट

केंद्र के उद्देश्य

केंद्र की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं :-

1. कलात्मक धातुपात्रों के उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाना और उनकी निर्यात गुणवत्ता को बढ़ाना।
2. शिल्पियों के कौशल में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं और कलात्मक धातुपात्र उद्योग से जुड़ी तकनीकों को मुहैया कराना।
3. हस्तशिल्प उत्पादों की फिनिशिंग में सुधार लाने में निर्यातकों के लिए मददगार सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना करना।
4. एनएबीएल द्वारा प्रत्यायित अपनी परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार गुणवत्ता से जुड़े पहलुओं के संबंध में परीक्षण सुविधाएं मुहैया कराना।
5. मेटल फिनिशिंग तथा धातु हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े क्रियाकलापों के क्षेत्र में सतत अनुसंधान एवं विकास मुहैया कराना।

केंद्र के विभिन्न विभाग

धातु शिल्प उद्योग से जुड़े उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्र में निम्नानुसार विभाग कार्य कर रहे हैं :-

- एलेक्ट्रोप्लेटिंग शॉप

- लेकरिंग
- पाउडर कोटिंग
- पॉलिशिंग
- अनुसंधान, टेस्टिंग और केलिबरेशन प्रयोगशाला
- सैंड/शॅट ब्लॉस्टिंग
- डिजाइन बैंक
- भारतीय हस्तशिल्प प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण

रिसर्च टेस्टिंग एंड केलिबरेशन लेबोरेटरी (आरटीसी लेबोरेटरी)

रिसर्च टेस्टिंग एंड केलिबरेशन लेबोरेटरी (आरटीसी लेबोरेटरी) की स्थापना वर्ष 2005 में धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र की उन्नयन योजना के दौरान की गई थी। यह आईएसओ/आईईसी : 17025/2017 के अनुसार धातु एवं मिश्र धातु, पेंट एवं सर्फेस कोटिंग, एलेक्ट्रोप्लेटिंग बाथ एंड साल्ट, आरओएचएस, माइग्रेशन ऑफ हेवी मेटल एंड वाटर एंड वेस्ट के लिए एनएबीएल प्रत्यायित है।

एमएचएससी धातु हस्तशिल्प उत्पादों, रसायन गैर-विनाशकारी, विषाक्त, धातु टेस्टिंग, ड्रॉप टेस्ट और जंग प्रतिरोधक टेस्टिंग, आरओएचएस, आरईएसीएच (एसएचवीसी) आदि के क्षेत्र में एक अग्रणी पदार्थ टेस्टिंग प्रयोगशाला है। आरटीसी प्रयोगशालाओं ने समकालीन टेस्टिंग, उपकरणों जैसे आईसी-आईसीपी-एमएस, एफटीआरआई, ईडीएक्सआरएफ, एएएस और बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्टर आदि से सुसज्जित ईएन/आईएसओ/आईईसी 17025:2017 की अपेक्षाओं के अनुसार गुणवत्ता और कार्यान्वित गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए विशाल प्रतिष्ठा हासिल की है। एमएचएससी किफायती दरों पर सर्वोत्तम सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करवा रहा है।

इओनक्रोमेटोग्राफी - आईसीपीएसएस एंड एफटीआरआई की स्थापना के पश्चात निर्यातकों, विनिर्माताओं और कारीगरों के लिए निम्नलिखित सुविधाएं शुरू की गई हैं -

1. नॉन-मैटेलिक कोटिंग में टॉक्सिक मेटल्स का पता लगाना
2. यूरोपीय निवेश के अनुसार 23 एलिमेंट्स का माइग्रेशन
3. भारी धातु का विशिष्ट माइग्रेशन
4. जैविक विष एवं विषाक्त की पहचान
5. विषाक्त यौगिक की पहचान

निर्यातकों को लाभ

निर्यातकों को केंद्र में सभी संबंधित टेस्ट सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जो किफायती भी होती हैं। टेस्टिंग ग्राहकों की आवश्यकतानुसार परिणामों की गुणवत्ता पर प्रभाव डाले बिना अल्प अवधि में संपन्न की जाती है। सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होने से सैंपलों की जांच के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ता, जिससे निर्यातकों के समय और पैसे की बचत होती है। थर्ड पार्टी प्रेषित माल निरीक्षण सुविधाएं उनके दरवाजे पर उपलब्ध कराई जाती हैं। आरटीसी प्रयोगशाला द्वारा जारी टेस्ट प्रमाण पत्र विभिन्न देशों के अनेक विदेशी खरीदारों, बाईंग हाउसेस, एक्सपोर्ट हाउसेस और ट्रेड टैक्स आदि जैसे सरकारी विभागों द्वारा मान्यता प्राप्त है। तैयार उत्पादों के साथ-साथ प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अपने उत्पादों की गुणवत्ता का स्तर जानने से उद्यमियों में अधिक आत्मविश्वास जागृत होता है।

- धातु-पात्र के उत्पादन एवं गुणवत्ता में सुधार एवं उनकी उत्तमता में बढ़ोतरी होती है।
- उद्यमियों को अपने व्यापार को नवीनतम तकनीक से उन्नयन करने में मदद मिलती है।
- मेटल फिनिशिंग, मेटल कास्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन आदि के क्षेत्र में नियोजकों/ विनिर्माताओं आदि की समस्याओं के समाधान में आसानी होती है।
- एमएचएससी सरकारी विभाग के लाभार्थियों जैसे - जीएसटी, एसइजेड, आयकर, रेलवे, भेल, जल निगम, स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा -उत्तर प्रदेश, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, न्यायिक विभाग और दिल्ली एवं गुरुग्राम के आभूषण निर्यातकों के अलावा प्रत्येक वर्ष धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र मुरादाबाद के आस-पास के हस्तशिल्प व्यापार निर्यातक, विनिर्माताओं एवं कारीगरों को बड़े पैमाने पर मेटल फिनिशिंग, टेस्टिंग, निरीक्षण एवं अन्य सेवाएं जैसी सुविधाएं प्रदान करता है।

उद्योगों को लाभ

- धातु पात्र के उत्पादन में गुणात्मक सुधार एवं उनकी उत्तमता में बढ़ोतरी होती है।
- व्यापार में नवीनतम तकनीकी से उन्नयन होता है।
- मेटल फिनिशिंग, मेटल कास्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन आदि के क्षेत्र में निर्यातकों/विनिर्माताओं आदि की समस्याओं के समाधान के लिए आसान मंच उपलब्ध होता है।

महिलाएं स्व-रोजगार स्थापित कर दूसरों को भी दे रही हैं रोजगार

ग्रामीण आजीविका मिशन बन रहा है आजीविका का सशक्त माध्यम

भोपाल, गुरूवार, सितम्बर 15, 2022। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों के रूप में संगठित महिलाएं स्व-रोजगार स्थापित कर न केवल स्वयं आत्म-निर्भर बन रही हैं, अपितु बहुत से परिवारों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की सहायता से समूह का गठन, आर्थिक सहायता, तकनीकी व कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर ये महिलाएं अपना कार्य दक्षता के साथ कर रही हैं।

नर्मदापुरम जिले के माखन नगर एवं सोहागपुर विकासखंडों में 120 महिला स्व-सहायता समूह का क्लस्टर बनाकर नाबार्ड के सहयोग से हाईटेक सिलाई सेंटर्स की स्थापना की गई है। इनमें महिलाओं द्वारा लोवर, केपरी, बरमूडा, पेटीकोट, सलवार-सूट आदि परिधान तैयार किए जा रहे हैं। महिलाओं के संकुल स्तरीय संघ बनाए गए हैं और उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण व वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उनके उत्पाद स्थानीय एवं जिला बाजार में विक्रय होने के साथ ही आजीविका मार्ट पोर्टल द्वारा ऑनलाइन भी बिक रहे हैं।

कृषि एवं मुर्गी पालन से आय

विदिशा जिले के सिरोंज विकासखंड के ग्राम चौड़ाखेड़ी के जानकी मईया स्व-सहायता समूह की श्रीमती श्याम बाई कृषि एवं मुर्गी पालन के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। वे प्रति माह 12 से 15 हजार रूपए महीने की आय प्राप्त कर रही हैं। उन्हें चक्रीय निधि, सामुदायिक निवेश निधि और बैंक लिंकेज से व्यवसाय के लिए पर्याप्त राशि मिल जाती है। वे अपने साथ ही अन्य 10 स्व-सहायता समूह की महिलाओं को भी कृषि एवं मुर्गी पालन में सहायता कर रही हैं। इसी प्रकार ग्राम महुआखेड़ा बिल्लोची के जय गुरूदेव स्व-सहायता समूह की महिला श्रीमती पिस्ता बाई किराना एवं डेयरी का कार्य कर पर्याप्त आमदनी ले रही हैं।

फूल दीदी बन रही हैं सबके लिये प्रेरणा

देवास जिले के उदय नगर में रहने वाली फूलवती दीदी आस-पास के 30-35 गांवों में स्व-रोजगार की प्रेरणा बन रही हैं। उन्होंने इन ग्रामों में 96 स्व-सहायता समूहों के माध्यम से एक हजार महिलाओं को जोड़ा है। यह महिलाएं किराना, आटा चक्की, मुर्गी पालन, बकरी पालन, भैंस पालन, फलदार बाड़ी, बिजली दुकान, चाय दुकान, नल-जल संचालन जैसी अनेक गतिविधियां कर रही हैं। उनके प्रयासों से 74 समूहों को चक्रीय राशि और 45 समूहों को सीआईएफ एवं बैंक क्रेडिट लिंकेज से विभिन्न व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता मिली है। समूह से जुड़ी सभी महिलाओं को प्रतिमाह 10 हजार रूपए से अधिक मासिक आय हो जाती है। ग्राम सुनवानी गोपाल के श्रीकृष्णा आजीविका समूह की श्रीमती निर्मला बरोलिया ने कई स्व-सहायता समूहों को मिलाकर विजयागंज मंडी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बनाई है, जिसकी वे डायरेक्टर हैं। कंपनी आलू व्यवसाय के माध्यम से अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही है।

औषधीय पौधों की नर्सरी

उमरिया जिले के ग्राम करोंदी टोला के दुर्गा स्व-सहायता समूह की महिलाएं औषधीय पौधों की नर्सरी का कार्य कर रही हैं। समूह सदस्य श्रीमती पुष्पा कुशवाह ने बताया कि समूह ने ग्राम डोंडका में औषधीय पौधों की खेती के लिये 2 एकड़ जमीन का चयन किया और उस जमीन पर महिलाओं द्वारा नर्सरी तैयार की गई। नर्सरी में कालमेघ, अश्वगंधा, काली तुलसी, शतावर, ओडीसी मुनगा आदि प्रजातियां लगाई गई हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा उनके औषधीय उत्पादों के विक्रय की व्यवस्था भी की जा रही है।

अहिल्या दीदी बनी हैं पर्यटन गाइड

उमरिया जिले के ही ग्राम परासी के राधा स्व-सहायता समूह की अहिल्या दीदी आजीविका मिशन के माध्यम से पर्यटन गाइड का प्रशिक्षण प्राप्त कर हिन्दी और अंग्रेजी में सैलानियों को बांधवगढ़ नेशनल पार्क में जानकारी दे रही हैं। वे बीएससी, बीएड और एमसीए शिक्षा प्राप्त हैं। आरसेटी से प्राप्त प्रशिक्षण में उन्हें नेशनल पार्क में पाए जाने वाले वन्य जीवों की आदत और व्यवहार, साथ ही एतिहासिक धरोहरों के संबंध में भी जानकारी दी गई है। इस कार्य से वे अच्छी आमदनी ले रही हैं।

आत्म निर्भरता का तानाबाना बुनती भोपाल की महिलाएं

अपनों को अपना सा उपहार और पूजन सामग्री के हैंपर से बाजार में मचाई धूम

भोपाल, बुधवार, सितम्बर 14, 2022। भोपाल के स्व-सहायता समूह तीज-त्यौहार और विशेष अवसरों पर अपनों को अपना सा उपहार देने के लिए लगातार लोकल फॉर वोकल की अवधारणा को चरितार्थ कर रहे हैं। महिलाओं की आत्मनिर्भरता से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनुज आजीविका स्व-सहायता समूह, ग्राम झागरियां खुर्द, ब्लॉक फन्दा ने नई पहल कर पूजन और उपहार के लिए 18 सामग्रियों को संग्रहित कर पर्व हैम्पर बनाया है।

स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा गिफ्ट हैम्पर के अलावा पूजन की सामग्री में शुद्धता और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा गया है। समूहों की महिलाओं ने आम नागरिकों से अपील की है कि पर्वों पर अपनों को पूजन गिफ्ट हेम्पर उपहार स्वरूप भी भेंट करें। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी महाशिवरात्रि पूजन हैम्पर खरीद चुके हैं। मुख्यमंत्री ने अनुज स्व-सहायता समूह झागरिया खुर्द फंदा की दीदियों द्वारा बनाए गए महाशिवरात्रि पूजन सामग्री के हैम्पर की तारीफ भी की थी।

इस हेम्पर में पूजन की सामग्री में प्रतिमा, पूजा स्थापना आसन, गो-दीपक, वेल्वेट डिजाईनर मास्क, शिव चालीसा, स्तुति, स्तोत्र एवं आरती सहित विभूति भस्म, गंगाजल, भोपाल पर्स, कुम-कुम, रूद्राक्ष माला, जूट हैण्डलूम बैग सहित 18 वस्तुएं शामिल हैं। ये हैम्पर भोपाल के प्रमुख बाजारों के अलावा माल में भी लगाए गए स्टाल पर आसानी से मिल जाएंगे। भोपाल के ही 10 नंबर मार्केट पर प्रारंभ किए गए राग भोपाली में इन उत्पादों की धूम है। ये उत्पाद ऑनलाइन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

ग्राम डोंगरा की महिलाओं ने पातालकोट की चिरौंजी को दिलाई नई पहचान

चिरौंजी प्र-संस्करण यूनिट

का सफल संचालन

भोपाल, सोमवार, सितम्बर 12, 2022। म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन प्रदेश की महिलाओं को सशक्त और आत्म-निर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। छिन्दवाड़ा जिले के जनजाति बहुल तामिया विकासखण्ड की महिलाओं ने स्वयं को तो सशक्त बनाया ही है, तामिया की प्रसिद्ध वनोपज चिरौंजी को पाताल कोट चिरौंजी के नाम से एक नई पहचान भी दिलाई है। आज ये महिलाएं चिरौंजी प्र-संस्करण यूनिट से चिरौंजी की पैकेजिंग और विक्रय कर अच्छा लाभ कमा रही हैं।

तामिया में चिरौंजी प्र-संस्करण यूनिट के सफल संचालन के बाद ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ कर विकासखण्ड अमरवाड़ा के ग्राम सोनपुर की महिलाएं भी चिरौंजी प्र-संस्करण का कार्य कर आर्थिक लाभ प्राप्त कर आत्म-निर्भर हो रही हैं। पातालकोट चिरौंजी, आर्डर पर जिले के स्थानीय बाजार के साथ ही भोपाल और गुजरात में भी सप्लाई की जा रही है। महिलाएं, जीविका पोर्टल से भी चिरौंजी का ऑनलाइन विक्रय कर रही हैं। इसी वर्ष अगस्त माह में छिंदवाड़ा जिले के भ्रमण पर पहुंचे केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह एवं प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने भी अनुसूचित जनजाति बहुल विकासखंड तामिया के ग्राम डोंगरा पहुंच कर चिरौंजी प्र-संस्करण केंद्र का निरीक्षण कर सराहना की और स्व-सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा कर उनका हौसला बढ़ाया।

पहले समूह की महिलाएं वनों और अपने खेतों से प्रतिवर्ष चिरौंजी की गुठली एकत्रित कर बिचौलियों को कम दाम में बेच देती थीं। इससे उन्हें तो कम लाभ होता था, लेकिन बिचौलिए दोगुना लाभ कमाते थे। इस बारे में जब ग्राम पंचायत कुमड़ी ग्राम डोंगरा के सीता आजीविका ग्राम संगठन में चर्चा हुई तो संगठन द्वारा निर्णय लिया गया कि ग्राम संगठन, चिरौंजी प्र-संस्करण की इकाई स्थापित कर गुठली एकत्रित करेगा और उससे चिरौंजी बना कर पातालकोट चिरौंजी के नाम से पैंकिग कर बाजार में बेचेगा। सीता आजीविका ग्राम संगठन डोंगरा से जुड़े 3 महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि उनके समूह में 32 सदस्य हैं। समूह द्वारा 2 लाख 9 हजार 119 रूपए की लागत से चिरौंजी प्र-संस्करण इकाई की स्थापना की गई है तथा इकाई द्वारा एक लाख 68 हजार 200 रूपए की लागत से 8 क्विंटल 41 किलो 900 ग्राम गुठली खरीदी गई एवं 541 कि.ग्रा. गुठली के प्र-संस्करण में एक लाख 28 हजार 700 रूपए व्यय कर अभी तक 162 कि.ग्रा. चिरौंजी एक लाख 94 हजार 400 रूपए में विक्रय कर 65 हजार 700 रूपए का लाभ प्राप्त किया जा चुका है।

समूह की महिलाओं द्वारा किए जा रहे इस नवाचार की सर्वत्र सराहना हो रही है। इसका श्रेय ये महिलाएं शासन-प्रशासन और ग्रामीण आजीविका मिशन की पूरी टीम को देती हैं। साथ ही अन्य महिलाओं को भी समूह से जुड़ कर आत्म-निर्भर होने के लिए

प्रेरित कर रही हैं। महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में बदलाव आया है। चिरौंजी प्र-संस्करण का कार्य लगातार जारी है और इसे दिनों-दिन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे पातालकोट चिरौंजी की पूरे देश में एक ब्रांड के रूप में पहचान बन सके।

ग्रामीण महिलाएं लिख रही हैं विकास की नई इबारत

ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ कर हो रहा है उनका **आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण**

भोपाल, मंगलवार, सितम्बर 13, 2022। मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं विकास की नई इबारत लिख रही हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ कर न केवल वे आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं अपितु एक नया आत्मविश्वास उनके अंदर आया है। परिवार और समाज में उनका सम्मान बढ़ रहा है। वे प्रदेश और देश में विकास की संवाहक बन रही हैं।

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वर्ष 2012 से ग्रामीण गरीब परिवार की महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्व-सहायता समूह बना कर उनके संस्थागत विकास तथा आजीविका के संवहनीय अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मिशन द्वारा प्रदेश में अब तक 45 हजार ग्रामों में लगभग 3 लाख 87 हजार स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है। मिशन का उद्देश्य ग्रामीण निर्धन परिवारों की महिलाओं को स्व-सहायता समूह के रूप में संगठित कर सहयोगात्मक मार्गदर्शन करना तथा समूह सदस्यों के परिवारों को रूचि अनुसार उपयोगी स्व-रोजगार एवं कौशल आधारित आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है, जिससे मजबूत बुनियादी संस्थाओं के माध्यम से लक्षित परिवारों की आजीविका को स्थायी आधार पर बेहतर बनाया जा सके।

आजीविका मिशन में गठित समूहों से जुड़ी बहनों के लिए सरकार ने भरपूर धन राशि का इंतजाम भी किया है। प्रदेश में लगभग 43 लाख 47 हजार परिवार की महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ा जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत निर्धन परिवारों के इन समूहों को मिशन द्वारा चक्रीय निधि, सामुदायिक निवेश निधि आपदा कोष तथा बैंक लिंकेज के रूप में वित्तीय सहयोग किया जा रहा है। इस राशि से उनकी छोटी-बड़ी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, जिससे वे आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ते हुए साहूकारों के कर्जजाल से भी मुक्त हो रहे हैं।

मिशन द्वारा दिए जा रहे लगातार प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय सहयोग एवं सहयोगात्मक मार्गदर्शन से लाखों परिवारों की निर्धनता दूर हो गई है। लगातार दिए जा रहे प्रशिक्षण का ही परिणाम है कि समूह सदस्यों के अन्दर गरीबी से उबरने की दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई है। परिणामस्वरूप वे आगे बढ़ कर पात्रता अनुसार अपने हक, अधिकार न केवल समझने लगे हैं बल्कि प्राप्त भी करने लगे हैं। मिशन के प्रयासों से ग्रामीण निर्धन परिवारों के जीवन में अनेकों सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। इनमें सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण प्रमुख रूप से देखा जा सकता है।

मिशन के प्रयासों का परिणाम है कि समूहों से जुड़ कर बहनों में अभूतपूर्व बदलाव हो रहा है। जो बहनें कुछ समय पहले तक पंचायतों में अपने काम कराने सरपंचों से कहने का साहस नहीं जुटा पाती थीं आज प्रदेश में लगभग 2 हजार पंचायतों में सरपंच बन कर ग्राम पंचायत का नेतृत्व संभाल रही हैं। ग्राम पंचायत के साथ जनपद और जिला पंचायतों में भी सर्वे-सर्वा हो गई हैं।

मिशन में गठित स्व-सहायता समूहों से जुड़े परिवारों में से 16 लाख 79 हजार से अधिक परिवार कृषि एवं पशुपालन आधारित आजीविका गतिविधियों से जुड़े हैं, जबकि लगभग 6 लाख 19 हजार से अधिक परिवार गैर कृषि आधारित लघु, उद्यम आजीविका गतिविधियों से जुड़कर काम कर रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका गतिविधियों को और सुदृढ़ करने के लिए पिछले वर्ष लगभग 1500 करोड़ रूपए का ऋण बैंकों के माध्यम से बहनों को प्राप्त हुआ है। इस वर्ष यह लक्ष्य पिछले वर्ष का दोगुना लगभग 3000 करोड़ रूपए कर दिया गया है। इस राशि से ग्रामीण निर्धन तबके के परिवारों की आजीविका गतिविधियों को शुरू करने तथा सुदृढ़ करने के अवसर कई गुना बढ़ गए हैं। यह राशि जैसे-जैसे समूहों में पहुंचती जाएगी, निर्धन परिवारों के जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति में तेजी से सुधार दिखाई देंगे। इस राशि पर ब्याज अनुदान भी सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जिससे ऋण वापसी और भी सरल हो गई है।

मिशन के प्रयासों के परिणाम हमारे सामने हैं, जो महिलाएं कुछ वर्षों पहले मुश्किल से तीन-चार हजार रूपए प्रतिमाह आय अर्जित कर रही थीं, आज ऐसी लाखों महिलाएं हैं जो सम्मानपूर्वक

प्रतिमाह 10 हजार रूपए से अधिक की आय अर्जित करने लगी हैं। समूहों में जुड़ कर न सिर्फ उन्होंने अपनी आय के संसाधनों में वृद्धि की है, अपितु परिवार और समाज में उनका सम्मान बढ़ा है। उनके नेतृत्व में प्रदेश एवं देश का विकास हो रहा है। ग्रामीण मध्यप्रदेश देश के आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्म-निर्भर राज्यों की श्रेणी में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ कर महिलाएं हो रही हैं आत्म-निर्भर

विभिन्न व्यवसायों से हो रही है अच्छी आमदनी

भोपाल, मंगलवार, सितम्बर 13, 2022। मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं आजीविका मिशन से जुड़ कर आत्म-निर्भर हो रही हैं। उन्हें शासन से विभिन्न व्यवसाय एवं गतिविधियों के लिए आर्थिक एवं अन्य सहयोग मिल रहा है, जिससे वे अच्छी आमदनी ले पा रही हैं।

भिण्ड जिले के लहार विकासखण्ड के ग्राम अदलीशपुरा के भीमाबाई आजीविका स्व-सहायता समूह की श्रीमती विनीता बाई टमटम (इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा) से आजीविका चला रही हैं। उन्हें ग्रामीण विकास बैंक से 50 हजार रूपए का ऋण प्राप्त हुआ। उनके पति राजमिस्त्री का काम करते थे और बेटा बेरोजगार था। बमुश्किल घर चल पाता था। उन्होंने स्व-सहायता समूह बनाया। उन्हें आजीविका मिशन से 11 हजार रूपए की चक्रीय राशि, ग्राम संगठन से 80 हजार रूपए का ऋण एवं बैंक से 50 हजार रूपए का ऋण प्राप्त हुआ। उन्होंने टमटम (इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा) खरीदा, जिसे उनका बेटा चलाता है। इस व्यवसाय से उन्हें लगभग 10 हजार रूपए माह की आमदनी होती है।

बटन मशरूम की खेती से आमदनी

भिण्ड जिले के ग्राम इकाहरा के स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने बटन मशरूम की खेती शुरू की। मशरूम की खेती में लागत कम एवं उत्पादन अधिक होने से उन्हें अच्छा लाभ प्राप्त हुआ। उन्होंने मशरूम की खेती में उपयोग की जाने वाली कम्पोस्ट खाद भी खुद तैयार की। मशरूम उत्पादन से न केवल वे अच्छा लाभ ले रही हैं, बल्कि क्षेत्र में उनकी पहचान भी बनी है।

नर्सरी से अच्छा लाभ

बुरहानपुर जिले के ग्राम बसाड़ की एकता स्व-सहायता समूह की श्रीमती रजनी की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। उन्होंने समूह से नर्सरी का कार्य सीखा एवं आर्थिक सहायता प्राप्त कर नर्सरी का व्यवसाय प्रारंभ किया। अब वे प्रतिमाह 10 से 12 हजार रूपए की आमदनी ले रही हैं।

अर्चना ने खोला कॉमन सर्विस सेंटर

बुरहानपुर जिले के ग्राम दापोरा की रेणुका माता स्व-सहायता समूह की श्रीमती अर्चना पाटिल ने कॉमन सर्विस सेंटर प्रारंभ किया है। इसके माध्यम से वे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, टीकाकरण के लिए पंजीयन, सम्मान निधि योजना में किसानों का पंजीयन, पथ-विक्रेता योजना में पंजीयन सहित अन्य सेवाएं दे रही हैं। इस व्यवसाय से वे 8 से 10 हजार रूपए की मासिक आय प्राप्त कर रही हैं।

जैकेट निर्माण कार्य से आमदनी

शिवपुरी जिले के बदरवास विकासखण्ड के ग्राम बारई एवं आसपास के स्व-सहायता समूहों की लगभग 2500 महिलाएं जैकेट निर्माण का कार्य कर रही हैं। उन्हें इसके लिए आजीविका मिशन से प्रशिक्षण मिला। इस कार्य से प्रति महिला लगभग 6 से 8 हजार रूपए प्रतिमाह की आमदनी लेती है। इसके अलावा वे जनरल स्टोर, किराना स्टोर एवं कृषि गतिविधियां भी कर रही हैं।

बैंक सखी बन कर बैंक खाते खुलवाए

शिवपुरी जिले की खनियाधाना तहसील के ग्राम नगरैला के लक्ष्मी स्व-सहायता समूह की श्रीमती दुर्गेश चौहान ने आजीविका मिशन से बैंक सखी का प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब वे आसपास के क्षेत्र में समूह की महिलाओं के बैंक खाते खुलवाती हैं और उनके अन्य बैंक संबंधी कार्य भी करती हैं। इस साल उन्होंने 250 समूहों के बैंक बचत खाते खुलवाए, 16 समूहों को 48 लाख रूपए का बैंक ऋण दिलवाने में सहायता की और 253 व्यक्तिगत खाते खुलवाए। दुर्गेश न केवल स्वयं आत्म-निर्भर हो रही हैं, अपितु अन्य महिलाओं को भी आत्म-निर्भर करने में योगदान दे रही हैं।

स्व-सहायता समूह से महिलाओं को मिल रहा आर्थिक संबल

भोपाल, शनिवार, सितम्बर 24, 2022। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए संचालित कल्याणकारी कार्यक्रमों के सार्थक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। पिछले वर्षों में राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए नवाचार कर संचालित की गई योजनाओं से अब बदलाव के साक्ष्य देखे जा सकते हैं। प्रदेश में

महिला स्व-सहायता समूह का गठन, उन्हें मिली सरकारी मदद और समूह के बेहतर संचालन ने आधी आबादी के जीवन में मूलभूत परिवर्तन ला दिया है। इन समूहों की महिलाएं अपनी योग्यता, क्षमता और रूचि के अनुसार कार्य चुनती हैं। सरकारी स्तर से मिल रहे समुचित प्रशिक्षण तथा आर्थिक मदद से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक बदलाव का दौर प्रारम्भ हो जाता है।

श्योपुर जिले और विकासखंड के ग्राम ननावद निवासी श्रीमती शीतल बैरवा को आर्थिक कठिनाइयों भरे जीवन से उबरने की राह स्व-सहायता समूह ने दिखाई। शीतल, समूह की सदस्य बनीं, पहले पांच हजार, फिर दस हजार रूपए का ऋण लिया, उसे समय पर चुकाया और अब एक लाख रूपए का ऋण लेकर किराना और मनिहारी की दुकान खोल ली है। पति, बेटी और बेटे के सहयोग से दुकान अच्छी चलने लगी और घर का ठीक से गुजारा होने लगा।

सेवा की भावना ने शीतल को दिया प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर

अब शीतल के मन में सेवा कार्य से जुड़ने की ललक उठी। वे अक्टूबर 2020 में मध्यप्रदेश-डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में गठित स्व-सहायता समूह सदस्य के संकुल स्तरीय संगठन में समता सखी बनीं। जल जीवन मिशन में पेयजल गुणवत्ता निगरानी समिति की सदस्य बन कर घर-घर पानी की बचत और स्वच्छता का अलख जगाया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने श्रीमती शीतल को पानी की शुद्धता परीक्षण का प्रशिक्षण दिला कर जल परीक्षण किट प्रदान किया। शीतल ने घर की जिम्मेदारियों के साथ ग्रामीणों को उपलब्ध हो रहे पेयजल का परीक्षण प्रारंभ कर दिया। श्रीमती शीतल बैरवा को विगत दिनों कराहल ब्लाक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जल जीवन मिशन में जल परीक्षण के लिए फील्ड टेस्ट किट प्रदान की। श्रीमती बैरवा कहती हैं कि जल जीवन मिशन में सेवा कार्य से जुड़ने और गांव से प्रधानमंत्री से भेंट तक का अल्प समय में लंबा रास्ता तय कर लेने वाला अद्‌भुत अनुभव रहा है। मेरे लिए तो यह छोटी सेवा बड़ा मेवा जैसी बात हुई है।

जल जीवन मिशन में संचालित ग्रामीण क्षेत्र की जल प्रदाय योजनाओं में जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रत्येक ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति में 5 महिला सदस्य को लिया जाता है। इन्हीं सदस्यों को प्रशिक्षण के बाद जल परीक्षण के लिए फील्ड टेस्ट किट दी जाती है, जिससे ग्रामीणों को नल कनेक्शन के जरिए उपलब्ध करवाए जा रहे जल का समय-समय पर परीक्षण किया जा सके। प्रदेश में अब तक 15 हजार 38 ग्राम में 61 हजार 356 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। मिशन में शामिल ये जल मित्र अपने फील्ड टेस्ट किट से पेयजल में आठ प्रकार के टेस्ट पी.एच, कठोरता, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयरन, फ्री क्लोरिन, टर्बीडिटी और नाइट्रेट टेस्ट करते हैं।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

आइसक्रीम पार्लर के मालिक हैं मोबाइल की दुकान में काम करने वाले प्रदीप

भोपाल, सोमवार, सितम्बर 26, 2022। कभी दूसरों की दुकान पर काम करने वाले दतिया के श्री प्रमोद सेन आज 5 लाख रूपए के आइसक्रीम पार्लर के मालिक तो बने ही हैं, उन्होंने 2-3 युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध कराया है। यह सब राज्य शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से संभव हुआ है। योजना में हितग्राहियों को मिलने वाला 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनुदान भी युवाओं के लिए आकर्षक है।

श्री प्रदीप सेन बताते हैं कि वे इस वर्ष इस योजना के प्रारंभ होने के बाद पहले-पहल लोन लेने वाले युवा हैं। उन्होंने बताया कि वे दतिया में ही एक मोबाइल की दुकान में मजदूरी करते थे। उनके मन में उसी लोकेशन पर आइसक्रीम पार्लर खोलने की इच्छा थी। उन्होंने बताया कि पार्लर के लिए लगने वाली 5 लाख की पूंजी उनके पास थी नहीं और ऐसे में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना उनकी मददगार बनी।

श्री सेन बताते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया। उन्हें 15 दिन से भी कम समय में बैंक ऑफ बड़ौदा से 5 लाख का ऋण मिला और उन्होंने अपना व्यवसाय भी प्रारंभ कर लिया। वे बताते हैं कि मात्र 6 माह में ही उनका व्यवसाय इतना शानदार चल रहा है कि वे बैंक का लोन चुकाने के साथ अन्य युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं।

श्री प्रदीप सेन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देते हैं कि स्व-रोजगार के साथ पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से फालतू के चक्कर और बिचौलियों से उन्हें निजात मिली है।

सेडमैप समाचार

सेडमैप फूड प्रोसेसिंग इन्क्यूबेशन सेंटर में सिखाए गए खाद्य प्रसंस्करण के गुर

उद्यमिता विकास केंद्र मध्यप्रदेश (सेडमैप) के अरेरा हिल्स स्थित मुख्यालय में विगत 16 अगस्त से 28 अगस्त 2022 तक फल एवं सब्जी परिरक्षण में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दस दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य कार्यालय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग मप्र, भोपाल द्वारा प्रायोजित किया गया। सेडमैप की कार्यकारी संचालक **श्रीमती अनुराधा सिंघई** ने बताया कि सेडमैप फूड प्रोसेसिंग इन्क्यूबेशन सेंटर में कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत फल एवं सब्जी परिरक्षण उद्योग पर दस दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 04 स्वयंसहायता समूह के 40 सदस्यों को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग राज्य कार्यालय भोपाल की ओर से प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

❑ **श्री रमाकांत शुक्ला,** सेडमैप, भोपाल

मंदसौर में पीएमईजीपी कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न

उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश (सेडमैप) मंदसौर द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना अंतर्गत मंदसौर में 16 अगस्त 2022 से 25 अगस्त 2022 तक ईडीपी कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं 18 अगस्त 2022 से

22 अगस्त 2022 तक पांच दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पांच लाख से अधिक ऋण राशि के 16 प्रशिक्षणार्थी एवं पांच लाख से कम बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि वाले 15 इस तरह कुल 31 प्रशिक्षणार्थियों ने सफलतापूर्वक भाग लिया। प्रशिक्षणार्थियों को जिला समन्वयक एवं अन्य गेस्ट फैकल्टी द्वारा योजना की जानकारी, बैंक संबंधी जानकारी, वित्तीय प्रबंधन, बाजार सर्वेक्षण, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, सफल उद्यमियों के गुण, शासकीय योजनाओं की जानकारी, विभिन्न प्रकार के लायसेंस लेने की प्रक्रिया आदि पर विस्तार से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन 27 अगस्त 2022 को रोजगार अवसर मेले में किया गया। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री यशपाल सिंह सिसोदिया -विधायक, मंदसौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, कलेक्टर मंदसौर श्री गौतम सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार सत्यम, खादी ग्रामोद्योग आयोग से पधारे श्री राजीव खन्ना, महाप्रबंधक श्री आर.एस.जयंत एवं विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, जिला समन्वयक सेडमैप मंदसौर श्री नीरज सिंह उपस्थित हुए एवं प्रमाण पत्र वितरण किया।

❑**नीरज सिंह**

जिला समन्वयक,

सेडमैप मंदसौर

एनपीसीआईएल सीएसआर अन्तर्गत कौशल उन्नयन प्रशिक्षण सम्पन्न :

सेडमैप द्वारा प्रशिक्षित प्रतिभागियों का हुआ प्लेसमेंट

एनपीसीआईएल के सौजन्य से सीएसआर अन्तर्गत तीन माह के कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सिलाई, ब्यूटी पार्लर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, कम्प्यूटर हार्डवेयर, नर्स सहायक विषय के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम 07 अक्टूबर 2022 को सफलतापूर्वक सम्पन्न हुए। यह प्रशिक्षण

05 मई 2022 से प्रारम्भ हुए थे, जिनका उद्घाटन 29 अप्रैल 2022 को एनपीसीआईएल के उच्च अधिकारी श्री होशियार सिंह (वरिष्ठ प्रबंधक), श्री कमलेश प्रसाद शर्मा (वरिष्ठ अभियंता), महाप्रबंधक उद्योग, एमएसडीई प्रबंधक श्री राजेन्द्र परमार, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री राजेन्द्र जैन की उपस्थिति में हुआ। यह प्रशिक्षण हटा पथरिया, तेन्दुखेडा, पटेरा, मुडारी, हिण्डोरिया एवं दमोह में आयोजित किया गया।

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 600 अभ्यार्थियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। प्रशिक्षण की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग एनपीसीआईएल के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर की गई। सेडमैप मुख्यालय से कार्यकारी संचालक महोदया श्रीमती अनुराधा सिंघई द्वारा गठित पीएमयू द्वारा वीडियो काल पर प्रशिक्षणार्थियों से बात कर समय-समय पर गुणवत्ता की जांच की गई। कुल 24

केन्द्रों में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को जिला प्रशासन द्वारा गठित कौशल विकास समिति जो कि नीति आयोग के जिलों में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्य करती है, के द्वारा केन्द्रों का निरिक्षण किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्लेसमेंट हेतु प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा केम्पस सिलेक्सन किया गया जिसमें प्रशिक्षण के दौरान ही नर्स सहायक के 33 एवं रेडीमेड गारमेन्टस के कुल 40 प्रशिक्षणार्थियों का चयन इंदौर एवं मंडीदीप के लिए किया गया।

❑पी.एन. तिवारी
जिला समन्वयक, सेडमैप, दमोह

एसओएस बालग्राम के सामुदायिक क्षेत्र की महिलाओं हेतु **उद्यमिता विकास एवं पशुपालन प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न**

उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश (सेडमैप) द्वारा मई 2022 से सितंबर 2022 की अवधि में एसओएस बालग्राम भोपाल के सामुदायिक क्षेत्र की महिलाओं के लिए 6 प्रशिक्षण कार्यक्रमों की

श्रृंखला आयोजित की गई। पहला कार्यक्रम 23-24 मई 2022 को आयोजित किया गया। 6 कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम परिवार सशक्तिकरण कार्यक्रम में कार्यरत 16 एनिमेटर्स के लिए दिनांक 14-15 सितंबर की अवधि में आयोजित किया गया। सभी कार्यक्रमों में कुल 289 महिलाओं ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम 24-25 सितंबर 2022 को सलामतपुर तथा एक एसओएस विलेज में आयोजित किया गया। शेष सभी कार्यक्रम सेडमैप के मुख्यालय में आयोजित किए गए। कार्यक्रम में उद्यम

स्थापना से संबंधित विषयों तथा पशुपालन विशेषकर डेयरी तथा बकरी पालन पर व्याख्यान आयोजित किए गए। महिलाओं के द्वारा कम धनराशि में भी किस तरह उद्यम स्थापित किए जा सकते हैं, इसकी जानकारी प्रदान की गई। छोटे उद्योगों के लिए आवश्यक मशीनरी, विपणन प्रक्रिया, संसाधन प्रबंधन तथा कतिपय उद्योगों से संबंधित आवश्यक जानकारी भी प्रदान की गई। कार्यक्रम में केंद्र की कार्यकारी संचालक अनुराधा सिंघई द्वारा प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए।

❑श्रीमती संध्या जोशी,
सेडमैप, भोपाल

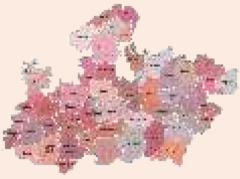

जिलों में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल गठित किए जाएं - मुख्यमंत्री श्री चौहान

मध्यप्रदेश ट्रेड प्रमोशन पॉलसी का तेजी से हो क्रियान्वयन

मध्यप्रदेश निर्यात मेला लगेगा

निर्यात संचालनालय का होगा गठन

मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद की पहली बैठक

भोपाल, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश से निर्यात होने वाली सामग्री की गणना में कृषि उत्पादों को जोड़ा जाए। कृषि से संबंधित सामग्री के निर्यात के लिए दीर्घकालीन योजना बनाई जाए। इससे किसानों के उत्पादों का सही मूल्य मिल सकेगा। जिलों में एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉउंसिल का गठन कर जिलों से निर्यात को प्रोत्साहित किया जाए। यह कॉउंसिल, निर्यात के साथ समग्र व्यापार पर आवश्यक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध कराए। प्रदेश के उत्पादों जैसे संतरा, चावल आदि की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित करने विशेष प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में मध्यप्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश ट्रेड प्रमोशन पॉलसी का तेजी से क्रियाान्वयन किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्यप्रदेश निर्यात मेला आयोजित करने पर सहमति दी। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह, अटल बिहारी वाजपेई नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष श्री सचिन सिन्हा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन श्री संजय शुक्ला सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा बैठक में वर्चुअली शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी रणनीति बनाई जाए। अगले 5 वर्षों में प्रदेश से होने वाले निर्यात को 4 गुना बढ़ाया जाए। यह सुनिश्चित करें कि निर्यात में प्रदेश देश के 10 अग्रणी राज्यों में हो। बैठक में प्रदेश में निर्यात संचालनालय के स्थापना के प्रस्ताव को सहमति प्रदान की गई। साथ ही प्रदेश के उत्पादों के जियो टेगिंग के लिए एजेंसी को नामित करने के प्रस्ताव पर भी सहमति दी गई। जानकारी दी गई की प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 में रिकार्ड 58 हजार 407 करोड़ का निर्यात हुआ है। आईटी कंपनियों से होने वाला निर्यात वर्ष 2017-18 में 258 करोड़ रूपए था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़ कर 1761 करोड़ हो गया है। प्रदेश में सर्वाधिक निर्यात फार्मा, कॉटन और कॉटन प्रोडक्ट का है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्राम पंचायत तालपुरा में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का किया शुभारंभ

मंच से ही आवेदकों की समस्याए सुन कर निराकरण के दिए निर्देश

भोपाल, गुरूवार, सितम्बर 29, 2022। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विकासखंड की ग्राम पंचायत तालपुरा में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के शिविर में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने आवेदकों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को सुना और आवेदनों का निराकरण करने

के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को स्वीकृति-पत्र एवं सामग्री का प्रतीक स्वरूप वितरित किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शिविर आमजनों को योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए ही लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों से सभी पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ मिले, इसके लिए विशेष शिविर लगाएं। मुख्यमंत्री ने जन सेवा अभियान शिविर में विभिन्न योजनाओं से लाभांवित हितग्राहियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ भी किया। उन्होंने चिन्हित हितग्राहियों से संवाद कर उनके पशुपालन व्यवसाय के संबंध में जानकारी प्राप्त की। योजना में हितग्राहियों को दो मुर्रा भैंस प्रदाय की गई हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना से लाभांवित हितग्राही श्री कमल किशोर पंवार, श्री राकेश कटारे, श्री रामकिशोर अहिरवार सहित अन्य पशुपालकों से संवाद कर उनका हालचाल जाना और उनके व्यवसाय की जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शिविर में लाभान्वित हितग्राहियों से भी संवाद कर योजना के लाभ प्राप्ति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने मंच पर प्रश्नोत्तरी संवाद कर शिविर में आए आवेदनों के निराकरण तथा योजनाओं से वंचित पात्र हितग्राहियों के बारे में भी जाना।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने तालपुरा सहित अन्य चार ग्राम पंचायतों में विशेष राजस्व शिविर लगा कर राजस्व संबंधी प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने ग्राम पंचायत तालपुरा में नवीन उचित मूल्य दुकान खोलने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र किसानों को लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करें। सीहोर जिले के प्रभारी और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, पशुपालन सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा, सांसद श्री रमाकांत भार्गव सहित जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना

डेयरी व्यवसाय से प्रदेश के किसानों की आय में वृद्धि हो और वे पशुपालन कर अधिक से अधिक आय अर्जित कर , इसके लिए मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया गया है। पायलेट प्रॉजेक्ट के तौर पर योजना प्रदेश के तीन जिलों सीहोर, विदिशा और रायसेन में शुरू की गई हैं। पहले से ही पशुपालन का कार्य कर रहे पशुपालकों को मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना में दो मुर्रा भैंसे उपलब्ध कराई जा रही है। इनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता 10 लीटर प्रतिदिन की होती है। मुर्रा भैंसों की लागत दो लाख 50 हजार रूपए होगी। योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पशुपालकों को राज्य सरकार द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान एवं पिछड़ा

वर्ग और सामान्य श्रेणी के पशुपालकों को 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। इस प्रकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पशुपालकों को अंशदान के रूप में 62 हजार 500 रूपए तथा पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी वालों को एक लाख 50 हजार रूपए जमा करने होंगे। इसमें पशुपालकों के आने-जाने का व्यय एवं बीमा आदि की राशि भी शामिल है।

25 लाख लोगों को दिया 8 माह में स्व-रोजगार, एक लाख को देंगे सरकारी नौकरी : मुख्यमंत्री श्री चौहान

2 लाख युवाओं को हर माह जोड़ा जा रहा है स्व-रोजगार से

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया 26 औद्योगिक संरचनाओं का भूमि-पूजन और लोकार्पण

रोजगार दिवस पर दो लाख से अधिक युवाओं को उपलब्ध कराये स्व-रोजगार के अवसर

बुदनी में हुआ राज्य स्तरीय

रोजगार दिवस समारोह

भोपाल, गुरूवार, सितम्बर 29, 2022। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश के युवाओं को आश्वस्त किया है कि हर माह दो लाख युवाओं को स्व-रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री गुरूवार 29 सितम्बर, 2022 को सीहोर जिले के बुदनी में 26 औद्योगिक संरचनाओं का लोकार्पण और भूमि-पूजन करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने

हितग्राहियों को स्व-रोजगार योजना के चैक और स्वीकृति-पत्र वितरित किए।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा, सीहोर जिला प्रभारी और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभूराम चौधरी, सांसद श्री रमाकांत भार्गव सहित जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि युवाओं को आगामी एक वर्ष में एक लाख शासकीय सेवाओं में नौकरी दी जाएगी। साथ ही शासन की विभिन्न योजनाओं में रोजगार और स्व-रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 8 माह में ही 25 लाख युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ा जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि तकनीकी और कुशल युवा उद्योग लगाने के लिए आगे आएं। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आहवान किया कि युवाओं के लिए ही बनाई गई मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से 50 लाख रूपए तक का अपना स्व-रोजगार शुरू करें। मध्यप्रदेश सरकार ऋण की गारंटी देगी। साथ ही 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने क्लस्टर आधारित उद्योगों की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए कहा कि एक जगह पर अनेक उद्यमियों के समूह से उत्पादन और रोजगार का बड़ी संख्या में सृजन होना है। मुख्यमंत्री ने बुरहानपुर, इंदौर, भोपाल और नीमच के क्लस्टर डेवलपर्स से वर्चुअल संवाद कर उनके उत्पाद और उनके द्वारा दिए जाने वाले रोजगार की जानकारी ली। उन्होंने सभी डेवलपर्स के प्रति आभार व्यक्त किया और नया कार्य शुरू करने की शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हाल ही में मध्यप्रदेश के चीता स्टेट बनने का उल्लेख करते हुए कहा कि हम पहले से टाइगर और तेंदुआ स्टेट है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने क्लस्टर के साथ आजीविका मिशन की गतिविधियों का उल्लेख करते हुए नागरिकों का आहवान किया कि चीन सहित दुनिया के अन्य उत्पादों के स्थान पर स्थानीय उत्पाद खरीदें। उन्होंने कहा कि बुदनी में 20 करोड़ रूपए की लागत से प्रारंभ हुए खिलौना क्लस्टर के खिलौनों की धूम दुनिया में होगी। भोपाल में दवा, बुरहानपुर में कपड़ा, इंदौर में फर्नीचर सहित अन्य सभी जिलों में भी क्लस्टर उद्योग आधारित उदाहरण बनेंगे।

क्लस्टरों से युवाओं को मिलेगा रोजगार : सखलेचा

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने

कहा कि मुख्यमंत्री की परिकल्पना अनुसार प्रदेश में 41 क्लस्टर पर काम हो रहा है। इनसे बड़ी संख्या में प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा और करोड़ों रूपए का निवेश भी आएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि उनकी घोषणा के अनुरूप हर माह दो लाख से अधिक युवाओं को स्व-रोजगार योजनाओं से जोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने युवाओं को रोजगार देने के लिए कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न कंपनियों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने कंपनियों के प्रतिनिधियों से रोजगार प्रदान करने की प्रक्रिया की जानकारी ली। रोजगार दिवस पर गुजरात, राजस्थान और मध्यप्रदेश के सीहोर, इंदौर, देवास, रायसेन सहित अनेक जिलों की 21 कम्पनियों ने अपने स्टॉल लगाए। कार्यक्रम स्थल पर क्षेत्र की महिला स्व-सहायता समूह द्वारा उत्पादित सामग्री की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। मुख्यमंत्री ने सभी स्टॉलों पर जाकर ग्रामीण महिलाओं का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दीप प्रज्वलन और कन्या-पूजन भी किया।

मंत्री श्री सखलेचा ने अहमदाबाद की साइंस सिटी में किया प्रदर्शनी का अवलोकन

एक्वाटिक एवं रोबोटिक्स गैलेरी का किया भ्रमण

भोपाल, सोमवार, सितम्बर 12, 2022। अहमदाबाद की साइंस सिटी में हुई दो दिवसीय 'सेंटर-स्टेट साइंस कॉन्क्लेव' के दूसरे दिन रविवार 12, सितम्बर, 2022 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने विज्ञान संबंधी विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन किया।

श्री सखलेचा ने कहा कि इस भव्य साइंस सिटी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान के विजन को साकार करते हुए विभिन्न अत्याधुनिक गैलरी बनाई है। गैलरी आकर्षक भारत के विज्ञान को भी दर्शाती है। श्री सखलेचा ने कॉन्क्लेव में इनोवेटर्स के साथ बातचीत कर जमीनी स्तर पर नवाचार और उत्कृष्ट पारंपरिक विज्ञान आधारित उत्पादों की जानकारी साझा की। मंत्री श्री सखलेचा ने साइंस सिटी परिसर में एक्वाटिक एवं रोबोटिक्स गैलेरी का भ्रमण भी किया। उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी प्रदान की एवं इनोवेटर्स के नवोत्थान को सराहा।

फर्नीचर उद्योग स्थापना की संभावना तलाशने अमेरिकी कम्पनी के प्रतिनिधि इंदौर आए

मंत्री श्री सखलेचा ने किया इंदौर में निवेश का आग्रह

भोपाल, शुक्रवार, सितम्बर 9, 2022। सूक्ष्म,लघु,मध्यम उद्यम एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने अमरीकी फर्नीचर कम्पनी एस्ले के चीफ़ ग्लोबल सेल्स ऑफिसर चार्ल्स स्पंग से कहा है कि वे फर्नीचर के क्षेत्र में इंदौर में निवेश करें। मंत्री श्री सखलेचा से इंदौर में अमरीका की लीडिंग फर्नीचर कंपनी एस्ले के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। श्री सखलेचा ने उन्हें मध्यप्रदेश और विशेषत: इंदौर में फर्नीचर उद्योग के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं और क्लस्टर विकास से अवगत कराया। एस्ले फर्नीचर इंडस्ट्रीज के चीफ ग्लोबल सेल्स ऑफिसर चार्ल्स स्पंग ने मंत्री श्री सखलेचा से फर्नीचर उद्योग से जुड़ी जानकारियां साझा की। श्री स्पंग ने मंत्री से चर्चा के बाद इंदौर में स्थानीय फर्नीचर इंडस्ट्री का अवलोकन भी किया। विभाग के स्थानीय अधिकारी भी उपस्थित थे।

आत्म-निर्भर म.प्र. के निर्माण में मछली पालन क्षेत्र का अहम योगदान : मंत्री श्री सिलावट

मत्स्य पालन के क्षेत्र में मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में हुई राज्य स्तरीय कार्यशाला

5 देशों तथा 8 राज्यों के प्रतिनिधियों सहित मत्स्य उत्पादक एवं विक्रेता हुए शामिल

मत्स्य विकास के लिए 5 देशों के साथ साइन हुए एमओआई

भोपाल, शनिवार, सितम्बर 24, 2022। मछुआ कल्याण तथा मत्स्य पालन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में मछली पालन क्षेत्र का अहम योगदान है। प्रदेश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कारगर प्रयास किए जा रहे

हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के मत्स्य पालकों के सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति के लिए भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए अनेक लाभकारी योजनाएं और कार्यक्रम शुरू कर उनका लाभ मत्स्य पालकों तक पहुंचाया जा रहा है।

मंत्री श्री सिलावट मत्स्य पालन के क्षेत्र में मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में संपन्न हुई राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में 5 देशों तथा 8 राज्यों के प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में मत्स्य उत्पादक, मत्स्य पालक एवं मत्स्य विक्रेताओं ने हिस्सा लिया। सांसद श्री शंकर लालवानी, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री जयपाल सिंह चावड़ा, विधायक श्री रमेश मेंदोला, केन्द्र सरकार के मछली पालन विभाग के संयुक्त सचिव श्री सागर मेहरा, राज्य सरकार के मछली पालन विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सुश्री आर. वनिता तथा राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद के संचालक श्री विजय कुमार भी उपस्थित थे।

कार्यशाला में प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और मीठे पानी की उत्पादित मछली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए विचार-विमर्श हुआ। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों के साथ चर्चा भी की गई। प्रदेश में मीठे पानी में उत्पादित होने वाली मछली की मार्केटिंग, ब्रांडिंग, और निर्यात के लिए नई संभावना पर भी विचार किया गया। कार्यशाला में जापान, वियतनाम, थाईलैंड, मॉरीशस तथा नेपाल के प्रतिनिधि भी विशेष रूप से सम्मिलित हुए। इन देशों के प्रतिनिधियों ने म.प्र. सरकार के साथ एमओआई (मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट) साइन किया। इन देशों के प्रतिनिधियों ने प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने और उसके उत्पादन और क्वालिटी को बेहतर करने के लिए उत्साह दिखाया है। साथ ही तकनीकी सहयोग और मार्केटिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने की बात कही।

मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि प्रदेश में मछली पालन विभाग द्वारा अनेक नवाचार शुरू किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे इन नवाचारों से मछुआ समाज के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। प्रदेश को आत्म-निर्भर बनाने के क्षेत्र में लगातार नए प्रयास हो रहे हैं। मछुआ कल्याण विभाग भी इसमें पीछे नहीं है। इस कार्यशाला से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुभव से हम परिचित होंगे। प्रदेश में मछली पालन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। देश में अब नीली क्रांति की शुरूआत प्रदेश से होगी। ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि मछुआ समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो और प्रदेश को आत्म-निर्भर बनाने में मत्स्य विकास विभाग महती भूमिका निभाए।

सांसद श्री शंकर लालवानी ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा मत्स्य पालन को बढ़ावा देने तथा मछुआरों के समग्र कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं से मत्स्य उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो रही है। मछुआरों को सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा भी मिली है।

केन्द्रीय संयुक्त सचिव मत्स्य पालन श्री सागर मेहरा ने केन्द्र

सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है। इसका बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में भी इस योजना का बेहतर लाभ मछुआरों को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास हो रहे हैं। वर्ष 2014 के बाद मत्स्य पालन की ग्रोथ में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 तक ग्रोथ दर 7 प्रतिशत तथा वर्ष 2022 में 10 प्रतिशत दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में रोजगार एवं आर्थिक उन्नति की अपार संभावनाएं हैं।

प्रमुख सचिव मत्स्य पालन श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यशाला में 5 देश जापान, वियतनाम, थाईलैंड, मॉरीशस तथा नेपाल के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश के साथ एमओआई भी साइन किए हैं। इससे प्रदेश में मछली उत्पादन के साथ मार्केटिंग और निर्यात की नई संभावना पैदा होंगी। भारत के 8 से अधिक राज्यों के मछली विभाग के संचालक भी कार्यशाला में शामिल हुए। उन्होंने अपने प्रदेश में मछली उत्पादन और ब्रांडिंग के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।

मात्स्यिकी कार्यशाला में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश में मीठे पानी में उत्पादित मछली को नया बाजार उपलब्ध कराने 7 देशों से आए प्रतिनिधियों के साथ चर्चा और एमओआई हस्ताक्षर हुए। इससे प्रदेश में मछली उत्पादन को दोगुना किया जाने में मदद मिलेगी। झींगा पालन को भी बढ़ावा मिलेगा और दो साल में झींगा उत्पादन दोगुना बढ़ाया जाएगा।

कार्यशाला में बताया गया कि प्रदेश में वर्ष 2022 में मत्स्य बीज का उत्पादन 171 करोड़ स्टैंडर्ड फ्राइ है, जिसे वर्ष 2023 तक 200 करोड़ किया जाएगा। इससे मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश आत्म-निर्भर बनेगा। अच्छी गुणवत्ता के बीज उत्पादित होने से मत्स्य कृषकों को उन्नत बीज उपलब्ध होंगे और मछली उत्पादन में गुणात्मक सुधार होगा। बताया गया कि प्रदेश में अभी तक मत्स्य पालकों के लिए 43 हजार 500 क्रेडिट कार्ड बनाए जा चुके हैं।

इस कार्यशाला में मत्स्य महासंघ द्वारा मछुआ प्रोत्साहन राशि और आजीविका सहयोग योजना में 11 करोड़ की राशि का वितरण भी किया गया। साथ ही मछली उत्पादन और विक्रय के लिए मदद करने हेतु 50 मोटरसाइकिल, 100 किसान क्रेडिट कार्ड सहित अन्य योजना का लाभ भी मछुआ युवाओं को वितरित किए गए प्रदेश में नवाचार के रूप में मार्केटिंग के लिए स्मार्ट फिश पार्लर भी खोले जाएंगे। साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए फिश कॉर्नर खोलने पर भी विचार किया जा रहा है।

जीआई टैग से जनजातीय संस्कृति-कला को मिलेगी पहचान एवं बढ़ेंगे रोजगार के अवसर :

प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य डॉ. गोविल

एक दिवसीय सेमिनार में जनजातीय उत्पादों की जीआई टैगिंग पर हुआ मंथन

भोपाल, शुक्रवार, सितम्बर 23, 2022। जनजातीय कार्य विभाग के वन्या प्रकाशन द्वारा शुक्रवार 23 सितम्बर 2022, को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल सेंटर में जियोग्राफिक इंडिकेशंस चैलेंजेस एंड द वे फॉर्वर्ड विषय पर एक दिवसीय सेमीनार किया गया। इसका शुभारंभ जनजातीय कार्य विभाग की प्रमुख सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल ने किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज के

उत्पादों, कला और कलाकृतियों को संरक्षित किए जाने के प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए यह आयोजन किया गया। जनजातीय समाज संकोची होता है। अत: उनकी कला एवं संस्कृति की विरासत को संरक्षित और सुरक्षित कर उसका अस्तित्व बचाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारा उद्देश्य जीआई टैग से जनजातीय संस्कृति व कला को पहचान दिला कर रोजगार के अवसर प्रदान करना है। साथ ही इसे आमजन तक पहुंचाना भी जरूरी है, जिससे जनजातीय लोगों के लिए अनुसंधान और आर्थिक लाभ के अवसर सृजित किए जा सकें।

विशेषज्ञ पद्मश्री श्री रजनीकांत ने कहा कि भारत की जीआई ही सोने की चिड़िया है। यही जीआई भारत की आत्मा भी है जिसे संरक्षित और संवर्धित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हमने देशभर के 75 उत्पाद का जीआई रजिस्ट्रेशन किया है। यही जीआई प्रोडक्ट्स पहले देश की जीडीपी का बड़ा हिस्सा हुआ करते थे जिसके कारण पूरी दुनिया के भारत से व्यापारिक संबंध थे।

जी आई टैग आवेदनों पर हुए हस्ताक्षर

जनजातीय कार्य विभाग की उपसचिव एवं वन्या की प्रबंध संचालक श्रीमती मीनाक्षी सिंह ने केन्द्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय की टेक्सटाइल कमेटी के डॉ. तपन कुमार राऊत के साथ मध्यप्रदेश के 7 उत्पाद के लिए जीआई टैग आवेदनों पर हस्ताक्षर किए। वन्या द्वारा विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों के उत्पादों की जीआई टैगिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसके प्रथम चरण में अनूपपुर के काष्ठ शिल्प (मुखौटा), झाबुआ की गुड़िया, शहडोल, अनूपपुर और डिंडौरी का जनजाति वाद्ययंत्र बाना एवं चिकारा, धार, झाबुआ, खरगौन, बड़वानी और अलीराजपुर का हस्तशिल्प बोलनी, पोतमाला एवं गलशन माला की जीआई टैगिंग का कार्य किया जा रहा है। इसे केन्द्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय के उपक्रम टेक्सटाइल कमेटी के सहयोग से किया जा रहा है।

जनजातीय एवं जीआई टैग उत्पादों की लगाई गई प्रदर्शनी

सेमीनार में मध्यप्रदेश के जनजातीय और अन्य कला उत्पादों की लघु प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसमें पिथौरा चित्रकला, भीली गलशन माला, पोत माला, लकड़ी के मुखौटे, भीली दुल्हन श्रृंगार पेटी बोलनी, बेल मेटल, चंदेरी साड़ी, बाग साड़ी और महेश्वर साड़ी प्रदर्शित की गईं। वहीं, दुर्लभ गोंड वाद्ययंत्र बाना परधान और चिकारा परधान भी विशेष रूप से प्रदर्शित किए गए। साथ ही जनजातीय अंचलों के खाद्य उत्पाद जैसे सफेद मूसली, कोदो, कुटकी और कड़की भी प्रदर्शित की गई। प्रमुख सचिव डॉ. गोविल सहित सभी अधिकारी एवं विशेषज्ञों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

डिंडौरी के जनजाति वादक धरम सिंह वरकड़े ने दुर्लभ जनजातीय वाद्य यंत्र बाना का वादन किया। उन्होंने पितृपक्ष में पूर्वजों और जनजातीय राजाओं के सम्मान में गाए जाने वाले गोंडी लोकगीत की प्रस्तुति दी।

सेमीनार में देश और प्रदेश के कला क्षेत्र एवं जीआई के विशेषज्ञ, कला समीक्षक, विधि विशेषज्ञ, कलाकार, उत्पाद निर्माता-विक्रेता आदि शामिल हुए। प्रमुख सचिव कुटीर एवं ग्रामोद्योग श्री मनु श्रीवास्तव, जनजातीय कार्य विभाग आयुक्त श्री संजीव सिंह, उप सचिव सुश्री मीनाक्षी सिंह, एमडी हस्तशिल्प विकास निगम सुश्री अनुभा श्रीवास्तव, अपर आयुक्त श्री के.जी. तिवारी, डायरेक्टर टी.ए.डी.पी. श्री रवीन्द्र सिंह चौधरी उपस्थित रहे। केन्द्र सरकार की टेक्सटाइल कमेटी, टीआरआई, नाबार्ड, ट्राइफेड, टीएडीपी, मैपसेट, दिल्ली विश्वविद्यालय, हस्तशिल्प विकास निगम, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, फीडस लॉ चेंबर्स, ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन आदि के प्रतिभागी भी शामिल हुए।

तकनीकी शिक्षा विभाग करेगा विद्यार्थियों को कैम्पस प्लेसमेंट के लिये तैयार

सेल्सफोर्स कम्पनी से अपलोड किया लगभग 65 हजार विद्यार्थियों का डाटा

भोपाल, शनिवार, सितम्बर 24, 2022। प्रदेश के इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा विभाग रिक्रूटमेंट के लिये आने वाली कम्पनियों की आवश्यकता के

अनुरूप प्रशिक्षित करेगा। इसी कड़ी में बुधवार, 24 सितंबर, 2022 को तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने एलीवेट-2022 कार्यक्रम को वेबीनार में लांच किया।

इस दौरान सेल्सफोर्स इण्डिया के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट श्री संकेत अटल ने जानकारी दी कि कम्पनी द्वारा लगभग 65 हजार विद्यार्थियों का डाटा सेल्सफोर्स के प्लेटफार्म पर अपलोड किया गया है। उन्होंने बताया कि सेल्सफोर्स द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों तक कैसे पहुंचें, यह सीखने के लिए एलीवेट-2022 कार्यक्रम किया गया।

कैम्पस प्लेसमेंट के लिए विद्यार्थी प्रथम वर्ष से होंगे तैयार

प्रदेश के इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों के प्लेसमेंट और स्किलिंग को मजबूत करने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा अलग-अलग स्तर पर ट्रेनिंग कराई जाएगी। प्रथम वर्ष में विद्यार्थियों में कम्युनिकेशन स्किल डेव्हलप की जाएगी। दूसरे वर्ष में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और तीसरे वर्ष में लॉजिक रीजनिंग और डिजिटल फ्ल्यूऐंसी की ट्रेनिंग दी जाएगी। फाइनल इयर में ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्यूरिटी, डेटा एनालिसिस, क्लाउड कम्प्यूटिंग, डिजिटल मार्केटिंग जैसे विषयों की ट्रेनिंग कराई जाएगी।

तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा सभी इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कॉलेज को ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार करने को कहा गया है। प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है कि वे विद्यार्थियों के परफार्मेंस का रिव्यू कर कैलेण्डर तैयार करें। प्लेसमेंट सेल के लिए टाइम-टेबल में एक घंटा अतिरिक्त स्लाट और स्टूडेंट प्लेसमेंट कम्पनी बनाने के भी निर्देश दिये गए हैं।

जीएसपी में बाजार मांग के अनुसार अग्रणी तकनीकों के प्रशिक्षण का समावेश होगा- तकनीकी शिक्षा मंत्री श्रीमती सिंधिया

16वीं समीक्षा बैठक हुई

भोपाल, बुधवार, सितम्बर 21, 2022। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि निर्माणाधीन ग्लोबल स्किल पार्क में बाजार मांग के अनुसार प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए निरन्तर प्रशिक्षित करने के लिए अग्रणी तकनीकों का समावेश होगा। उन्होंने कहा कि जीएसपी युवाओं के लिए विश्व स्तर के प्रशिक्षण और सुविधाओं में वृद्धि, आईटीआई, कौशल विकास केन्द्र, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज एवं अन्य तकनीकी और कौशल विकास से जुड़े संस्थाओं की आवश्यकताओं के लिए मातृ संस्था के रूप में कार्य करेंगी। मंत्री श्रीमती सिंधिया बुधवार, 21 सितंबर, 2022 को नरेला संकरी स्थित ग्लोबल स्किल पार्क के निर्माण कार्य की समीक्षा कर रही थी। यह 16वीं बैठक थी।

मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कहा कि निर्माण कार्यों को गति दें। अगले वर्ष मार्च तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है। अब बारिश समाप्त हो चुकी है। कार्यों को तीव्र गति से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की संख्या बढ़ाएं, वेंडर्स के साथ एएमसी साइन करें। मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कहा कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इस भवन के निर्माण में अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर गुणवत्ता की जांच की जाय। ग्लोबल स्किल पार्क पहला ऐसा शासकीय भवन होगा, जिसमें बायो डायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा। श्रीमती सिंधिया ने विशेषज्ञों से सम्पर्क कर मध्यप्रदेश के विलुप्त हो रहे पेड़-पौधों की प्रजाती को परिसर में लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जीएसपी में स्पोटर्स काम्पलेक्स का निर्माण ऐसा हो जो भोपाल के स्पोर्टिंग हब की विस्तार से व्याख्या करें। जीएसपी के सीईओ श्री हरजिन्दर सिंह सहित निर्माण एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित थे।

पशुपालन मंत्री द्वारा प्रदेश के पहले बकरी पालन एवं उद्यमिता सम्मेलन का शुभारंभ

भोपाल, मंगलवार, सितम्बर 6, 2022। बकरी उपयोगी पालतू पशु है। बकरियों के मध्य रहने से टीबी का मरीज ठीक हो जाता है। नींबू वृक्षों में बकरी मल का प्रयोग बम्पर क्रॉप देता है। बहुत कम स्थान में पलने वाली बकरी के मांस, खाल, दूध सभी से बकरी पालक को आय होती है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने भोपाल में प्रदेश के पहले बकरी पालन को प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास हेतु पशुपालक सम्मेलन का शुभारंभ कर

संबोधित किया।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि आधुनिक तकनीक अपना कर पशुपालन विभाग के सहयोग से बकरी पालन करें और अच्छी आय अर्जित करें। उन्होंने बकरी पालकों को बैंक ऋण लेने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने का आश्वासन दिया। प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ श्री तरूण राठी और राज्य कुक्कुट विकास निगम एवं पशुधन श्री एच.बी.एस. भदौरिया भी मौजूद थे।

पिछड़े जिलों से शुरू होगी कृत्रिम गर्भाधान योजना

अपर मुख्य सचिव पशुपालन एवं डेयरी श्री जे.एन. कंसोटिया ने कहा कि बकरी उत्पाद की मांग बाजार में बढ़ रही है। प्रदेश में उच्च नस्ल के बकरी वंश को बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चिन्हित जिलों से आरंभ कर जल्द ही पूरे प्रदेश में शुरू किया जाएगा। वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन और समय पर टीकाकरण, व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। श्री कंसोटिया ने सम्मेलन में भाग ले रहे विषय-विशेषज्ञों, पशु चिकित्सकों और बकरी पालकों से कहा कि परम्परागत गेहूं, मक्का, गुड़ के विकल्प में बकरी का चारा तैयार करने पर मंथन करें। श्री कंसोटिया ने बताया कि कुक्कुट व्यवसाय को पिछले साल से पंजीकृत किया जा रहा है। अब बकरी पालन को भी पंजीकृत किया जाएगा।

वेटनरी काउंसिल ऑफ इण्डिया के अध्यक्ष डॉ. उमेश चन्द्र शर्मा ने कहा कि बकरी पालन में मध्यप्रदेश देश में पांचवें स्थान पर और विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है। बकरी की उच्च नस्ल के लिए कृत्रिम गर्भाधान बहुत जरूरी है। अच्छी नस्ल का बकरा एक से डेढ़ लाख रूपए में मिलता है। कृत्रिम गर्भाधान से पालक को यह सुविधा हिमीकृत स्ट्रॉ से मात्र 70 रूपए में उपलब्ध हो जाएगी।

प्रदेश में बकरी संख्या 38 प्रतिशत बढ़ी

संचालक डॉ. आर.के मेहिया ने कहा कि प्रदेश में पिछली पशु गणना के मुकाबले बकरी संख्या में 38 प्रतिशत की वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि बकरी पालन के प्रति लोगों में रूझान बढ़ा है। कार्यक्रम में पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के डॉ. मुकुल आनंद और नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्व विद्यालय के विषय-विशेषज्ञों ने भी बकरी पालन के वैज्ञानिक तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पिछले 22 साल से बकरी व्यवसाय कर रहे धार के श्री दीपक पाटीदार और देश-विदेश में नौकरी कर चुके टेलीकॉम इंजीनियर से आज सफल बकरी पालक बन चुके भोपाल के श्री हेमंत माथुर ने रोचक ढंग से अपनी सफलता की कहानियां साझा की। प्रदेश भर से आए पशुपालकों के प्रश्नों का भी समाधान कार्यक्रम में किया गया। उप संचालक डॉ. अनुपम अग्रवाल ने संचालन किया और संयुक्त संचालक डॉ. पटेल ने आभार माना।

दुधारू पशु खरीदने पशु पालकों को एसबीआई की चिन्हित शाखाएँ देंगी ऋण

दुग्ध संघ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मध्य हुआ करार

भोपाल, बुधवार, सितम्बर 28, 2022। एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। इसमें दुग्ध संघों की वार्षिक सभाओं में बैंक के अधिकारी उपस्थित होकर पशु पालकों को पशु खरीदने के लिये ऋण दिलाने में सहायता करेंगे।

प्रबंध संचालक स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन श्री तरूण राठी ने बताया कि दुग्ध संघों के कार्यक्षेत्र की समितियों के पात्र सदस्यों को त्रि-पक्षीय अनुबंध के तहत 2, 4, 6 और 8 दुधारू पशु खरीदने के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में चयनित 3 से 4 बैंक शाखाओं द्वारा ऋण राशि उपलब्ध कराई जाएगी। हितग्राही को मार्जिन मनी के रूप में 10 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी। दस लाख रूपए तक का मुद्रा लोन बिना कोलेस्ट्रल एवं एक लाख 60 हजार रूपए का नान मुद्रा लोन बिना कोलेस्ट्रल त्रि-पक्षीय अनुबंध के तहत हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

हितग्राहियों को ऋण की अदायगी 36 किश्तों में करनी होगी। पात्र हितग्राही को निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन के साथ फोटो, आधार/पेनकार्ड, वोटर आईडी, दुग्ध समिति की सक्रीय सदस्यता का प्रमाण-पत्र और त्रि-पक्षीय अनुबंध (संबंधित बैंक शाखा, समिति एवं समिति सदस्य के मध्य) आदि दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

राष्ट्रीय औद्योगिक परिदृश्य

केवीआईसी ने नई दिल्ली के सीपी आउटलेट में 1.34 करोड़ रुपए की बिक्री कर बनाया रिकॉर्ड

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2022। इस साल 2 अक्टूबर को खादी इंडिया के सीपी (कनॉट प्लेस) आउटलेट ने एक बार फिर एक ही दिन में खादी की बिक्री का नया कीर्तिमान बनाया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कई अवसरों पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों से खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को खरीदने का अनुरोध किया है। यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि अक्टूबर 2016 से नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी इंडिया के प्रमुख आउटलेट पर एक दिन में की गई बिक्री कई अवसरों पर 1 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई है। इसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने अपने रेडियो वार्ता मन की बात में लगातार किया है।

प्रधानमंत्री का खादी को अपनाने और गरीब बुनकरों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का संदेश रेडियो प्रसारण कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश के कोने-कोने तक पहुंच गया है। इसका असर इस गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर, 2022 की बिक्री में देखने को मिला है।

एक ही दिन में नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी इंडिया शोरूम ने 1.34 करोड़ रुपए की बिक्री की और 2 अक्टूबर, 2021 को बनाए गए 1.01 करोड़ रुपए के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इससे पहले एक दिन में खादी की सबसे अधिक बिक्री का रिकॉर्ड 1.29 करोड़ रुपए का था, जो 30 अक्टूबर 2021 को दर्ज किया गया था। गांधीजी ने खादी आंदोलन की स्थापना केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारणों से की थी। महात्मा की उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने खादी और अन्य ग्रामोद्योग उत्पादों को जनता के बीच बढ़ावा देने का प्रयास किया है। इसके अलावा यह हमारे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और उनके लिए लोगों का सम्मान भी है, जिनके एक आह्वान पर भारत के लोग खादी को पूरा समर्थन देने के लिए खड़े होते हैं। दीपावली पर दीप जलाने के लिए गरीब कारीगरों की सहायता के आह्वान को वास्तविकता में बदला गया है। केवीआईसी के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने कहा कि 2 अक्टूबर से पहले 25 सितंबर, 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात में खादी खरीदने की अपील की थी, जिसने इस रिकॉर्ड बिक्री को प्राप्त करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने खादी की बिक्री में हुई इस बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री के निरंतर समर्थन को कारण बताया। केवीआईसी के अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री की

अपील के चलते बड़ी संख्या में लोगों, विशेषकर युवाओं का रुझान खादी खरीदने की ओर हुआ है।

बेंगलुरु स्टेशन पर प्लास्टिक और व्यर्थ बोतलों से बनी मूर्तिकला के लिए रेलवे की सराहना

नई दिल्ली, 03 अक्टूबर, 2022। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केएसआर बेंगलुरु स्टेशन पर प्लास्टिक और व्यर्थ बोतलों

से बनी मूर्तिकला के लिए दक्षिण पश्चिम रेलवे की सराहना की है। उनके ट्वीट का उद्धरण देते हुए प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा: "इस तरह के प्रयास न केवल अभिनव और प्रशंसनीय हैं, बल्कि यह हमें अपने आसपास और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने के हमारे बुनियादी नागरिक कर्तव्य का स्मरण कराते हैं।"

केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे ने मुंबई में खादी उत्सव - 2022 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया

नई दिल्ली, 03 अक्टूबर, 2022। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने मुंबई में खादी उत्सव–2022 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। खादी उत्सव–2022 का आयोजन खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर

किया गया है और यह 1 नवंबर, 2022 तक चलेगा।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) हर साल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में खादी उत्सव का आयोजन करता है। हालांकि इस बार प्रदर्शनी का आयोजन दो साल के अंतराल के बाद किया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री श्री नारायण राणे ने कहा कि केवीआईसी द्वारा आयोजित इस तरह की प्रदर्शनियों से खादी और ग्रामोद्योग के विक्रेताओं को बाजारों तक पहुंचने में सुविधा होती है। उन्होंने कहा, ऐसे कदमों का ही नतीजा है कि वर्ष 2021–22 में केवीआईसी ने 257.02 करोड़ रुपए से अधिक का अभूतपूर्व निर्यात दर्ज किया।

श्री राणे ने कहा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने वर्धा से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने देश और समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अभियान चलाया था। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में अनेक पहल की हैं और हम सभी को उनकी पहल में उनका समर्थन करना चाहिए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के खादी से रोजगार के मंत्र को दोहराते हुए, एमएसएमई मंत्री ने नागरिकों से मुंबई में खादी

प्रदर्शनी को आकर देखने और बड़े पैमाने पर खरीदारी करने की अपील की। उन्होंने कहा, मुंबई आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है; अगर मुंबई के लोग खादी को बढ़ावा देते हैं, तो खादी को एक वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

इस अवसर पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार गोयल ने कहा कि केवीआईसी गांधीजी के अंत्योदय के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध संगठन है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हर हाथ को काम पर जोर दिया; केवीआईसी ने अपनी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से देश में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया है। केवीआईसी के अध्यक्ष ने लोगों से त्योहारी सीजन के दौरान हमारे स्थानीय कारीगरों के हाथ से बने सामान खरीदने का अनुरोध किया। एमएसएमई मंत्री और केवीआईसी अध्यक्ष ने विभिन्न स्टालों का दौरा किया और विक्रेताओं के साथ बातचीत की। उन्होंने उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और सभी सकारात्मक उपायों का आश्वासन दिया।

खादी उत्सव 2022 प्रदर्शनी में खादी और ग्रामोद्योग आयोग से संबद्ध देश के विभिन्न हिस्सों से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की इकाइयां अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रही हैं। ड्राई फ्रूट्स, चाय, कॉफी, ब्यूटी हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पाद, खादी सिल्क, पश्मीना, मधुबनी फैब्रिक, शहद उत्पाद, हैंड पेपर उत्पाद, गृह सज्जा उत्पाद, बांस उत्पाद, कालीन, एलोवेरा उत्पाद, चमड़े के उत्पाद आदि के लगभग 70 स्टॉल लगाए गए हैं।

भारत में निवेश करने का उचित समय है अमृत काल : श्री पीयूष गोयल

नई दिल्ली, 06 सितंबर, 2022। वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत पूरे विश्व के निवेशकों के लिए निवेश के बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। उन्होंने अगले 25 वर्षों के अमृत काल के स्वर्णिम समय के दौरान भारत में निवेश के उचित समय को रेखांकित करते हुए अमेरिका में निवेशकों का आह्वान किया कि वे भारत में उपलब्ध निवेश अवसरों का लाभ उठाएं। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (यूएसआईएसपीएफ) को सम्बोधित करते हुए यह कहा।

भारत-अमेरिका सम्बंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच की साझेदारी 'पार्टनरशिफ ऑफ ट्रस्ट' है, जो 3-टी, यानी ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टैलंट पर आधारित है। उन्होंने बताया कि भारत-अमेरिका सम्बंध मजबूत सरकार से सरकार के सम्बंध, लोगों के बीच मेल-मिलाप, अमेरिका में रहने वाले विशाल भारतीय समुदाय, व्यापार से व्यापार सम्बंध, बढ़ता हुआ द्विपक्षीय व्यापार, भू-राजनीतिक सम्बंधों वाले क्वॉड, मंत्री स्तरीय संवादों, आईपीईएफ तथा मजबूत व्यापार नीतिगत मंच पर आधारित है। आपसी हितों के क्षेत्रों पर मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत-अमेरिका सम्बंधों को

और विस्तार देने पर ध्यान दिया जा रहा है।

प्रतिस्पर्धात्मक लाभ और एक-दूसरे के लिए अपार अवसरों का हवाला देते हुए श्री गोयल ने कहा भारत और अमेरिका नैसर्गिक साझेदार हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने अमेरिका को प्रतिभाएं दी हैं और अमेरिका ने भारत को निवेश दिया है। उन्होंने अमेरिकी निवेशकों से कहा कि भारत-अमेरिकी सम्बंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए वे नए विचार और सुझाव दें। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के हित विश्व से जुड़े हैं, एक ऐसे विश्व के साथ जो शांतिपूर्ण हो, व्यापार के लिए मुक्त हो, लोकतंत्र में विश्वास करता हो तथा पारदर्शी हो। इसके विषय में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देश वैश्विक सुरक्षा, स्थिरता, समायोजक आपूर्ति श्रृंखला और बढ़ती अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए मिलकर काम करें।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान पूरे विश्व में भारत की मजबूत होती विश्वसनीयता का उल्लेख करते हुए श्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमने परिवर्तनगामी सुधार किए और अर्थव्यवस्था के पूरे ढांचे को सच्चाई और गंभीरता से व्यापार करने, व्यापार प्रक्रियाओं में सत्यनिष्ठा का सम्मान करने, अनुपालन के बोझ को कम करने, व्यापारिक अपराध की श्रेणी में आने वाले कानूनों को दुरुस्त करने तथा व्यापार करने वाले ईमानदार व्यक्तियों पर भरोसा व उनका सम्मान करने के सांचे में ढाला है।

श्री गोयल ने कहा कि भारत अब ज्यादा खुली अर्थव्यवस्था हो गई है। यह उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत उन सभी विषयों पर अन्य देशों के साथ चर्चा करने से नहीं हिचकता, जिन्हें पहले कभी नहीं उठाया जाता था, जैसे लैंगिक विषय, पर्यावरण, छोटे और मंझोले उद्यम, श्रम और भ्रष्टाचार-रोधी कानून। उन्होंने कहा कि हम स्वदेशी और विदेशी, दोनों निवेशकों को विकास अवसर उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध हैं।

इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाएं (डब्ल्यूईएसटी): नई आई-स्टेम पहल का शुभारंभ

नई दिल्ली, 06 सितंबर, 2022। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय की वैज्ञानिक सचिव डॉ. परविंदर मैनी द्वारा 5 सितंबर 2022 को इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाएं (डब्ल्यूईएसटी) नाम की एक नई आई-स्टेम (भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाओं का खाका) पहल का शुभारंभ किया गया। ये डब्ल्यूईएसटी कार्यक्रम स्टेम पृष्ठभूमि वाली महिलाओं के लिए है और उन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन इकोसिस्टम में योगदान देने के लिए सशक्त करेगा। आई-स्टेम दरअसल अनुसंधान उपकरण/सुविधाओं को साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है और इसके तत्वावधान में शिक्षा और उद्योग जगत के बीच और खासकर स्टार्टअप में, अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चल रहे हैं।

डब्ल्यूईएसटी पहल के जरिए आई-स्टेम, वैज्ञानिक रूप से इच्छुक महिला शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को विज्ञान और इंजीनियरिंग के अग्रणी क्षेत्रों में बेसिक या अप्लाइड साइंसेज में अनुसंधान करने के लिए एक अलग मंच प्रदान करेगा। महिलाएं इस डब्ल्यूईएसटी कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं और विभिन्न क्षेत्रों में हितधारक बनने के अवसरों का पता लगा सकती हैं। वे विभिन्न स्तरों पर आरएंडडी में करियर बना सकती हैं, जैसे कि तकनीशियन, प्रौद्योगिकीविद, वैज्ञानिक और उद्यमी। ये अवसर वैज्ञानिक उपकरणों के संचालन और उनकी देखरेख से लेकर, उनके डिजाइन और निर्माण तक में हैं।

उद्यमिता विकास केन्द्र (सेडमैप), इंदौर

द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में आयोजित किये जाने वाले

शुल्क आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.	शुल्क आधारित प्रशिक्षण का नाम	तिथि	अवधि	प्रशि. संख्या	शुल्क प्रति प्रशिक्षणार्थी	आवेदन की अंतिम तिथि
●.	सोलर उर्जा आधारित उद्योग एवं व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रम	26.09.2022 to 30.09.2022	05 Days	30	1500	23.09.2022
●	रेडिमेड गारमेन्ट्स निर्माण	01.09.2022 to 30.11.2022	03 Month	30	3000	30.10.2022
●.	रसायन उद्योग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम	18.10.2022 to 22.10.2022	05 Days	30	1500	17.10.2022
●	डिजिटल एवं सोशल मीडिया मार्केटिंग	25.11.2022 to 29.11.2022	05 Days	30	1500	23.11.2022
●	बेसिक्स ऑफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग	02.11.2022 to 31.01.2023	03 Month	30	3000	1.11.2022
●	आयात –निर्यात प्रबंधन एवं प्रपत्रीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	17.12.2022 to 21.12.2022	05 Days	30	1500	15.12.2022
●	उत्पाद आधारित उद्यमिता विकास कार्यक्रम	01.01.2023 to 12.01.2023	2week	30	1500	30.12.2022
●	डिजिटल एवं सोशल मीडिया मार्केटिंग	27.01.2023 to 31.01.2023	05 Days	30	1500	24.01.2022
●	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं पैकेजिंग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम।	20.02.2023 to 24.02.2023	5 Days	30	1000	17.02.2023
	कम्प्यूटर फण्डामेन्टल (Data Entry, Photoshop, Ms Office, Hindi English Typing)	01.02.2023 to 30.03.2023	02 Month	30	2000/-	30.01.2022

संपर्क करें-

विजय चौरे, जिला समन्वयक

उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. (सेडमैप)

(सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मध्यप्रदेश शासन के अधीन)

द्वितीय तल, कार्पोरेट बिल्डिंग, रेडीमेड गारमेंट कॉम्पलेक्स, परदेशी पुरा, इंदौर (म.प्र.)

फोन: 0731-2574775, 0755-4000918 ई-मेल : vinayakv1@yahoo.com

वेबसाईट : www.cedmapindia.mp.gov.inमो. 9827214711, 8319267042

स्वरोजगार स्थापना में बनें सहभागी

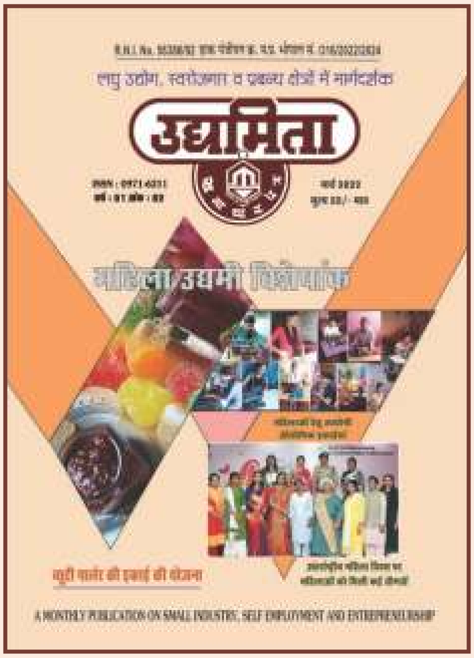

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करने वाले लेखों जानकारियों का सादर स्वागत है।

उद्यमिता समाचार पत्र में प्रचार

बढ़ाएगा आपका व्यापार

संपादकीय एवं व्यावसायिक संपर्क

उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश (सेडमैप)

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्य प्रदेश शासन के अधीन)

16-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462 011 म.प्र.

फोन : 0755 - 4000914 **ई-मेल :** cedmapusp@rediffmail.com

वेबसाइट : www.cedmapindia.mp.gov.in

स्वामी उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश (सेडमैप), भोपाल के लिए आर.के. सेक्यूप्रिंट प्रा.लि. पिपलानी, भोपाल मप्र द्वारा मुद्रित और **उमाशंकर दुबे, उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश (सेडमैप), भोपाल** द्वारा प्रकाशित तथा आर.के. सेक्यूप्रिंट प्रा.लि. पिपलानी, भोपाल से मुद्रित और **उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश (सेडमैप)**, 16-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011 मध्यप्रदेश से प्रकाशित। संपादक : **उमाशंकर दुबे**